वार्षिक रिपोर्ट

2008-09

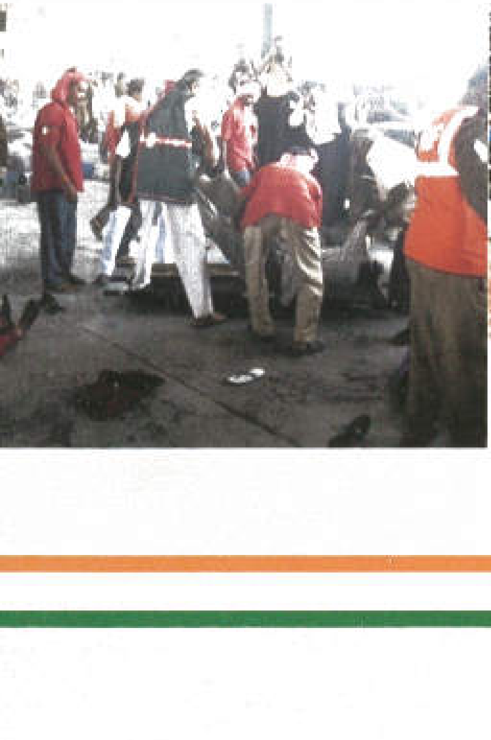

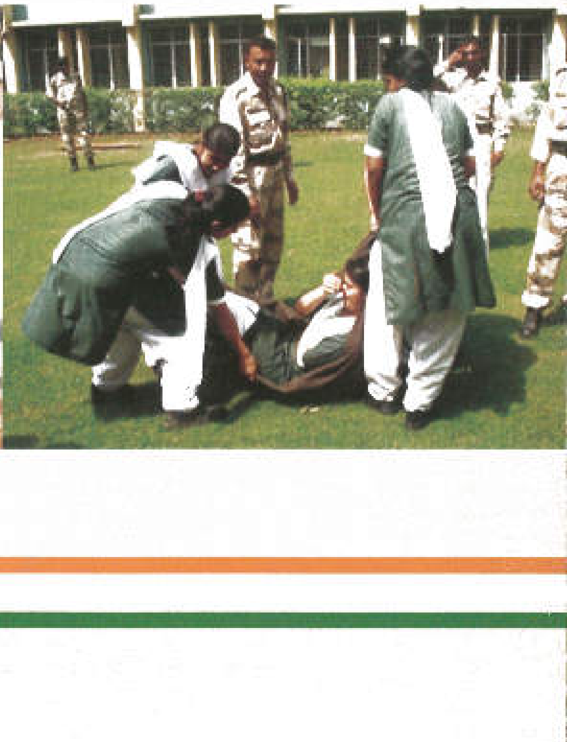

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
भारत सरकार

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण वार्षिक रिपोर्ट

2008–09

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
वार्षिक रिपोर्ट

2008–09

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
भारत सरकार

हमारा दृष्टिक्षेत्र

हमारे दृष्टिक्षेत्र में रोकथाम, प्रशमन, तत्परता एवं कार्रवाई प्रेरित आपदा प्रबंधन की संस्कृति के माध्यम से एक समग्र, सक्रिय, बहु–आपदा केन्द्रित एवं प्रौद्योगिकी संचालित रणनीति का विकास करते हुए एक सुरक्षित तथा आपदा से निपटने में पूर्ण सक्षम भारत का निर्माण करना शामिल हैं।

विषय सूची

		पृष्ठ संख्या
दृष्टिक्षेत्र		*v*
संक्षेपाक्षर		*ix*
1	प्रस्तावना	1
2	कार्यकलाप एवं उद्देश्य	5
3	विहंगावलोकन	9
4	नीति, योजनाएं और दिशानिर्देश	13
5	आपदा पूर्व तैयारी एवं सामुदायिक जागरूकता	27
6	आपदा जोखिम प्रशमन परियोजनाएँ	39
7	सूचना, संचार एवं पूर्व–चेतावनी प्रणालियाँ	47
8	राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बलः संकटकालीन कार्रवाई सुदृढ़ीकरण	49
9	विविध संबंधित विषय	61
10	प्रशासन एवं वित्त	65
11	अनुबंध - I	71
12	अनुबंध - II	73

संक्षेपाक्षर

ए.ई.आर.बी.	परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड
ए.ई.सी.	परमाणु ऊर्जा आयोग
ए.आर.सी.	प्रशासनिक सुधार आयोग
ए.आर.एम.वी.	दुर्घटना राहत चिकित्सा वैन
सी.बी.डी.आर.एम.	समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन
सी.बी.ओ.	समुदाय आधारित संगठन
सी.बी.आर.एन.	रासायनिक, जैविक, वैकिरणकी एवं नाभिकीय
सी.सी.ई.ए.	आर्थिक मामले संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति
सी.डी.	नागरिक रक्षा
सी.डी.एम.	रासायनिक आपदा प्रबंधन
सी.एम.ई.	सैन्य इंजीनियरी महाविद्यालय
सी.पी.एम.एफ.	केन्द्रीय अर्ध सैन्य बल
सी.आर.एफ.	आपदा राहत कोष
सी.एस.सी.	सामुदायिक सेवा केंद्र
सी.एस.एस.आर.	क्षतिग्रस्त संरचना संबंधी खोज एवं बचाव
डी.एम.	आपदा प्रबंधन
डी.पी.आर.	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
डी.आर.डी.ई.	रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान
डी.आर.डी.ओ.	रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन
ई.एफ.सी.	व्यय वित्त समिति
ई.ओ.सी.	संकटकालीन प्रचालन केंद्र
ई.ओ.आई.	रुचि की अभिव्यक्ति
ई.आर.सी.	संकटकालीन कार्रवाई केंद्र
ई.डब्ल्यू.	पूर्व–चेतावनी
एफ.आई.सी.सी.आई.	भारतीय उद्योग एवं वाणिज्य संगठन परिसंघ
जी.आई.एस.	भौगोलिक सूचना प्रणाली
जी.ओ.आई.	भारत सरकार
जी.एस.डी.एम.ए.	गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
हजकेम	खतरनाक रसायन/आपत्तिजनक रसायन
एच.पी.सी.	उच्चाधिकार समिति
आई.ए.एन.	एकीकृत एम्बुलेन्स नेटवर्क
आई.सी.पी.	घटना नियंत्रण चौकी
आई.सी.एस.	घटना कमान प्रणाली
आई.ई.सी.	सूचना, शिक्षा एवं संचार
आई.एम.सी.	अंतर मंत्रालयीन समिति
आई.एम.डी.	भारतीय मौसम विज्ञान विभाग

आई.एन.एस.ए.आर.ए.जी.	अंतर्राष्ट्रीय खोज एवं बचाव सलाहकार समूह
आई.एन.टी.ए.सी.एच.	भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक दाय ट्रस्ट
आई.टी.	सूचना प्रौद्योगिकी
एम.ए.एच.	वृहत दुर्घटना संकट
एम.एफ.आर.	चिकित्सा प्राथमिक सहायता कर्मी
एम.एच.ए.	गृह मंत्रालय
एम.ओ.डी.	रक्षा मंत्रालय
एम.ओ.एच.आर.डी.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
एम.ओ.यू.	समझौता ज्ञापन
एम.पी.एम.सी.एम.	चिकित्सा तत्परता एवं वृहत आपातकालीन प्रबंधन
एन.सी.सी.एफ.	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि
एन.सी.एम.सी.	राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति
एन.सी.आर.एम.पी.	राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना
एन.डी.सी.एन.	राश्ट्रीय आपदा संचार नेटवर्क
एन.डी.एम.ए.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
एन.डी.आर.एफ.	राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल
एन.डी.सी.आई.	राष्ट्रीय आपदा संचार आधारढांचा
एन.ई.सी.	राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति
एन.ई.आर.एम.पी.	राष्ट्रीय भूकंप जोखिम प्रशमन परियोजना
एन.एफ.आर.एम.पी.	राष्ट्रीय बाढ़ जोखिम प्रशमन परियोजना
एन.जी.ओ.	गैर–सरकारी संगठन
एन.आई.डी.एम.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
एन.एल.आर.एम.पी.	राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रशमन परियोजना
एन.एस.ए.	राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार
ओ.एफ.सी.	ऑप्टिकल फाइबर केबिल
पी.आई.बी.	सार्वजनिक निवेश बोर्ड
पी.पी.पी.	सार्वजनिक निजी सहभागिता
पी.आर.आई.	पंचायती राज संस्थाएं
पी.एस.एस.एम.एच.एस.	मनो–सामाजिक सहयोग एवं मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ
पी.टी.एस.डी.	पोस्ट–ट्रॉमेटिक तनाव विकार
आर.एंड.डी.	अनुसंधान एवं विकास
आर.एफ.पी.	प्रस्ताव हेतु अनुरोध
एस.एंड.टी.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
एस.डी.एम.ए.	राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
एस.डी.आर.एफ.	राज्य आपदा कार्रवाई बल
यू.एल.बी.	शहरी स्थानीय निकाय
यू.एम.एच.पी.	शहरी मानसिक चिकित्सा कार्यक्रम
यू.एस.ए.आई.डी.	संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण
यू.टी.	संघ राज्य क्षेत्र
डब्ल्यू.जी.	कार्य समूह

1 प्रस्तावना

प्रस्तावना

1.1 भारत विभिन्न प्रकार की आपदाओं व जोखिमों वाला देश है। इसका 28.2% से अधिक भौगोलिक भाग उच्च से ले कर अति उच्च तीव्रता के भूकम्प वाला है (क्षेत्र IV और V); इसकी भूमि का चार सौ लाख हैक्टेयर (12%) बाढ़ प्रवण तथा नदी अपरदित क्षेत्र है, इसके कुल 7516 कि.मी. तट में से 5700 कि.मी. चक्रवात और सुनामी प्रवण क्षेत्र है। इसके कृषि योग्य भूमि का 68% भाग सूखा–ग्रस्त है। इसका पर्वतीय क्षेत्र भूस्खलन और हिमस्खलन से प्रभावित रहता है। हाल ही में रासायनिक, जैविक, वैकिरणकी और नाभिकीय (सी.बी.आर.एन.) संकट और मानव निर्मित आपदाओं के खतरों में काफी वृद्धि हुई है।

1.2 भारत में आपदाओं के जोखिम का विस्तार जनांकीय तथा सामाजिक–आर्थिक दशाओं में तेजी से होने वाले बदलाव अनियोजित नगरीकरण, उच्च जोखिम क्षेत्रों में विकास, पर्यावरण–क्षरण, जलवायु में परिवर्तन, भौमकीय खतरा, संक्रामक बीमारियों तथा महामारी से जुड़े खतरों से हुआ है। यह स्पष्ट है कि ये सभी बातें ऐसे हालात बनाने में सहायक हैं जहाँ आपदाएं भारत की अर्थव्यवस्था, उसकी आबादी और दीर्घकालिक विकास को सीधे तौर पर गंभीरता से चुनौती देती हैं।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की उत्पत्ति

1.3 भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन के महत्त्व की तरफ राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में ध्यान दिया तथा अगस्त 1999 में एक उच्च अधिकार समिति का गठन और आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी पर सिफारिशें करने तथा कारगर प्रशमन प्रक्रमों का सुझाव देने के लिए गुजरात भूकम्प के पश्चात् राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति का गठन भी किया। इसके पश्चात् हिन्द महासागर में आई सुनामी के बाद भारत सरकार ने देश के विधायी इतिहास में एक ठोस कदम उठाया और आपदा प्रबंधन को मजबूत किया तथा भारत में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में समग्र और समेकित उपागम कार्यान्वित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन

1.4 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का गठन 30 मई, 2005 को भारत सरकार के कार्यकारी आदेशानुसार किया गया। तत्पश्चात 23 दिसम्बर, 2005 को अधिनियम का अधिनियमन किया गया और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत 27 सितम्बर, 2006 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को अधिसूचित किया गया।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का संघटन

1.5 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) के अध्यक्ष प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और उपाध्यक्ष जनरल एन.सी. विज, पी.वी.एस.एम, यू.वाई.एस.एम., ए.वी. एस.एम. (सेवानिवृत) हैं जिनके साथ आठ अन्य सदस्य हैं। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को केंद्रीय मंत्री का दर्जा प्राप्त है और प्राधिकरण के सदस्यों को केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है।

1.6 एन.डी.एम.ए. की प्रथम बैठक के दौरान यह तय किया गया कि केंद्रीय गृह मंत्री, वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष एन.डी.एम.ए. की बैठकों हेतु स्थायी रूप से आमंत्रित गण होंगे ताकि उनमें अच्छा तालमेल व नीति–निर्णयों के लिए सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध रहे।

क्र. सं.	सदस्य का नाम	प्रभाव क्षेत्र	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र
1.	ले.ज., (डॉ.) जे. आर. भारद्वाज पी.वी.एस.एम., ए.वी.एस.एम., वी.एस.एम., पी.एच.एस. (सेवानिवृत्त)	रासायनिक और जैविक आपदा, चिकित्सा पूर्व तैयारी और मनोवैज्ञानिक–सामाजिक देखभाल।	उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, हरियाणा, चंडीगढ़।
2.	श्री बी. भट्टाचार्यजी	नाभिकीय, वैकिरणकी, पूर्वानुमान, पूर्व चेतावनी और संचार, जी.आई.एस. और आई.टी., माइक्रोजोनेशन, ग्लोबल वार्मिंग (भूमंडलीय ताप वृद्धि) और जलवायु परिवर्तन।	राजस्थान, पंजाब, दादरा एवं नागर हवेली।
3.	डॉ. मोहन कांडा	राष्ट्रीय नीति और योजनाएं, बाढ़ भूस्खलन, हिमस्खलन और सूखा।	पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, सिक्किम।
4.	प्रो. एन विनोद चंद्र मेनन	भूकंप, सुनामी और गैर–सरकारी संगठन।	तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह।
5.	श्रीमती पी. ज्योति राव	समुदाय की आपदा संबंधी तैयारी, शिक्षा पाठ्यक्रम और राहत का न्यूनतम स्तर।	मध्य प्रदेश, कर्नाटक, लक्षद्वीप।
6.	श्री एम.एस. रेड्डी	चक्रवात, नगरीय बाढ़, जोखिम स्थानान्तरण (बीमा) और व्यष्टि स्तरीय (सूक्ष्म) वित्तपोषण।	आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, दमन और दीव।
7.	श्री के. एम. सिंह	राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल, जन चेतना (मीडिया)।	बिहार, पूर्वोत्तर राज्य, जम्मू और कश्मीर।
8.	श्री जे. के. सिन्हा	सिविल डिफेंस, एन.सी.सी.,एन.एस.एस., एन.वाई.के.एस., अग्नि शमन सेवा, घटना कमान प्रणाली, सार्वजनिक – निजी भागीदारी और प्रशिक्षण कृत्रिम अभ्यास/टेबल टॉप अभ्यास।	गुजरात, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, झारखंड।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) के सदस्यों का उत्तरदायित्व

1.7 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) के सदस्यों को उनकी विशेषज्ञता के अनुसार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ आपदा विशिष्ट प्रभाव क्षेत्र का कार्यभार सौंपा गया है।

एन.डी.एम.ए. सचिवालय

1.8 एन.डी.एम.ए. सचिवालय एक लघु एवं व्यावसायिक सूचना प्रौद्योगिकी युक्त भवन है। प्रबंधन अनिवार्यताओं को ध्यान में रखते हुए, नेमी प्रकृति वाले अधिकांश कार्यकलापों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से किया गया है। मई, 2008 में केंद्रीय सचिवालय द्वारा एन.डी.एम.ए के संगठनात्मक ढांचे को अनुमोदित किया गया। सचिवालय का अध्यक्ष एक सचिव हैं जिनके साथ पांच संयुक्त सचिव/सलाहकार हैं जिनमें एक वित्तीय सलाहकार है। दस संयुक्त सलाहकार (निदेशक स्तर) और चौदह सहायक सलाहकार (अवर सचिव स्तर) हैं जिनके साथ सहायक स्टाफ है। आपदा के एक विशेष प्रकार का विषय होने के कारण यह भी सुनिश्चित किया गया है कि अनुबंध आधार पर विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध रहें। संगठन को वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारियों द्वारा भी मदद मिलती है। एन.डी.एम.ए. में तैनात अधिकारियों का ब्योरा अनुबंध–II में दिया गया है।

एन.डी.एम.ए. की सलाहकार समिति

1.9 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के खण्ड (7) भाग के उप–खण्ड (1) अनुसार दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए एन.डी.एम.ए ने अपने लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया जिसके निम्नलिखित सदस्य हैं:

(i) सुश्री कुमुद बन्सल, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त)।

(ii) सुश्री सुषमा चौधरी, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त)।

(iii) प्रो. एस. के. दुबे, निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर।

(iv) प्रो. हर्ष गुप्ता, पूर्व निदेशक, राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद।

(v) श्री संजय हजारिका, मैनेजिंग ट्रस्टी, पूर्वोत्तर अध्ययन तथा नीति अनुसंधान केंद्र।

(vi) डॉ. पी. के. आयंगर, पूर्व अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग।

(vii) ले. जन. दविन्दर कुमार, पी.वी.एस.एम., वी.एस.एम., बी.ए.आर.(सेवानिवृत्त)।

(viii) श्री आलोक मुखोपाध्याय, मुख्य कार्यकारी, भारतीय स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ (वी.एच.ए.आई.।

(ix) डॉ. आर. के. पचौरी, महानिदेशक, ऊर्जा और संसाधन संस्थान।

(x) श्री आर.एस. प्रसाद, पूर्व अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग।

(xi) डॉ. डी.आर. सिक्का, पूर्व निदेशक, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटिरियोलॉजी।

(xii) ले.जन. वी. के. सूद, पी.वी.एस.एम., ए.वी.एस.एम. (सेवानिवृत्त), पूर्व सेना उप–प्रमुख।

1.10 सलाहकार समिति के गठन की अधिसूचना दिनांक 14 जून, 2007 को दी गई थी। सलाहकार समिति की समयावधि अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की है।

2 कार्यकलाप एवं उद्देश्य

एन.डी.एम.ए. के कार्यकलाप

2.1 भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष संस्था के रूप में एन.डी.एम.ए. मौजूद है जिस पर आपदाओं पर समयबद्ध और कारगर कार्रवाई को सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रबंधन हेतु नीति, योजना और दिशानिर्देश निर्दिष्ट करने की जिम्मेदारी है। इसके विधायी क्रियाकलापों में निम्न उत्तरदायित्व सम्मिलित हैं–

(क) आपदा प्रबंधन पर नीतियाँ बनाना।

(ख) भारत सरकार की राष्ट्रीय योजना और मंत्रालयों द्वारा राष्ट्रीय योजना के अनुसार तैयार योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करना।

(ग) राज्य योजना बनाने के लिए राज्य प्राधिकरण के पालन हेतु दिशानिर्देश तैयार करना।

(घ) विकास योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा रोकथाम और प्रभावों के प्रशमन के लिए किए जाने वाले कार्यों के समेकन के उद्देश्य से विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लिए दिशानिर्देश तैयार करना।

(ङ.) आपदा प्रबंधन की नीति और योजना के प्रवर्तन और क्रियान्वयन का समन्वयन।

(च) आपदा प्रशमन कार्यों के लिए धनराशि की व्यवस्था के लिए अनुशंसा करना।

(छ) केंद्र सरकार के निर्णय के अनुसार भयंकर आपदा से प्रभावित दूसरे देशों को इस तरह की सहायता प्रदान करना।

(ज) आपदा की चुनौती की स्थिति से निपटने के लिए अथवा जहां आपदा के खतरे की स्थिति में कार्रवाई आवश्यक हो वहां आपदा की रोकथाम या प्रशमन या पूर्व तैयारी और क्षमता निर्माण के लिए दूसरे जरूरी कदम उठाना।

(झ) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन.आई.डी.एम.) के क्रियाकलाप के लिए व्यापक नीतियाँ और दिशानिर्देश बनाना।

(ञ) आपदा की चुनौती की स्थिति या आपदा से बचाव तथा राहत सामग्री की व्यवस्था या आकस्मिक व्यवस्था के लिए संबंधित विभाग को प्राधिकृत करना।

(ट) चुनौतीपूर्ण आपदा स्थिति या आपदा से निपटने के लिए विशेष कार्रवाई के लिए अधिनियम के अन्तर्गत राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल का सामान्य पर्यवेक्षण, दिशा–निर्देशन या नियंत्रण करना।

(ठ) आपदा से प्रभावित व्यक्तियों हेतु राहत के न्यूनतम स्तर के लिए दिशानिर्देशों की अनुशंसा करना।

2.2 एन.डी.एम.ए. को सभी प्रकार की आपदाओं चाहे वे प्राकृतिक हों या मानवजनित, से निपटने के लिए अधिदेश प्राप्त है जबकि ऐसी अन्य आपातस्थितियों जिनमें सुरक्षा बलों तथा/अथवा आसूचना अभिकरणों की निकट संलिप्तता अपेक्षित है, जैसे आतंकवाद (बगावत से निपटना), कानून और व्यवस्था स्थिति, लगतार बम धमाकों, अपहरण, हवाई दुर्घटनाएं, सी.बी.आर.एन. हथियार सिस्टम, खान आपदाएं, पत्तन और बंदरगाह आपातस्थिति, जंगल की आग, तेल क्षेत्र की आग और तेल बिखरना का राष्ट्रीय संकटकाल प्रबंधन समिति (एन.सी.एम.सी.) अर्थात मौजूदा तंत्र द्वारा निपटाया जाएगा।

2.3 तथापि, एन.डी.एम.ए. सी.बी.आर.एन. आपातस्थितियों के बारे में दिशानिर्देश बनाएगा, प्रशिक्षण व्यवस्था करेगा और तैयारी कार्यकलाप करेगा। प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं हेतु विविध संबंधित विषयों जैसे चिकित्सा तैयारी, मनो–सामाजिक देखभाल और ट्रॉमा, समुदाय आधारित आपदा संबंधित तैयारी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण तैयारी, चेतना सृजन आदि पर एन.डी.एम.ए. द्वारा संबंधित भागीदार अभिकरणों की भागीदारी से ध्यान दिया जाएगा। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पास उपलब्ध संसाधनों जो आपातकालीन सहायता कार्यकलापों के लिए पूरी समर्थता रखते हैं, को सभी स्तरों पर आसन्न आपदा/आपदाओं की आपातकालीन स्थिति में किसी भी वक्त उनको देखने वाले नोडल मंत्रालयों/अभिकरणों को उपलब्ध करा दिया जाएगा।

एन.डी.एम.ए. का दृष्टिकोण

2.4 एन.डी.एम.ए. के अधिदेश के अनुसार दृष्टिकोण निम्नवत् है :

> **"आपदा प्रबधंन–रोकथाम, प्रशमन, तत्परता एवं कार्रवाई प्रेरित संस्कृति के माध्यम से समग्र, सक्रिय, बहु–आपद एवं प्रौद्योगिकी संचालित रणनीति का विकास करते हुए एक सुरक्षित तथा आपदा सुनम्य भारत का निर्माण करना है"।**

एन.डी.एम.ए. के लक्ष्य

2.5 एन.डी.एम.ए. के लक्ष्य निम्नानुसार हैं :

(क) सभी स्तरों पर ज्ञान, परिवर्तन और शिक्षा के माध्यम से समुत्थानशीलता, रोकथाम और पूर्व तैयारी की संस्कृति को बढ़ावा देना।

(ख) नवीनतम प्रौद्योगिकी, पारम्परिक बुद्धिमत्ता और पर्यावरण संरक्षण पर आधारित प्रशमन उपायों को प्रोत्साहित करना।

(ग) विकास मूलक नियोजन प्रक्रिया में आपदा प्रबंधन सरोकारों को समाविष्ट करना।

(घ) सक्षम विनियामक माहौल और अनुपालनकारी व्यवस्था का निर्माण करने के लिए सुचारु सांस्थानिक एवं प्रौद्योगिकी–वैधानिक ढाँचे को महत्त्व प्रदान करना।

(ङ.) आपदा जोखिमों की पहचान, आकलन और मॉनीटरिंग के लिए प्रभावी तंत्र का सुनिश्चयन।

(च) प्रत्युत्तर–पूर्ण और सुनिश्चित संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी सहायता के जरिये समकालीन पूर्वानुमान एवं शीघ्र चेतावनी प्रणाली का विकास करना।

(छ) समाज के असुरक्षित वर्गों की आवश्यकताओं के

अनुकूल प्रभावी अनुक्रिया और राहत सुनिश्चित करना।

(ज) आपदा–समुत्थान ढाँचों और आवास के निर्माण को एक अवसर के रूप में मानते हुए पुनर्निर्माण कार्य आरम्भ करना।

(झ) आपदा प्रबंधन में मीडिया के साथ उपयोगी एवं सक्रिय साझेदारी को बढ़ावा देना।

आपदा प्रबंधन में आमूल–चूल परिवर्तन

2.6 एक विशिष्ट आपदा प्रबंधन चक्र में छः तत्व सम्मिलित होते हैं जिनमें आपदा पूर्व चरण में बचाव, प्रशमन तथा पूर्व तैयारी सम्मिलित हैं। जबकि आपदा पश्चात् चरण में प्रत्युत्तर, पुनर्वास, पुनर्निर्माण और पुनर्बहाली सम्मिलित हैं। एक कानून और संस्थात्मक संरचना इन सब तत्वों को एक सूत्र में बांधती है।

आपदा प्रबंधन चक्र

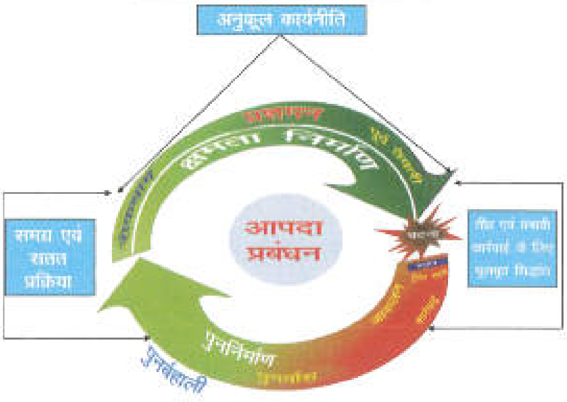

2.7 राष्ट्रीय स्तर पर प्रारम्भिक केंद्रीय राहत प्रतिक्रिया से रोकथाम, प्रशमन और पूर्व तैयारी के सिद्धांत के लिए यह एक आमूल–चूल परिवर्तन होगा। ये प्रयत्न विकास लाभ को आरक्षित रखेंगे तथा जीवन, संपत्ति और आजीविका की हानियों को न्यून करेंगे।

3 विहंगावलोकन

मुख्य पहल कार्य

3.1 समीक्षाधीन अवधि के दौरान एन.डी.एम.ए. ने आपदा समुत्थानशीलता के लिए निम्नलिखित पहल कार्य किए :

(क) आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति का निर्माण।

(ख) दिशानिर्देश तैयार करना।

(ग) क्षमता विकास और तैयारी संबंधी कार्य।

(घ) प्रशमन परियोजनाएं।

(ङ.) संकटकालीन कार्रवाई सुदृढ़ीकरण हेतु एन.डी.आर.एफ. का प्रचालनीकरण।

(च) चेतना अभियान।

(छ) कृत्रिम अभ्यास (मॉक एक्सरसाइज)।

नीति, योजनाएं और दिशानिर्देश

3.2 गृह मंत्रालय और विभिन्न भागीदार अभिकरणों के बीच परामर्शों की एक दीर्घकालिक प्रक्रिया के बाद आपदा प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय नीति का मसौदा तैयार किया। अंतिम मसौदा केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन के लिए गृह मंत्रालय के पास है। गृह मंत्रालय के परामर्श से यह भी तय किया गया कि राष्ट्रीय नीति का तीन भागों में सूत्रीकरण किया जाएगा : (i) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति (एन.ई.सी) द्वारा राष्ट्रीय कार्रवाई योजना तैयार की जानी है, (ii) संबंधित मंत्रालयों द्वारा राष्ट्रीय प्रशमन योजना तैयार की जानी है तथा (iii) राष्ट्रीय क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास योजना राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा तैयार की जानी है।

3.3 वर्ष 2008–09 की अवधि के दौरान, एन.डी.एम.ए. ने तीन आपदा–विशिष्ट और विषयक दिशानिर्देश जारी किए जो नामतः (i) चक्रवात संबंधी प्रबंधन पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश, (ii) जैविक आपदा संबंधी प्रबंधन पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश तथा (iii) नाभिकीय एवं वैकिरणकी संकट (अवर्गीकृत–भाग–I) पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश। एन.डी.एम.ए. ने रासायनिक (आतंकवाद) मनो–सामाजिक सहायता और मानसिक चिकित्सा सेवाओं, नगरीय बाढ़, भूस्खलन और हिमस्खलन और राहत के न्यूनतम स्तरों पर भी अनेक कार्यशालाओं का संयोजन किया। प्रत्येक विषय के विशेषज्ञों के प्रमुख समूह का गठन किया गया ताकि एन.डी.एम.ए. को इन आपदाओं के कारगर प्रबंधन के लिए दिशानिर्देशों की तैयारी में मदद मिले सके। विभिन्न प्रकार की आपदाओं पर इन महत्त्वपूर्ण समूहों की बैठकों को आयोजित किया गया ताकि इन आपदाओं के प्रबंधन में मौजूद महत्त्वपूर्ण कमियों की पहचान की जा सके और आपदा संबंधी तैयारी, प्रशमन और संकटकालीन कार्रवाई की कारगरता को बढ़ाने के लिए रणनीतियां तय की जा सकें।

क्षमता विकास और तैयारी संबंधी पहल कार्य

3.4 आपदा प्रबंधन हेतु तैयारी बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रमों को प्रारंभ किया गया है जिनमें चिकित्सा तैयारी, नागरिक रक्षा ढांचे और अग्निशमन सेवा का नवीनीकरण, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन (सी.बी.डी.एम.) और सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) शामिल हैं। इन उपायों के अलावा, कई वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकियों प्रयासों के माध्यम से देश में पूर्व चेतावनी और तैयारी उपायों में वृद्धि के लिए भी कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं।

प्रशमन परियोजनाएं

3.5 आपदा प्रबंधन के रूपान्तरण को पूरी तरह स्वीकार करते हुए एन.डी.एम.ए. अनेक आपदा प्रशमन परियोजनाएँ आरम्भ कर रहा है। विश्व बैंक की भागीदारी से राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना कार्यान्वयन के अग्रिम चरणों में है जिसमें 13 चक्रवात संवेदी राज्य/संघ क्षेत्र सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त अन्य परियोजनाएँ जो नियोजन के विभिन्न चरणों में हैं, इस प्रकार है: राष्ट्रीय भूकम्प जोखिम प्रशमन परियोजना, आपदा पीड़ित समुदायों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रशमन रिजर्व का निर्माण, चिकित्सीय तैयारी और बड़ी दुर्घटना संबंधी प्रबंधन, राष्ट्रीय आपदा संचार नेटवर्क, राष्ट्रीय बाढ़ जोखिम प्रशमन परियोजना, राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रशमन परियोजना, विद्यालय सुरक्षा हेतु प्रायोगिक परियोजना आदि। इसके अलावा माइक्रोजोनेशन, जोखिम आकलन और अति संवेदनशीलता विश्लेषण सम्बन्धी अध्ययन आरम्भ किए हैं।

राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल

3.6 अगस्त–सितम्बर, 2008 में बिहार में कोसी नदी में अप्रत्याशित बाढ़ आई। राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल (एन.डी.आर.एफ.) जो आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के धारा 44 और 45 के उपबंधों के अधीन गठित एक बल है, ने भयंकर पैमाने पर घटित इस त्रासदी का चुनौती से सामना किया और हजारों लोगों की कीमती जानें बचाकर बचाव और राहत अभियानों का कुशल संचालन किया। आपदाओं के दौरान विशेष कार्रवाई के अलावा, एन.डी.आर.एफ. ने वर्ष 2008–09 के दौराज राज्य आपदा कार्रवाई बल, पुलिस और अन्य प्रथम कार्रवाईकर्ताओं को बुनियादी और प्रचालनात्मक स्तर का प्रशिक्षण देकर भी सामुदायिक प्रशिक्षण और तैयारी कार्यक्रमों में सहयोग प्रदान किया। एन.डी.आर.एफ. की टीमों को इस अवधि में आसन्न आपदा स्थिति के दौरान भी सक्रिय रूप से तैनात किया गया।

चेतना अभियान

3.7 चेतना और आपदा से निपटने की तैयारी संबंधी अभियान आपदा प्रबंधन पर सकारात्मक दृष्टिकोण के मुख्य घटक हैं। राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर इलैक्ट्रॉनिक और प्रिन्ट माध्यमों के जरिए भूकम्प और चक्रवात पर केन्द्रित दो अभियान व्यापक पैमाने पर आरम्भ किए गए हैं। इन अभियानों से समुदाय और भागीदार अभिकरणों के बीच व्यापक जागरूकता पैदा हुई है। इन अभियानों के अलावा, एन.डी.एम.ए. ने गणतंत्र दिवस परेड, 2009 के दौरान एक मनमोहन झॉकी का प्रदर्शन भी किया।

कृत्रिम (मॉक) अभ्यास

3.8 सरकार और गैर–सरकारी संगठनों के बीच संबंधी तैयारी की संस्कृति को आत्मसात् करने और समुदाय तक पहुँचने के लिए देश भर में विभिन्न प्रकार की आपदाओं–भूकम्प, चक्रवात, बाढ़, आगजनी और रासायनिक (औद्योगिक) आपदाओं पर अनेक टेबलटॉप और कृत्रिम अभ्यास की योजना बनाई गई है। इन मॉक अभ्यासों ने लोगों में इसके प्रति दिलचस्पी, चेतना और उत्साह देखा गया और जमीनी स्तर पर लोगों द्वारा बड़े स्तर पर भागीदारी की गई। भागीदार अभिकरणों द्वारा प्रतिकारी कार्रवाई के लिए तैयार

की कार्रवाई में मौजूद महत्त्वपूर्ण कमियों की पहचान की गई है। इससे भागीदार अभिकरणों को उनकी भूमिका के प्रति संवेदनशील बनाने, समन्वयन बढ़ाने और विभिन्न संकटकालीन सहायता संबंधी कार्यकलापों के लिए अच्छा तालमेल रखने में भी सहायता मिली।

प्रख्यात व्यक्तियों/संस्थाओं के साथ परिचर्चा

3.9 इस रिपोर्ट के अधीन अवधि के दौरान, एन.डी.एम.ए. के उपाध्यक्ष और सदस्यों के साथ अनेक प्रख्यात व्यक्तियों/संस्थाओं की परिचर्चा आयोजित की गई।

i. 2 अप्रैल, 2008 को नागरिक रक्षा सलाहकार समिति के साथ एन.डी.एम.ए. के उपाध्यक्ष और सदस्यों तथा वरिष्ठ अधिकारियों की परिचर्चा आयोजित की गई।

ii. उपाध्यक्ष, एन.डी.एम.ए. ने डॉ. (श्रीमती) सैयदा हमीद, सदस्य, योजना आयोग के साथ दिनांक 11 अप्रैल, 2008 को एक बैठक की।

iii. उपाध्यक्ष, एन.डी.एम.ए. ने श्री सोमनाथ चटर्जी, माननीय अध्यक्ष, लोक सभा से दिनांक 15 मई, 2008 को मुलाकात की।

iv. एन.डी.एम.ए. के उपाध्यक्ष और सदस्यों ने दिनांक 19 मई, 2008 को 13वें वित्त आयोग के साथ परिचर्चा आयोजित की।

v. दिनांक 19 मई, 2008 को एन.डी.एम.ए. के उपाध्यक्ष और सदस्यों के साथ श्री नीतीश मिश्रा, माननीय आपदा प्रबंधन मंत्री, बिहार सरकार ने मुलाकात की।

vi. एन.डी.एम.ए. के उपाध्यक्ष और सदस्यों ने दिनांक 22 मई, 2008 को श्री मोंटेक सिंह आहलूवालिया, उपाध्यक्ष, योजना आयोग से मुलाकात की।

vii. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के डॉ. कैथलीन क्रेवरो ने दिनांक 22 मई, 2008 को एन.डी.एम.ए. के उपाध्यक्ष और सदस्यों से मुलाकात की।

viii. दिनांक 02 जून, 2008 को एन.डी.एम.ए. के उपाध्यक्ष और सदस्यों से विश्व बैंक के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की।

ix. श्री पीटर ऑफोफ, अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रीसेंट सोसायटीज़ फेडरेशन ने दिनांक 03 जुलाई, 2008 को उपाध्यक्ष और सदस्यों से मुलाकात की।

x. यूनीसेफ के श्री स्टोजानोविक ने दिनांक 03 जुलाई, 2008 को एन.डी.एम.ए. में आए और एन.डी.एम.ए. के सदस्यों और विशेषज्ञों से बातचीत की।

xi. श्री आर.के. त्यागी, मुख्य प्रबंध निदेशक, पवन हंस हेलिकॉप्टर्स लिमिटेड ने दिनांक 29 अगस्त, 2008 को एन.डी.एम.ए. के उपाध्यक्ष और सदस्यों से मुलाकात की।

xii. एन.डी.एम.ए. के उपाध्यक्ष और सदस्यों ने श्री नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री, बिहार से दिनांक 1 सितम्बर, 2008 को पटना में कोसी बाढ़ स्थिति पर चर्चा की।

xiii. दिनांक 12 सितम्बर, 2008 को कोसी बाढ़ के बारे में माननीय प्रधानमंत्री के साथ एन.डी.एम.ए. की बैठक हुई।

xiv. उपाध्यक्ष, एन.डी.एम.ए. ने दिनांक 05 नवम्बर, 2008 को श्री प्रणब मुखर्जी, तत्कालीन रक्षा मंत्री के साथ परिचर्चा की।

xv. श्री ए.के. रातवानी, मुख्य प्रबंध निदेशक, ई.पी.आई.एल. ने दिनांक 07 नवम्बर, 2008 को एन.डी.एम.ए. के उपाध्यक्ष और सदस्यों के साथ मुलाकात की।

xvi. उपाध्यक्ष, एन.डी.एम.ए. ने श्री शिवराज वी. पाटिल, तत्कालीन गृह मंत्री के साथ दिनांक 14 नवम्बर, 2008 को परिचर्चा की।

4 नीति, योजनाएं और दिशानिर्देश

आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति तैयार करना

4.1 आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति एक मूलभूत परिवर्तन दिखाती है जहाँ फोकस प्रारम्भिक "कार्रवाई–केंद्रित दृष्टिकोण" के स्थान पर अब आपदा के समग्र प्रबंधन की ओर हुआ है तथा यह नीति रोकथाम, पूर्व तैयारी तथा प्रशमन पर जोर देती है। नीति दस्तावेज सहयोग प्रक्रिया पर आधारित है तथा इसमें प्रासंगिक सुझाव और अनुशंसाओं को शामिल किया गया है जो आपदा प्रबंधन को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में स्थापित करने के हमारे राष्ट्रीय प्रयास को एक सत्य सुनिश्चित दस्तावेज मानने की सिफारिश करते हैं।

4.2 प्रारंभिक नीति दस्तावेज पर डॉ. एम.सी.आर. एच. आर.डी. इंस्टीट्यूट, हैदराबाद में आयोजित एक राष्ट्रीय परामर्श कार्यशाला में विस्तृत विचार–विमर्श हुआ और बाद में, बड़ी संख्या में भागीदार अभिकरणों के साथ कई परामर्श किए गए। नीति दस्तावेज पर गृह मंत्रालय में भी कई बार बारीकी से परिचर्चा की गई और अंतिम दस्तावेज में सभी सुझावों को शामिल किया गया है। नीति का अंतिम मसौदा इससे पहले कि इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाए, अब राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में परिचालन के अंतर्गत है।

राष्ट्रीय नीति

4.3 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 11 में प्रावधान है कि, "पूरे देश के आपदा प्रबंधन हेतु एक योजना तैयार की जाएगी जिसे राष्ट्रीय योजना कहा जाएगा। राष्ट्रीय योजना एन.ई.सी. द्वारा राष्ट्रीय नीति के हिसाब से तथा राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन किए जाने वाले आपदा प्रबंधन के क्षेत्र के संबंधित विशेषज्ञ निकायों या संगठनों और राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार की जाएगी।"

4.4 गृह मंत्रालय के साथ परिचर्चाओं के बाद, यह तय किया गया कि समग्र राष्ट्रीय योजना में तीन योजनाएं शामिल होंगी जो निम्नानुसार हैं :

(क) राष्ट्रीय कार्रवाई योजना : सभी प्रकार की आपदाओं को शामिल करते हुए सभी केंद्रीय मंत्रालय/विभाग और संबंधित अभिकरण इस योजना में सम्मिलित हैं। गृह मंत्रालय में एन.ई.सी. द्वारा बनाई गए एक अंतर–मंत्रालयीन केंद्रीय टीम इस योजना को तैयार करेगी।

(ख) प्रशमन और तैयारी योजनाएं : ये योजनाएं विभिन्न आपदाओं को विशेष रूप से शामिल करते हुए विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और अन्य अभिकरणों द्वारा तैयार की जानी हैं।

(ग) राष्ट्रीय मानव संसाधन और क्षमता निर्माण योजना : यह योजना अनेक क्षेत्रीय/विषयक प्रशिक्षणों की शिक्षण और क्षमता निर्माण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए एन.आई.डी.एम. द्वारा तैयार की जानी है।

4.5 राष्ट्रीय योजना के सूत्रीकरण पर एन.डी.एम.ए. में विस्तार से विचार–विमर्श के बाद, सभी तीनों योजनाओं की एक प्रस्तावित रूपरेखा तैयार की गई। राष्ट्रीय कार्रवाई योजना और राष्ट्रीय प्रशमन तथा तैयारी योजना के प्रारूपों को क्रमशः दिनांक 10 जुलाई और 27 अगस्त, 2008 को गृह मंत्रालय को अग्रेषित कर दिया गया। राष्ट्रीय क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास योजना की तैयारी के लिए प्रस्तावित प्रारूप को दिनांक 08 सितम्बर, 2008 को एन.आई.डी.एम. के पास भेज दिया गया।

दिशानिर्देश

4.6 योजनाओं में उद्देश्यों को रूपांतर करने के लिए एन.डी.एम.ए. ने राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तरों पर कार्यरत विभिन्न संस्थाओं (प्रशासनिक, अकादमिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी) की मदद से अनेक प्रयासों को शामिल करते हुए एक मिशन आधारित तरीका अपनाया है। नीतिगत व्यवस्था के अंतर्गत दिशानिर्देशों के विकास में सभी दूसरे भागीदार अभिकरणों के साथ–साथ केंद्रीय मंत्रालय व विभागों और राज्यों को शामिल किया गया। दिशानिर्देश को तैयार करने में 18 से 24 माह का न्यूनतम समय लगता है जो विषय की गहनता पर निर्भर करता है। दिशानिर्देश की तैयारी के तरीके में भागीदार अभिकरणों के साथ भागीदारपूर्ण और परामर्शी प्रक्रिया वाले 'नौ चरण' होंगे जिन्हें चित्र 4.1 में दिखाया गया है।

4.7 एन.डी.एम.ए. ने पिछले वर्षों के दौरान निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए हैं –

- एन.आई.डी.एम. के लिए दिशानिर्देश –13 अप्रैल, 2006
- दिसम्बर, 2006 की अग्निशमन सेवा और नागरिक रक्षा के सेटअप का नवीनीकरण
- भूकम्प संबंधी – 16 मई, 2007
- रासायनिक (औद्योगिक) आपदाएँ संबंधी – 28 मई, 2007
- राज्य आपदा प्रबंधन योजना के निर्माण संबंधी – 16 अगस्त, 2007
- चिकित्सा पूर्व तैयारी और बड़ी दुर्घटना प्रबंधन संबंधी – 14 नवम्बर, 2007
- बाढ़ संबंधी –17 जनवरी, 2008

वर्ष 2008–09 के दौरान तैयार और जारी किए गए दिशानिर्देश

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश–चक्रवात प्रबंधन

4.8 चक्रवात प्रबंधन पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों का सूत्रीकरण एक "नौ–चरणीय प्रक्रिया का, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की पूर्ण भागीदारी एवं सहयोग से, प्रयोग करते हुए किया गया है। प्रक्रिया में वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाओं, शिक्षाविदों, तकनीक–तंत्री (टेक्नोक्रेट) और लोकोपकारी संगठनों के साथ व्यापक परामर्शों को भी शामिल किया गया है। मसौदा दिशानिर्देश दस्तावेज का परिचालन सभी मंत्रालयों/विभागों को उनके फीडबैक के लिए किया गया था। सभी कार्योपयोगी सुझावों को दिशानिर्देश में समाविष्ट किया गया। ये दिशानिर्देश एक अधिक सकारात्मक आपदा–पूर्व तैयारी और प्रशमन केंद्रित दृष्टिकोण की ओर बढ़ने के राष्ट्रीय दृष्टिक्षेत्र को मजबूत करने के लिए सभी भागीदार अभिकरणों के समूहों को जोड़ने वाले एक भागीदारीपूर्ण नजरिए की मांग करते हैं। इनमें वे सभी ब्योरे शामिल हैं जो योजनाकारों और कार्यान्वयनकर्ताओं के लिए जरूरी हैं और इनसे केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा योजनाओं की तैयारी में मदद मिलेगी

चित्र 4.1

दिशानिर्देश को बनाने की प्रक्रिया

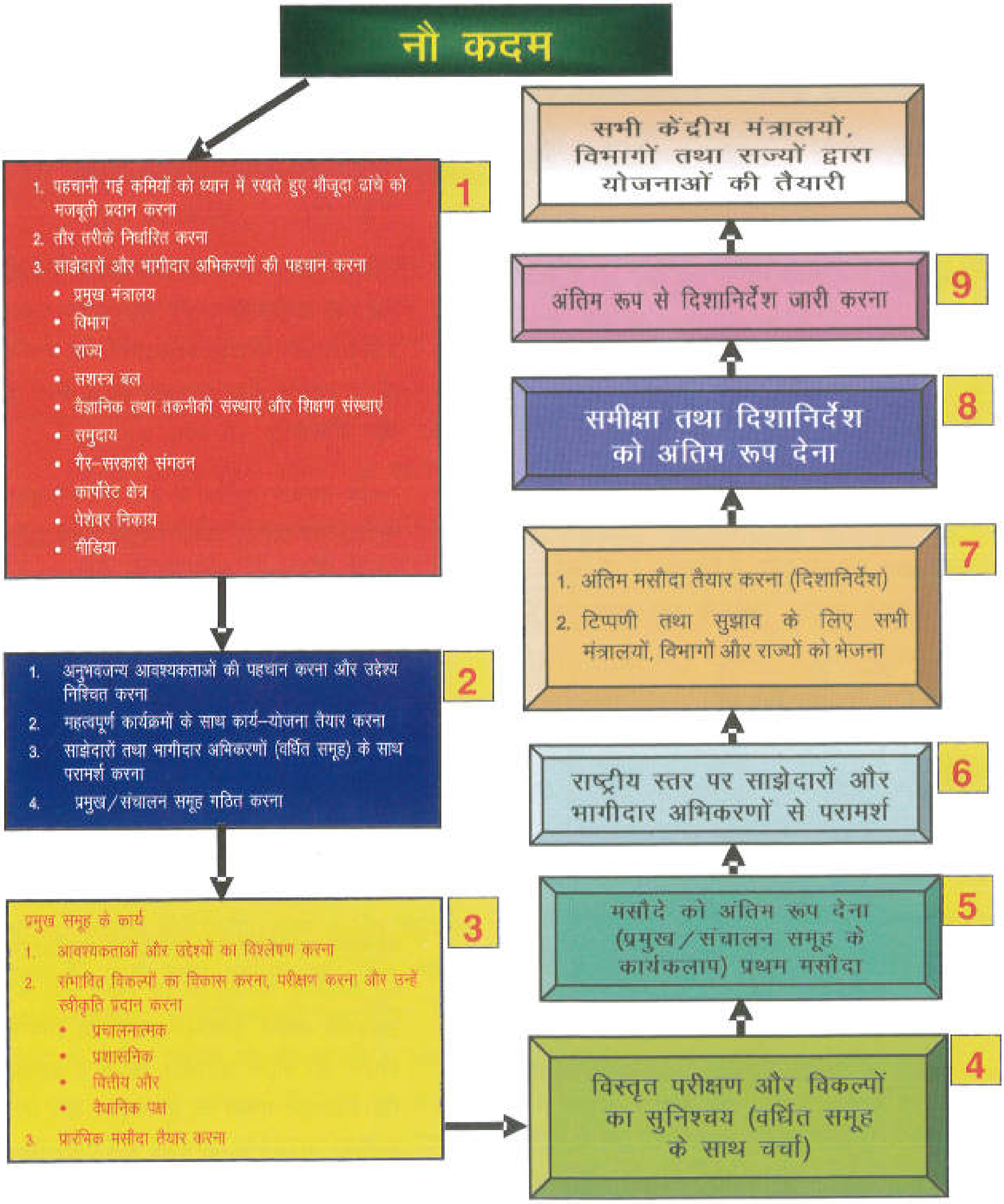

श्री कपिल सिब्बल, माननीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री द्वारा "चक्रवात प्रबंधन पर दिशानिर्देश" का विमोचन, साथ में श्री एन.सी. विज, पी.वी.एस.एम., यू.वाई.एस.एम., ए.वी.एस.एम. (सेवानिवृत्त), उपाध्यक्ष, एन.डी.एम.ए. तथा श्री एम. शशिधर रेड्डी, सदस्य, एन.डी.एम.ए. भी उपस्थित हैं।

4.9 दिनांक 24 अप्रैल, 2008 को चक्रवात प्रबंधन पर राष्ट्रीय आपदा प्रबधंन दिशानिर्देश का विमोचन श्री कपिल सिब्बल, माननीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री द्वारा किया गया। तत्पश्चात, ये दिशानिर्देश दिनांक 24 सितम्बर, 2008 को आंध्र प्रदेश में हैदराबाद में डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी, माननीय मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश द्वारा भी राज्य में पदाधिकारियों को चक्रवात विषय के प्रति संवेदी बनाने के लिए, विमोचित किए गए।

डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी, माननीय मुख्यमंत्री, हैदराबाद में चक्रवात संबंधी दिशानिर्देश का विमोचन करते हुए साथ में जनरल एन.सी. विज, पी.वी.एस.एम., यू.वाई.एस.एम., ए.वी.एस.एम. (सेवानिवृत्त), उपाध्यक्ष एन.डी.एम.ए. तथा श्री एम. शशिधर रेड्डी, सदस्य, एन.डी.एम.ए. भी उपस्थित हैं।

चक्रवात पर दिशानिर्देशों की मुख्य बातें

4.10 इन दिशानिर्देशों में समाधान के अन्तर्गत शामिल मुख्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं :

i. एक अत्याधुनिक चक्रवात पूर्व–चेतावनी प्रणाली की स्थापना जिसमें अवलोकन, पूर्वानुमान, चेतावनी और प्रयोक्ता अनुकूल परामर्शी समिति मौजूद हो।

ii. "आपदा जिला संचार आधारढांचा" (एन.डी.सी.आई.) को राष्ट्रीय राज्य और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और संबंधित प्राधिकारियों को समर्पित और बाधारहित संचार व्यवस्था प्रदान करने का काम सौंपना।

iii. "सर्वत्र संपर्कता" सुविधा के द्वारा चेतावनी प्रसार व्यवस्था का विस्तार करना जिसमें संपूर्ण तटीय क्षेत्र में वी.एच.एफ. प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जन संबोधन प्रणाली की व्यवस्था शामिल होगी। ऐसा वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित सभी अन्य विकल्पों को एकत्रित करके किया जाएगा।

iv. सभी 13 तटीय क्षेत्र वाले राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना का कार्यान्वयन।

v. महत्त्वपूर्ण आधारढांचे का संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण, बहु–उद्देश्यीय चक्रवात आश्रय स्थलों और पशु रखने के स्थानों (कैटल माउंड) का निर्माण, ग्रामीण और शहरी आवासीय स्कीमों में चक्रवात रोधी डिजाइन मानकों का सुनिश्चयन, सभी तरह के मौसम के लिए सड़क संपर्क जैसे पुल, पुलिया और खारे जल वाले तालाब–पुश्तों (सेलाइन एम्बैंकमेंट) आदि का निर्माण करना।

vi. तटीय आर्द्र भूमि का मानचित्रण और वर्णन, कच्छ वनस्पति (मैन्ग्रोव) और आश्रय क्षेत्रों का मरम्मत कार्य तथा दूर–संवेदी उपकरणों पर आधारित जैव–परिरक्षक क्षेत्र को बढ़ाने के लिए क्षमतापूर्ण क्षेत्रों की पहचान आदि उपायों को शामिल करने के लिए तटीय क्षेत्रों का प्रबंधन।

vii. जलवायु परिवर्तन के असर का अध्ययन करने के लिए एक विशेष पारिस्थितिकी–तंत्र अनुवीक्षण नेटवर्क की स्थापना।

viii. आपदा प्रबंधन के सभी चरणों को शामिल करने वाली एक संपूर्ण "चक्रवात आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली" (सी.डी.एम.आई.एस.) की स्थापना।

ix. चक्रवात जोखिमों से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए एक तटीय क्षेत्र के राज्य में एक "राष्ट्रीय चक्रवात आपदा प्रबंधन संस्थान" की स्थापना।

x. महत्त्वपूर्ण अवलोकनात्मक आंकड़ों की कमियॉं दूर करने और चक्रवात मार्ग, उसकी प्रहार क्षमता और स्थलावतरण संबंधी भविष्यवाणी में त्रुटि के मार्जिन में भारी कमी लाने के लिए "चक्रवात की हवाई जांच (ए.पी.सी.) सुविधा" की व्यवस्था।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश – जैविक आपदा प्रबंधन

4.11 हालिया वर्षों में, जैव–आंतकवाद सहित जैविक आपदाएँ एक गंभीर खतरे के रूप में सामने आई, क्योंकि ये स्वास्थ्य, पर्यावरण और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा संकट है। हमारी खाद्य शृंखला तथा कृषीय क्षेत्र को कृषीय–आतंकवाद से जोखिम और असुरक्षितता जिनमें सामाजिक–आर्थिक स्थिरता को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से पौधों और पशुओं में रोगजनक (पैथोजन) का कपटपूर्ण इस्तेमाल शामिल हैं, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए दिनोंदिन एक तगड़ी चुनौती बनती जा रही है। हमारे उपमहाद्वीप और उससे बाहर को कुप्रभावित करने वाली इस महामारी की काली छाया ने सरकार और समाज की कुशलता और क्षमताओं के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। परिणामतः, जैविक आपदाओं के सभी प्रकारों पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों का बनाया जाना हमारे प्रमुख विचाराधीन क्षेत्रों में से एक रहा है जिसके पीछे हमारा उद्देश्य ऐसे उभरने वाले खतरों के प्रति कारगर कार्रवाई के लिए हमारी समुत्थानशीलता का निर्माण करना है।

4.12 इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य किसी संकटकालीन स्थिति में एक तीव्र और कारगर कार्रवाई के लिए रोकथाम, प्रशमन और तैयारी की एक संस्कृति के माध्यम से जैविक आपदाओं के प्रबंधन हेतु एक समग्र, समन्वित, सकारात्मक और प्रौद्योगिकी संचालित रणनीति विकसित करना है। इस दस्तावेज में तैयारी कार्यकलाप, जैव–सुरक्षा और जैव सुरक्षोपाय, क्षमता निर्माण, विशिष्टीकृत स्वास्थ्य देखभाल और प्रयोगशाला सुविधाएं, विधायी/विनियामक ढांचे का सुदृढ़ीकरण, मनो–चिकित्सीय सहायता, कार्रवाई पुनर्वास और पुनर्बहाली आदि के लिए संपूर्ण दिशानिर्देश शामिल हैं। इन दिशानिर्देशों में, एक समयबद्ध तरीके से केंद्रीय मंत्रालय/विभागों, राज्यों, जिलों और अन्य भागीदार अभिकरणों द्वारा दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के लिए तौर–तरीकों को विशेष रूप से निर्दिष्ट किया गया है।

4.13 इन दिशानिर्देशों का विमोचन श्री शिवराज वी. पाटिल, माननीय गृह मंत्री द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2008 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ.) भवन, नई दिल्ली में 350 से अधिक उच्चाधिकारियों की उपस्थिति में किया गया। इन दिशानिर्देशों से विभिन्न भागीदार अभिकरणों को जैविक आपदा प्रबंधन के लिए कार्य योजना तैयार करने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय स्तर पर नोडल मंत्रालय योजना बनाने के लिए उत्तरदायी बना रहेगा।

श्री शिवराज वी. पाटिल, माननीय गृह मंत्री दिनांक 22 अगस्त, 2008 को जैविक आपदा प्रबंधन पर दिशानिर्देशों के विमोचन के अवसर पर, साथ में जन.एन.सी. विज, उपाध्यक्ष और ले. जन. जे. आर. भारद्वाज, सदस्य, ए.डी.एम.ए. भी हैं।

जैविक आपदा प्रबंधन पर दिशानिर्देशों की मुख्य बातें

4.14 इन दिशानिर्देशों में निम्नलिखित मुख्य मुद्दों का समाधान किया गया है :

i. केंद्रीय/राज्य/जिला/स्थानीय स्तरों पर "सभी खतरों से बचाव दृष्टिकोण पर आधारित विधायी रूपरेखा का निर्माण।

ii. एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम, आसूचना जानकारी एकत्रण और जानकारी की जरुरत के आधार पर सूचना को बांटा जाना, भेषज संबंधी और भेषज–भिन्न संबंधी हस्तक्षेपों जैसे निवारक उपायों को मजबूत करना।

iii. आपातकालीन चिकित्सा और जन स्वास्थ्य कल्याण, बिस्तरों की संख्या में आपातस्थिति हेतु वृद्धि चिकित्सा एवं अन्य संभारतंत्र के सहयोग से प्रशिक्षित प्रथम चिकित्सीय मददगार/ त्वरित चिकित्सा कार्रवाई दल हेतु व्यवस्था संबंधी अस्पताल आपदा प्रबंधन योजनाओं को विकसित किया जाएगा।

iv. विशेष सुविधाओं जिनमें पर्याप्त वैयक्तिक सुरक्षा उपकरण, मोबाइल नैदानिक प्रयोगशालाओं, वैक्सीन और एंटीबॉयटिक, अनिवार्य दवाएँ और राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल और राज्य आपदा कार्रवाई बल की विशेष टीमें शामिल है, से सुसज्जित संकटकालीन प्रचालन केंद्रों की स्थापना।

v. महत्त्वपूर्ण ढांचागत विकास जिसमें राज्य/जिला/स्थानीय स्तर पर सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के आधार पर महत्त्वपूर्ण स्थानों पर मोबाइल अस्पताल, ब्लड बैंक, जैव–सुरक्षा प्रयोगशालाएं, नैदानिक नेटवर्क, जन स्वास्थ्य तथा डी.एन.ए. जांच प्रयोगशालाएं और शव गृह सुविधाएं जैसी विशेष सुविधाओं की व्यवस्था शामिल है।

vi. स्वदेशी परिस्थितियों के लिए उचित रूप से अनुकूल और संशोधित वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाकर नए अनुसंधान और विकास मॉडलों तथा शीघ्र जांच सुविधाओं का विकास कार्य।

vii. राष्ट्रीय स्तर पर महामारी के विरूद्ध बहु–क्षेत्रीय तैयारी योजनाओं का विकास और व्यापार निरंतरता और अनिवार्य सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली–विज्ञान और क्षेत्रीय सहयोग के लिए तंत्र स्थापना।

viii. मानव संसाधन विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं समन्वयन में वृद्धि, प्रशिक्षण एवं शिक्षा,, मानकीकृत प्रलेखन प्रक्रियाएं और जैव–सुरक्षा, जैव–सावधानी तथा जैव–जोखिम से निपटने हेतु अनुसंधान एवं विकास उपाय।

ix. जोखिम और असुरक्षितता आकलन, जैविक आपदाओं के दौरान क्षमता विकास और पशुधन का प्रबंधन।

x. कृषीय–आतंकवाद के विरूद्ध तैयारी, उसका नियंत्रण और प्रबंधन।

नाभिकीय और वैकिरणकी संकट संबंधित प्रबंधन पर दिशानिर्देश भाग–1 (अवर्गीकृत)

4.15 चूँकि हमारे देश के पास नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोगों हेतु व्यापक एवं विभिन्न कार्यक्रम हैं, इसलिए हमारे संदर्भ में नाभिकीय और वैकिरणकी संकट संबंधित प्रबंधन पर दिशानिर्देशों का बहुत महत्त्व है। यद्यपि हमारे सभी नाभिकीय प्रतिष्ठानों में सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण अचूक व्यवस्थाओं का एक वांछनीय और त्रुटिहीन रिकार्ड रहा है, फिर भी मानवीय भूल, सिस्टम असफलता, तोड़–फोड़, भूकंप और आतंकवादी हमलों जिनसे आबादी के बीच रेडियोधर्मी सामग्री फैलती हो, की कितनी भी क्षीण संभावना हो, उससे इंकार नहीं किया जा सकता। इन दिशानिर्देशों के माध्यम से हमारा लक्ष्य हमारे मौजूदा प्रबंध ढांचे को और मजबूती देना तथा जन चेतना उत्पन्न करना है जो जनता के बीच संदेह/भ्रम, यदि कोई हो, को दूर करने में दीर्घकाल तक सहायक होंगे।

4.16 इन दिशानिर्देशों में, आपदा प्रबंधन घटना चक्र के अन्य सभी तत्वों पर ब्योरेवार विचार करते हुए अधिकतम बल नाभिकीय और वैकिरणकी संकट की रोकथाम पर दिया गया है। इस संदर्भ में, दो प्रकार के संकट हो सकते हैं जो हमारे लिए अधिक चिंता का कारण हैं। ये संकट संभवतः (i) नाभिकीय ईंधन चक्र में संभव खराबी तथा (ii) अस्पतालों, अनुसंधान केंद्रों, औद्योगिक और निर्माण स्थलों में नेमी तौर पर प्रयुक्त रेडियोधर्मी सामग्री तक अवैध पहुंच के माध्यम से एक वैकिरणकी प्रकीर्णन यंत्र (या डर्टी बम) के विस्फोट होने के परिणामस्वरूप उत्पन्न हो सकते हैं। नाभिकीय और वैकिरणकी संकटों की उच्च जटिल और विशेष प्रकृति के कारण, राष्ट्रीय दिशानिर्देशों को, विशेषज्ञों के बीच व्यापक परामर्शों और विशाल परिचर्चाओं की एक श्रृंखला के बाद विभिन्न तकनीकी और प्रचालनात्मक मुद्दों पर सहमति प्राप्त करने के बाद, तैयार किया गया। इनमें परमाणु ऊर्जा विभाग, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, डी.आर.डी.ओ., राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन की विभिन्न इकाइयों से विशेषज्ञ/अधिकारी और अन्य भागीदार अभिकरण शामिल हैं।

4.17 परमाणु ऊर्जा विभाग, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, डी.आर.डी.ओ. और विशेषज्ञों की एक बड़ी संख्या द्वारा विधिवत् जांच किए गए नाभिकीय एवं वैकिरणकी संकट संबंधित प्रबंधन पर दिशानिर्देशों का विमोचन श्री एम.के. नारायणन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 2009 को अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग और अन्य उच्चाधिकारियों की उपस्थिति में किया गया।

श्री एम.के. नारायणन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, श्री अनिल काकोडकर, अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग एनडीएमए के उपाध्यक्ष जन. एन.सी. विज और सदस्य श्री बी. भट्टाचार्यजी के साथ दिनांक 24 फरवरी, 2009 को नाभिकीय एवं वैकिरणकी संकट संबंधित प्रबंधन पर दिशानिर्देशों के विमोचन के अवसर पर।

नाभिकीय और वैकिरणकी संकट संबंधित प्रबंधन पर दिशानिर्देश भाग–1 (अवर्गीकृत) की मुख्य बातें

4.18 नाभिकीय और वैकिरणकी संकटों हेतु मुख्य संरचनात्मक और गैर–संरचनात्मक उपाय निम्नलिखित है :

i. राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल की चार विशेष प्रशिक्षित और पूर्णतया लैस बटालियनों आपदा कार्रवाई के लिए प्रचालनीकृत की जा रही है।

ii. किसी बड़ी नाभिकीय दुर्घटना से निपटने के लिए सशस्त्र बल तैनात किए जाएंगे।

iii. 20 लाख या उससे अधिक की आबादी वाले सभी शहरों हेतु देश में सभी महानगरों और अन्य असुरक्षित क्षेत्रों को कवर करने के लिए संकटकालीन कार्रवाई केंद्र (ई.आर.सी.) की नाभिकीय/वैकिरणकी संकटों से निपटने के लिए स्थापना की जाएगी।

iv. स्थानीय स्तर पर मोबाइल मॉनीटरिंग वैनों पर आधारित ई.आर.सी. की सभी बड़े शहरों में पुलिस द्वारा स्थापना की जाएगी। इन कार्मिकों को उचित प्रशिक्षण दिया जाएगा।

v. विकिरण वातावरण में काम करने और विकिरण से आई चोटों के इलाज के लिए चिकित्सा व्यावसायिकों को प्रशिक्षण दिया जाना है। चिकित्सा सुविधाओं को अपग्रेड किया जाना है जिसमें तृतीय स्तर पर एक मॉडल सी.बी.आर.एन. अनुसंधान और उपचार केंद्र का सृजन शामिल है।

vi. पर्याप्त प्रचुरता सहित एक विश्वसनीय और प्रतिबद्ध संचार प्रणाली को देश में सभी तरह के संकटों से निपटने के लिए स्थापित किया जाना है।

vii. नियामक प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि आवश्यक ज्ञान आधार मौजूद रहे और निजी उद्योग जिसकी अनुमान आधार पर भविष्य में नाभिकीय विद्युत उत्पादन में भागीदारी में वृद्धि होने की उम्मीद है, के पास विशेषज्ञता उपलब्ध हो।

viii. नाभिकीय सुविधा केंद्रों की बिल्कुल करीबी में बसने वाले समुदाय के जानकारी और चेतना स्तर का प्राथमिकता से विकास किया जाएगा।

ix. प्रभावित क्षेत्र का जिला कलक्टर ऑफ–साइट नाभिकीय संकटकालीन कार्रवाई से निपटने के लिए स्वयं ही उत्तरदायी होगा/होगी।

प्रतिपादन के अंतर्गत दिशानिर्देश

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश – रासायनिक (आतंकवाद) आपदा संबंधित प्रबंधन की तैयारी

4.19 वर्ष 2007–08 के दौरान प्रमुख समूह द्वारा छह बैठकों के आयोजन द्वारा रासायनिक (आतंकवाद) पर मसौदा राष्ट्रीय दिशानिर्देशों का प्रतिपादन किया गया। अंतिम मसौदे को मंत्रालयों/विभागों, राज्य, विभिन्न अन्य प्राधिकरियों और संबंधित संस्थाओं को परिचालित किया गया। एक जटिल विषय होने के कारण, परामर्श की प्रक्रिया वर्ष 2008–09 की पूरी अवधि के दौरान जारी रही। की गई सभी सिफारिशों का तब विश्लेषण किया गया और उन्हें अंतिम दस्तावेज में शामिल किया गया। ले. जन. (डॉ०) जे.आर. भारद्वाज, ए.वी. एस.एम., वी.एस.एम. (सेवानिवृत्त), सदस्य, एन.डी.एम.ए. द्वारा एन.डी.एम.ए. के उपाध्यक्ष और सदस्यों के मसौदे पर सुझावों और उनके अनुमोदन के लिए दस्तावेज पर एक प्रस्तुति संबोधन किया गया। दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और ये शीघ्र ही जारी कर दिए जाएंगे।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश – मनो–सामाजिक सहायता और मानसिक चिकित्सा सेवाओं की तैयारी

4.20 चिकित्सा तैयारी और बड़ी दुर्घटना प्रबंधन के प्रतिपादन के दौरान यह महसूस किया गया था कि मनो–सामाजिक सहायता और मानसिक चिकित्सा सेवाओं पर पृथक दिशानिर्देश तैयार किए जाएं क्योंकि आपदाओं के दौरान प्रशमन के लिए यह एक महत्त्वपूर्ण विषय है। तदनुसार, मनो–सामाजिक सहायता और मानसिक चिकित्सा सेवाओं पर दिनांक 22–23 जनवरी, 2007 को एक राष्ट्रीय कांफ्रेंस आयोजित की गई। विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिए प्रमुख समूह के कई बार विचार–विमर्श आयोजित किए गए और मसौदा दिशानिर्देश तैयार किया गया। विशेषज्ञों की एक बड़ी संख्या के साथ इस विषय पर अप्रैल से अक्तूबर, 2008 के दौरान राष्ट्रव्यापी परामर्श किए गए। इन परामर्शों के दौरान किए गए सुझाव और सिफारिशों का मूल्यांकन किया गया और इन दिशानिर्देशों का अंतिम मसौदा तैयारी के अंतर्गत है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश – आपदा के दौरान खाद्य, जल, चिकित्सा कवर और सफाई संबंधी राहत के न्यूनतम मानक तथा मृत जीवों का निपटान की तैयारी

4.21 आपदा के दौरान खाद्य, जलापूर्ति, चिकित्सा कवर और सफाई हेतु ''राहत के न्यूनतम मानकों पर एक राष्ट्रीय कांफ्रेंस का ले. जन. (डॉ०) जे.आर. भारद्वाज, ए.वी.एस.एम., वी.एस.एम., पी.एच.एस. (सेवानिवृत्त), सदस्य, एन.डी.एम.ए. की अध्यक्षता में दिनांक 26–27 फरवरी, 2008 को आयोजन किया गया। इस कांफ्रेंस के परिणामस्वरूप, एन.डी.एम.ए. ने ''खाद्य, जलापूर्ति, चिकित्सा कवर और सफाई हेतु राहत के न्यूनतम मानकों पर राष्ट्रीय दिशानिर्देश'' को बनाने के लिए एक प्रमुख समूह का गठन किया। प्रमुख समूह और संचालन समिति की पहली बैठक का आयोजन दिनांक 11 अप्रैल, 2008 को किया गया। बैठक के दौरान दिशानिर्देशों की रूपरेखा बनाई गई और एक कार्य योजना तैयार की गई। दिनांक 22 मई, 2008 को एक और बैठक इसके बाद की गई जहां तक निर्णय लिया गया कि प्रत्येक विषय अर्थात खाद्य, जल, सफाई और मृत जीवों के निपटान, प्रत्येक पर पृथक दिशानिर्देश तैयार किए जाएं।

4.22 जून और अगस्त, 2008 के दौरान सभी विशेषज्ञों और भागीदार अभिकरणों की संलिप्तता से इन दिशानिर्देशों को तैयार करने का काम जारी रखा गया। परिरक्षण और मृत जीवों का निपटान से जुड़े विषयों पर चर्चा के लिए एक पृथक प्रमुख समूह को गठित किया गया। इन विषयों पर दिनांक 28 नवम्बर, 2008 को एक बैठक में एक बार फिर विचार–विमर्श किया गया।

4.23 दिनांक 12–14 जनवरी, 2009 के दौरान इन दिशानिर्देशों को तैयार करने के लिए एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। आपदा के दौरान खाद्य, जल, चिकित्सा कवर और सफाई तथा मृत जीवों का निपटान हेतु राहत में न्यूनतम मानकों से जुड़े इन सभी विषयों पर मसौदा दिशानिर्देश तैयारी के अंतर्गत हैं।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश – भूस्खलन एवं हिमस्खलन की तैयारी

4.24 भूस्खलन और हिमस्खलन संबंधी दिशानिर्देश तैयार करने के लिए एन.डी.एम.ए. ने अगस्त, 2006 में एक प्रमुख समूह का गठन किया गया। नोडल अभिकरण

के रूप में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण इन दिशानिर्देशों को तैयार करने में एन.डी.एम.ए. की मदद कर रहा है। भूस्खलन प्रबंधन हेतु मसौदा दिशानिर्देश केंद्रीय मंत्रालयों और संबंधित विभाग, सभी भूस्खलन प्रवण राज्यों की सरकारों, शिक्षण संस्थानों, गैर–सरकारी संगठनों, विशेषज्ञों आदि द्वारा विस्तारित प्रमुख समूह और पुनरीक्षण समिति की बैठकों के माध्यम से परामर्श और निकट सहयोग से तैयार किए गए हैं। इन विचार–विमर्शों में शामिल भागीदारों में पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और मिजोरम राज्यों में आपदा प्रबंधन प्रभारी सचिव शामिल थे। भूस्खलन प्रबंधन में संलिप्त संस्थाओं/संगठनों जैसे राष्ट्रीय दूर–संवेदी अभिकरण, हिमालयन भू–विज्ञानी संस्थान, गोविंद बल्लभ पत हिमालयी पर्यावरण संस्थान, राष्ट्रीय मध्यम श्रेणी मौसम पूर्वानुमान केंद्र, भारतीय सर्वेक्षण, हिम एवं हिमस्खलन अध्ययन संस्थान, भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण और सीमा सड़क संगठन के प्रतिनिधियों को भी इन विचार–विमर्शों में आमंत्रित किया गया था। गृह मंत्रालय और एन.आई.डी.एम. के प्रतिनिधियों ने भी इन बैठकों में भाग लिया था।

4.25 दिनांक 16–17 सितम्बर, 2008 को आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल जैसे भूस्खलन प्रवण राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ एक वीडियो कांफ्रेंस का भी संयोजन किया गया। मसौदा दिशानिर्देश में सभी भागीदार अभिकरणों से मिले महत्त्वपूर्ण सुझावों और सिफारिशों को शामिल किया गया और इनको दिनांक 09 मार्च, 2009 को सभी केंद्रीय मंत्रालय/विभाग और अन्य भागीदार अभिकरणों को उनकी प्रतिक्रियाएं/टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया था।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश–सूखा की तैयारी

4.26 दिनांक 12 अगस्त, 2008 को डा. एम.सी.आर. एच.आर.डी. इंस्टीट्यूट, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद में सूखा प्रबंधन पर दिशानिर्देश तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक कांफ्रेंस का आयोजन किया गया; तत्पश्चात, एन.डी.एम.ए. ने दिनांक 14 मार्च, 2009 को प्रारंभिक कांफ्रेंस में उठाए गए मुद्दों पर चर्चा हेतु एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और संबंधित राज्य सरकारों, मुख्य गैर–सरकारी संगठनों, कार्पोरेट क्षेत्र, समुदाय आधारित संगठनों, पंचायती राज संस्थाओं, बीमा कंपनी से भागीदार और प्रगतिशील किसान शामिल थे। इसी दौरान, प्रमुख समूह और विस्तारित समूह का गठन किया गया और संयुक्त सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली को समूह का संयोजक नामांकित किया गया। दिशानिर्देश तैयार करने हेतु अतिरिक्त कार्रवाई चल रही है।

घटना कमान प्रणाली पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों की तैयारी

4.27 भारतीय संदर्भ में ढालने के लिए, घटना कमान प्रणाली पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों की तैयारी के लिए किए गए फैसले के परिणामस्वरूप, विषय पर कई विशेषज्ञों के साथ एक प्रमुख समूह का गठन किया गया जिसकी पहली बैठक दिनांक 09 अक्तूबर, 2007 को आयोजित की गई। वर्ष 2007–08 के दौरान भागीदार अभिकरणों की एक बड़ी संख्या के साथ विभिन्न परिचर्चाएं आयोजित की गई और मसौदा दिशानिर्देश तैयार किए गए। इन मसौदा दिशानिर्देशों को तब विभिन्न संस्थाओं के मध्य परिचालित किया गया और उनकी प्रतिक्रियाओं/सुझावों का मूल्यांकन किया गया और उन्हें मसौदे में समाविष्ट किया गया।

4.28 रिपोर्ट के अधीन अवधि के दौरान, चार क्षेत्रीय परामर्श कार्यशालाएं आयोजित की गई जो निम्न स्थान पर थीं; (i) एच.सी.एम. राजस्थान इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (आर.आई.पी.ए.), जयुपर, राजस्थान; (ii) असम प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज, गुवाहाटी, असम; (iii) डा. एम.सी.आर.एच.आर.डी. इंस्टीट्यूट, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश; तथा (iv)गोवा ग्रामीण विकास संस्थान, गोवा। इन कार्यशालाओं का आयोजन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और मौजूदा प्रशासनिक संरचना की पृष्ठभूमि में घटना कमान प्रणाली को अपनाने के लिए इससे जुड़े विभिन्न विषयों की पहचान और उनके समाधान के लिए किया गया था। इन परामर्शों में भाग लेने वाले राज्यों का ब्योरा नीचे दिया गया है :

प्रमुख समूह की बैठक

4.29 14 और 15 मार्च, 2009 को चार क्षेत्रीय परामर्श कार्यशालाओं से प्राप्त विभिन्न सुझावों पर चर्चा के लिए प्रमुख समूह की एक बैठक का आयोजन किया और इन सुझावों को समाविष्ट करके बनाए गए मसौदे को अंतिम रूप देने का कार्य तैयारी के अंतर्गत है।

नगरीय बाढ़ के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देशों की तैयारी

4.30 नगरीय बाढ़ के प्रबंधन पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों की तैयारी के लिए इस अवधि के दौरान अत्यधिक कार्य किया गया। दिनांक 26 मई, 2008 को आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हैदराबाद में "नए नगरीय घटनाक्रम में नगरीय बाढ़ पर्यावरणिक असर आकलन (ई.आई.ए.)" विषय पर एक विचारोत्तेजक सत्र का आयोजन किया गया। इन दिशानिर्देशों की तैयारी के लिए संरचनात्मक डिजाइन और सफाई व्यवस्था प्रणाली पर उप समूह की बैठक का संयोजन दिनांक 30 मई, 2008 को भारतीय विज्ञान संस्थान,

परामर्शी कार्यशालाओं में भाग लेने वाले राज्यों की सूची

क्रमांक	स्थान	तारीख	भाग लेने वाले राज्य
1.	एच.सी.एम. आर.आई.पी.ए., जयपुर, राजस्थान	26.08.2008	दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, उत्तराखंड, चंडीगढ़ और राजस्थान
2.	असम प्रशासनिक स्टॉफ कालेज, गुवाहाटी	17.10.2008	असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम
3.	डा. एम.सी.आर. एच.आर.डी. इंस्टीट्यूट ऑफ आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	22.10.2008	तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
4.	जी.आई.आर.डी.ए., गोवा	04.11.2008	छत्तीसगढ़, दमन एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा

बेंगलुरू में किया गया। दिनांक 09 जून, 2009 को एन.डी.एम.ए., नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी उपकरण पर एक और उप–समूह की बैठक का आयोजन किया गया। इन बैठकों के बाद दिनांक 10 जून और 27 अगस्त, 2008 को समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं। बाद में, क्रमशः 10 सितम्बर, 2008 और 26 सितम्बर, 2008 को नगरीय बाढ़ के विषय पर भारत के सर्वेक्षण और भारतीय सड़क कांग्रेस की ओर से संबोधन किए गए। दिनांक 17 नवम्बर, 2008 को दिशानिर्देशों की तैयारी हेतु जानकारियों की समीक्षा हेतु नगरीय बाढ़ के प्रबंधन पर प्रमुख समूह की एक बैठक का आयोजन किया गया। नगरीय बाढ़ की घटना के अध्ययन के लिए श्री एम. शशिधर रेड्डी, सदस्य, एन.डी.एम.ए. ने चेन्नई, अहमदाबाद, गुवाहाटी, कोचीन तथा कोलकाता का भी दौरा किया।

4.31 भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच आपदा प्रबंधन पर किए गए करार के एक भाग के रूप में दिनांक 7–9 जनवरी, 2009 के दौरान डा. एम.सी.आर. एच.आर.डी इंस्टीट्यूट, हैदराबाद में एन.डी.एम.ए. और संयुक्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण द्वारा संयुक्त रूप से "नगरीय बाढ़ आपदा प्रबंधन की चुनौतियां : प्रशासनिक, तकनीकी और वैज्ञानिक मुद्दे" विषय पर एक तीन–दिवसीय भारत–संयुक्त राज्य अमरीका कार्यशाला का आयोजन किया गया। उक्त कार्यशाला दोनों पक्षों के लिए सीखने लायक तजुर्बा था जिससे भारतीय और संयुक्त राज्य अमरीका, दोनों के विशेषज्ञों को नगरीय बाढ़ से जुड़े विशेष मुद्दों पर अपनी दक्षता तथा अनुभव बांटने का मौका मिला। तथापि, नगरीय बाढ़ पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के प्रासंगिक अमरीकी प्रथाओं की पहचान कर ली गई हैं और इन्हें नगरीय बाढ़ पर दिशानिर्देशों में शामिल किया जा रहा है। दिनांक 10 फरवरी, 2009 को एन.डी.एम.ए. भवन, नई दिल्ली में अमरीकी विशेषज्ञों द्वारा प्रदत्त जानकारियों पर चर्चा हेतु नगरीय बाढ़ के प्रबंधन पर प्रमुख समूह की एक बैठक आयोजित की गई।

सुनामी के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देशों की तैयारी

4.32 सुनामी के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देशों की तैयारी के लिए एन.डी.एम.ए. ने नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय कार्यशाला का संयोजन किया जिसकी अध्यक्षता प्रो. एन. विनोद चंद्र मेनन, सदस्य, एन.डी.एम.ए. ने की। भारत सरकार, राज्य सरकार, शिक्षाविदों और व्यावसायिकों के वर्ग से आए सुनामी प्रबंधन विशेषज्ञों ने इस कार्यशाला में भाग लिया। विशेषज्ञों के एक प्रमुख समूह का गठन किया गया और सुनामी प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश प्रतिपादित करने के लिए अनेक बैठकें आयोजित की गईं।

4.33 तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी की सरकारों, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन, गृह मंत्रालय और कुछ शीर्ष गैर–सरकारी संगठनों से वरिष्ठ प्रशासकों की भागीदारी से दिनांक 30 सितम्बर, 2008 को चेन्नई में सुनामी पुनर्बहाली और सहायता हेतु संयुक्त राष्ट्र की टीम और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा इस संदर्भ में पर्यावास विकास सुनामी पश्चात् पुनर्निर्माण परिप्रेक्ष्य पर एक राष्ट्रीय कांफ्रेंस आयोजित की गई। इस कांफ्रेंस में उठाए गए मुद्दों का विश्लेषण किया जा रहा है और सुनामी प्रबंधन के दिशानिर्देशों के अंतिम मसौदे का कार्य तैयारी के अंतर्गत है।

आपदा प्रबंधन में गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देशों की तैयारी

4.34 आपदा प्रबंधन में गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का नई दिल्ली में आयोजन किया

गया। आपदा प्रबंधन में गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश तैयार करने के लिए आपदा प्रबंधन हेतु एक राष्ट्रीय गैर–सरकारी संगठन कृत्यक बल और विशेषज्ञों के एक प्रमुख समूह को गठित किया गया। प्रमुख समूह की अनेक बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं और इन दिशानिर्देशों को तैयार करने का काम प्रगति के अधीन है।

आपदा पश्चात पुनर्निर्माण हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश की तैयारी

4.35 गांधीधाम में स्वामी संचालित पुनर्निर्माण (ओनर–ड्रिवन) पर क्षेत्रीय कार्यशाला और नई दिल्ली में स्वामी संचालित (ओनर–ड्रिवन) पुनर्निर्माण पर राष्ट्रीय कार्यशाला के बाद, आपदा–पश्चात् पुनर्निर्माण हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश की तैयारी के लिए अनेक प्रमुख समूह बैठकें आयोजित की गईं और दिशानिर्देश तैयारी के अंतर्गत हैं।

4.36 20 जनवरी, 2009 को प्रो. एन. विनोद चंद्र मेनन, सदस्य, एन.डी.एम.ए. ने एन.डी.एम.ए., यू.एन.डी.पी., बी.एम.पी.टी.सी., अन्य भागीदार अभिकरण तथा एशियन कोलिशन फार हाउसिंग राइट्स द्वारा इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित "स्वामी–संचालित पुनर्निर्माण पर राष्ट्रीय कार्यशाला" में विदाई भाषण दिया।

आपदा से सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश की तैयारी

4.37 आपदा–पश्चात् पुनर्निर्माण हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश की तैयारी के लिए प्रख्यात संरक्षण वास्तुकार, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रोफेसर, भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण, भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट के प्रतिनिधि और वरिष्ठ प्रशासकों वाले विशेषज्ञों के एक प्रमुख समूह को गठित किया गया है। प्रमुख समूह की अनेक बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं और दिशानिर्देश तैयारी के अंतर्गत हैं।

4.38 05 जनवरी, 2009 को प्रो. एन. विनोद चंद्र मेनन, सदस्य, एन.डी.एम.ए. ने कमला रहेजा विद्यानिधि इंस्टीट्यूट फॉर आर्किटेक्चर, मुंबई में "नगरीय सांस्कृतिक स्थलों में आपदा हेतु जोखिम तैयारी" पर कार्यशाला का उद्घाटन किया।

राष्ट्रीय आपदा संचार नेटवर्क पर राष्ट्रीय दिशानिर्देश की तैयारी

4.39 इस विषय पर इस अवधि के दौरान प्रमुख समूह की कई बैठकें और विशेषज्ञों के साथ परामर्शों का आयोजन किया गया है तथा दिशानिर्देशों के अंतिम मसौदे का कार्य तैयारी के अंतर्गत हैं।

5 आपदा पूर्व तैयारी एवं सामुदायिक जागरुकता

चिकित्सा संबंधी तैयारी और बड़ी दुर्घटना का प्रबंधन

5.1 भारत की अनोखी भौगोलिक जलवायु स्थितियाँ इसको प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूकंप तथा बीमारियों का प्रकोप, के प्रति असुरक्षित बनाती है जिनसे बड़ी संख्या में मनुष्यों की मृत्यु होती है। अक्तूबर 1999 में उड़ीसा में आए महाचक्रवात के कारण 9000 से ज्यादा मौतें हुईं; जनवरी, 2001 भुज में आए भुकंप से 14000 मौतें हुईं; जबकि दिसंबर, 2004 में आई सुनामी से 15000 मौतें हुईं। वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी से, दो दशकों से अधिक की अवधि के दौरान, 15000 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। उपर्युक्त घटनाएं प्राकृतिक तथा मानव जनित आपदाओं की बड़े पैमाने पर क्षति करने की क्षमता को दर्शाती है। औद्योगिकीकरण और 'डर्टी' बम और/अथवा रासायनिक बम के प्रयोग से आतंकवादी हमलों की वजह से मानव जनित आपदाओं से बढ़ती असुरक्षितता आपदा पूर्व तैयारी, रोकथाम, प्रशमन रणनीतियों के लिए एक बहुविषयक तथा एक बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण तथा कार्रवाई को बेहतर करने के लिए क्षमताओं को बढ़ाने की जरूरत पर बल देती है।

5.2 एन.डी.एम.ए. ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकारों की भागीदारी से इस पूरे महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में तैयारी को बढ़ाने के लिए संयुक्त कदम उठाए हैं। कुछ परियोजनाएं जैसे राज्यों में एम्बुलेंस सेवाओं में वृद्धि, जैव–सुरक्षा प्रयोगशालाओं का उन्नयन तथा ट्रॉमा सेंटरों का निर्माण विचाराधीन हैं। विभिन्न भागीदार अभिकरणों के बीच जागरुकता उत्पन्न करने के लिए अस्पताल संबंधी तैयारी तथा बड़ी दुर्घटना प्रबंधन पर कृत्रिम अभ्यास भी संचालित किए गए हैं।

स्वास्थ्य के परे देशव्यापी तैयारी पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला

5.3 स्वास्थ्य के परे देशव्यापी तैयारी पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला को एन.डी.एम.ए. ने संयुक्त राष्ट्र आपदा प्रबंधन टीम (यू.एन.डी.एम.टी.) की भागीदारी से दिनांक 21–22 अप्रैल, 2008 को संचालित किया। यू.एन.डी.एम.टी., देशव्यापी इन्लूएंजा आकस्मिकता (पी.आई.सी.) टीम, लोकोपकारी कार्य समन्वयन कार्यालय (ओ.सी.एच.ए.) जेनेवा तथा एशिया प्रशांत हेतु ओ.सी.एच.ए. क्षेत्रीय अधिकारी आदि से विशेषज्ञों तथा शिष्टमंडलों की एक बड़ी संख्या ने इस कार्यशाला में भाग लिया। इन शिष्टमंडलों के अलावा देश की चिकित्सा बिरादरी के सदस्यों तथा सरकारी अधिकारियों की बड़ी संख्या को भी भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। दो दिनों तक, देशव्यापी तैयारी के कई विषयों पर महत्त्वपूर्ण चर्चा हुई। इस कार्यशाला से बहुत कुछ सीखने को मिला। इस कार्यशाला के बाद स्वास्थ्य संबंधी देशव्यापी तैयारी पर उपायों को समाविष्ट करने वाला एक दस्तावेज एन.डी.एम.ए. और यू.एन.डी.एम.टी. द्वारा तैयार किया गया और इसका व्यापक परिचालन किया गया।

सी.बी.आर.एन. दुर्घटना के प्रति संकटकालीन चिकित्सा कार्रवाई हेतु चिकित्सा संबंधी तैयारी पर कार्यशाला/प्रशिक्षण कार्यक्रम

5.4 एन.डी.एम.ए. ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान (डी.आर.डी.ई.), ग्वालियर, सैन्य इंजीनियरिंग कॉलेज (सी.एम.ई.), पुणे, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बी.ए.आर.सी.), मुम्बई के सहयोग से ग्वालियर, मध्य प्रदेश में 15 सितम्बर, 2008 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के चिकित्सा अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण कोर्स का संचालन किया। इस कोर्स के दौरान, सैद्धान्तिक व्याख्यानों के अलावा, संरक्षण, जाँच, विसंक्रमण तथा ऑटो इन्जेक्टर्स के प्रयोग पर समग्र प्रेक्टिकल प्रशिक्षण तथा इनसे संबंधित प्रदर्शन कार्यक्रम किया गया। इस खतरे से उत्पन्न बड़ी दुर्घटना के प्रबंधन के लिए डॉक्टरों और एन.डी.आर.एफ. कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए कई प्रशिक्षण कोर्सों की योजना बनाई जा रही है।

एन.डी.एम.ए. की अन्य संगठनों के जागरुकता कार्यक्रमों/कांफ्रेंसों में सह–भागीदारी

5.5 एन.डी.एम.ए. ने जय प्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली में दिनांक 28 से 30 नवंबर, 2008 तक 'ट्रॉमा–2008' अंतर्राष्ट्रीय कांफ्रेंस, सी.एम.ई. सह लाइव वर्कशॉप एवं इंडियन सोसायटी फॉर ट्रॉमा एण्ड एक्यूट केयर (आई.एस.टी.ए.सी.) की उद्घाटन कांफ्रेंस का सह–आयोजन किया। कार्यशाला तथा कांफ्रेंस के भागीदार पूरे भारत से आए और इजराइल तथा संयुक्त राज्य अमरीका से फैकल्टी भी आई। ट्रॉमा मरीजों से जुड़े विषयों के नियमित प्रबंधन के अलावा आपदा तथा बड़ी दुर्घटना के क्षेत्र में काफी मात्रा में ज्ञान का विनिमय हुआ। कांफ्रेंस ने चिकित्सा व्यावसायिकों के बीच में समाज पर चोटों तथा ट्रॉमा के असर के बारे में जागरुकता बढ़ाई। चिकित्सा व्यवसायिकों जिनमें पैरामेडिकल स्टॉफ तथा नर्सें भी शामिल थीं, को आपदा स्थिति के दौरान बड़ी दुर्घटना से निपटने का प्रशिक्षण भी दिया गया।

रासायनिक (औद्योगिक) आपदाओं का प्रबंधन

उद्योग की ऑन–साइट योजना जिसमें चिकित्सा संबंधी तैयारी एवं बड़ी दुर्घटना का प्रबंधन शामिल हैं, पर राष्ट्रीय कांफ्रेंस

5.6 दिनांक 24–25 जुलाई, 2008 को चेन्नई में उद्योग की ऑन–साइट योजना जिसमें चिकित्सा संबंधी तैयारी एवं बड़ी दुर्घटना का प्रबंधन शामिल हैं, पर एक राष्ट्रीय कांफ्रेंस का आयोजन किया गया। रासायनिक (औद्योगिक) आपदाओं का प्रबंधन तथा चिकित्सा संबंधी तैयारी एवं बड़ी दुर्घटना के प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय दिशानिर्देश पर लेफ्टि. जनरल (डॉ०) जे.आर. भारद्वाज, ए.वी.एस.एम., वी.एस.एम., पी.एच.एस. (सेवानिवृत्त), सदस्य, एन.डी.एम.ए. ने इसके मूल–सिद्धांत और प्रस्तावना पर भाषण दिया। इस कांफ्रेंस का उद्घाटन तथा रासायनिक (औद्योगिक) आपदाओं का प्रबंधन पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों को श्री आई. पेरियास्वामी, माननीय राजस्व एवं आवास मंत्री, तमिलनाडु सरकार द्वारा जारी किया गया। कांफ्रेंस में अनेक विषयों जैसे ऑन–साइट परिवहन तथा पाइपलाइनों के लिए योजना एवं आपातकालीन योजना, नियामक रूपरेखा तथा अनुपालन प्रास्थिति, ऑन–साइट संकटकालीन कार्रवाई, विशेषीकृत रासायनिक कार्रवाई सहित रासायनिक दुर्घटनाओं का प्रबंधन आदि पर चर्चा की गई। कांफ्रेंस में एक अच्छी संकटकालीन योजना का उपयोग करते हुए आपदाओं से निपटने के लिए खतरनाक औद्योगिक इकाईयों की आवश्यकता, किसी प्राकृतिक या मानव जनित आपदा के मामले में खुद को बचाने के लिए अनिवार्य सावधानियाँ, उद्योग तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डी.डी.एम.ए.) के साथ अधिक विचार–विमर्श सत्रों का आयोजन, नियमित टेबलटॉप एक्सरसाईज या ऑफ–साइट ड्रिल आदि पर विवेचन किया गया।

दिनांक 24–25 जुलाई, 2008 को चेन्नई में उद्योग की ऑन–साइट योजना जिसमें चिकित्सा संबंधी तैयारी एवं बड़ी दुर्घटना का प्रबंधन शामिल है, पर राष्ट्रीय कांफ्रेंस का उद्घाटन तथा रासायनिक (औद्योगिक) आपदाओं का प्रबंधन तथा चिकित्सा संबंधी तैयारी एवं बड़ी दुर्घटना के प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय दिशानिर्देशों को जारी किए जाने के दौरान श्री आई. पेरियास्वामी, माननीय राजस्व एवं आवास मंत्री, तमिलनाडु सरकार के साथ लेफ्टि. जनरल (डॉ०) जे.आर. भारद्वाज, सदस्य, एन.डी.एम.ए.।

खतरनाक रसायनों से संबंधित पाईपलाइनों, विविक्त (आईसोलेटिड) भंडार गृहों तथा पत्तनों की सुरक्षा पर राष्ट्रीय कांफ्रेंस

5.7 खतरनाक रसायनों से संबंधित पाईपलाइनों, विविक्त (आईसोलेटिड) भंडार गृहों तथा पत्तनों की सुरक्षा पर राष्ट्रीय कांफ्रेंस का दिनांक 16–17 अक्तूबर, 2008 को गोवा में आयोजन किया गया। इस कांफ्रेंस में बड़ी संख्या में उद्योग जगत के सदस्यों, सरकारी अधिकारियों तथा अन्य भागीदार अभिकरणों ने भाग लिया। इस कांफ्रेंस में भाग लेने वाले कुछ महत्त्वपूर्ण भागीदार श्री मान सिंह, अध्यक्ष, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, भारत सरकार, डॉ० एल.यू. जोशी, अध्यक्ष, गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, श्री वी.के. झा, सचिव, कारखाना एवं बॉयलर, पर्यावरण मंत्रालय, गोवा सरकार थे। लेफ्टि. जनरल (डॉ०) जे.आर. भारद्वाज, ए.वी. एस.एम., वी.एस.एम., पी.एच.एस. (सेवानिवृत्त), सदस्य, एन. डी.एम.ए. द्वारा रासायनिक (औद्योगिक) आपदाओं का प्रबंधन पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों को भी जारी किया गया। इस कांफ्रेंस में संकटकालीन प्रबंधन प्रणाली, जोखिम आकलन तथा विविक्त भंडार गृहों तथा माल गोदामों और 'हजकेम' संकटों के चिकित्सा संबंधी प्रबंधन के परिप्रेक्ष्यों जैसे विषयों का भी समाधान किया गया।

रासायनिक (औद्योगिक) आपदा प्रबंधन, पाईपलाइनों, भंडार गृहों तथा चिकित्सा संबंधी तैयारी पर राष्ट्रीय कांफ्रेंस

5.8 रासायनिक (औद्योगिक) आपदा प्रबंधन, पाईपलाइनों, भंडार गृहों तथा चिकित्सा संबंधी तैयारी पर राष्ट्रीय कांफ्रेंस का दिनांक 11–13 फरवरी, 2009 को नई दिल्ली में आयोजन किया गया। इस कांफ्रेंस का उद्घाटन डॉ० ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, प्रख्यात वैज्ञानिक एवं भारत के पूर्व राष्ट्रपति ने किया। दिशानिर्देशों के क्रियान्वयन के लिए तरीका तथा समयावधि; एकीकृत अस्पताल आपदा प्रबंधन परियोजना एवं खतरनाक रसायनों का सुरक्षित परिवहन; एनकैपस्यूलेशन और फोटो कैटेलिस्ट अनुप्रयोगों के माध्यमों से भंडारण टैंकों तथा पाईपलाइनों में वाष्प निषेध (वेपर सपरेशन); रासायनिक आपदा प्रबंधन में वैकल्पिक दवाईयों की भूमिका; आपदा प्रबंधन में चिकित्सा संबंधी तैयारी में पी.पी.पी.; दुर्घटना के दौरान सुरक्षित निकास के लिए एकीकृत सेवाओं हेतु मॉडल, बड़ी दुर्घटना की स्थिति में मृत जीवों का निपटान कार्य आदि जैसे अनेक विषयों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया।

5.9 लेफ्टि. जनरल (डॉ०) जे.आर. भारद्वाज, ए.वी.एस. एम., वी.एस.एम., पी.एच.एस. (सेवानिवृत्त), सदस्य, एन.डी. एम.ए. द्वारा भारत का एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, मानव संसाधन विकास कार्यक्रम–औद्योगिक विकास जोखिम प्रबंधन परियोजना को प्रारंभ किया गया। डॉ० ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा इस कांफ्रेंस में रासायनिक (औद्योगिक) आपदा प्रबंधन पर एक पुस्तक का भी विमोचन किया गया। इस पुस्तक में महत्त्वपूर्ण मामलों पर अध्ययन, जोखिम आकलन, क्षमता निर्माण प्रयास, ऑन–साइट एवं ऑफ–साइट आपातकालीन योजना, खतरनाक रसायन अवशिष्ट प्रबंधन, चिकित्सा संबंधी तैयारी, पेशेवर चिकित्सा संबंधी तैयारी, रासायनिक दुर्घटना का चिकित्सा प्रबंधन, रासायनिक आपदाओं हेतु विशेष चिकित्सा तैयारी, खतरनाक रसायनों का सुरक्षित परिवहन तथा पाईपलाइनों, भण्डारों की सुरक्षा तथा उसकी सावधानी पर स्पष्टीकरण, खतरनाक रसायनों का समुद्री परिवहन तथा पत्तनों पर हजकेम की सुरक्षित हैंडलिंग से जुड़े लेखों का संग्रह है।

सार्वजनिक निजी भागीदारी

5.10 प्राकृतिक तथा मानव जनित आपदाओं की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए आपदा संबंधी तैयारी जोखिम प्रशमन और प्रभावकारी कार्रवाई के प्रयासों को एकजुट करने तथा उनका विस्तार करने की तत्काल आवश्यकता है। आपदा प्रबंधन को पेशेवर बनाने के लिए मुख्य भागीदार अभिकरणों को इकट्ठा करने की कार्यवाही के एक भाग के रूप में एन.डी.एम.ए. ने आपदा प्रबंधन में कार्पोरेट क्षेत्र की भूमिका को समझने और उसे निर्धारित करने के लिए उनसे बातचीत की प्रक्रिया आरम्भ कर दी है। कार्पोरेट क्षेत्र ने आपदा पश्चात् राहत कार्यक्रम में योगदान दिया है और आपदा संबंधी तैयारी और प्रशमन में उनकी भूमिका महत्त्वपूर्ण रही है, इस बात को माना गया है।

5.11 'आपदा प्रबंधन के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) का प्रचालनीकरण' पर एक कांफ्रेंस का आयोजन रिस्पोंस नेट एंड एडमेट्रिक्स के सहयोग से दिनांक 16–17 अप्रैल, 2008 को प्रगति मैदान में किया गया। कांफ्रेंस के लक्षित श्रोतागण में निम्नलिखित शामिल थे (i) औद्योगिक क्षेत्र की कंपनियाँ, (ii) आपदा के प्रति तैयारी, राहत और पुनर्वास के लिए सेवाओं तथा उत्पादों से जुड़ी कंपनियाँ, (iii) मौजूदा सिविल सोसाइटी आपदा तैयारी तथा प्रबंधन संगठन, (iv) आपदा प्रबंधन में रुचि लेने वाले नए ग्रेजुएट,

श्री ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, प्रख्यात वैज्ञानिक तथा भारत के पूर्व राष्ट्रपति, डॉ० अखिलेश प्रसाद सिंह, तत्कालीन कृषि, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री श्री जनरल एन.सी. विज, उपाध्यक्ष तथा लेफ्टि. जन. (डॉ०) जे.आर. भारद्वाज, सदस्य, एनडीएमए के साथ दिनांक 11 फरवरी, 2009 को रासायनिक (औद्योगिक) आपदा प्रबंधन पर एक पुस्तक के विमोचन के अवसर पर।

(v) विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा संस्थाओं के छात्र, (vi) प्रबंधक (माध्यमिक/उच्चतम स्तर), (vii) आपदा कार्रवाई संगठन तथा सामान्य जन और (ix) मीडिया।

5.12 इस दो दिवसीय कांफ्रेंस के उद्देश्यों में आपदा प्रबंधन के लिए पी.पी.पी. हेतु भागीदारी मॉडलों को सुदृढ करना, भागीदार अभिकरणों की चालू भागीदारी को बेहतर बनाना; तथा अनुभव बांटना, आपदा प्रबंधन हेतु पी.पी.पी. की चुनौतियाँ, तथा आपदा प्रबंधन हेतु पी.पी.पी. के मॉडलों का प्रचालनीकरण तथा प्रोत्साहन देना शामिल हैं।

आपदा प्रबंधन में कार्पोरेट क्षेत्र की भूमिका पर राष्ट्रीय कांफ्रेंस

5.13 07 नवंबर, 2008 को फेडरेशन हाउस, नई दिल्ली में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल परिसंघ (फिक्की) के सहयोग से आपदा प्रबंधन में कार्पोरेट क्षेत्र की भूमिका पर राष्ट्रीय कांफ्रेंस का आयोजन किया गया। कांफ्रेंस का एजेंडा निम्नलिखित था :

i) आपदा के प्रति तैयारी, प्रशमन, संकटकालीन कार्रवाई तथा पुनर्बहाली सहित आपदा प्रबंधन के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कार्पोरेट कंपनियों की भूमिका को पहचानना,

ii) कार्पोरेट क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण राय देने वाले उनके नेताओं के शामिल करते हुए व्यापारिक संघों की क्षमतापूर्ण भूमिकाओं तथा तौर तरीकों को खोजना,

iii) प्रशासन के विभिन्न पहलुओं के व्यवसायीकरण हेतु सार्वजनिक निजी भागीदारी में कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ण क्षमता को खोजना, तथा

iv) आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय कार्पोरेट टास्क फोर्स का गठन तथा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम तथा उपयुक्त रणनीतियों के लिए कार्य योजना बनाना।

कार्पोरेट आपदा संसाधन नेटवर्क

5.14 यह महसूस किया गया कि सरकारी क्षेत्र के भारत आपदा संसाधन नेटवर्क (आई.डी.आर.एन.) की तरह एक कार्पोरेट आपदा संसाधन नेटवर्क (सी.डी.आर.एन.) भी बनाया जाना चाहिए। यह एक ऐसा सूचना मंच होगा जहां ऐसे उत्पादों का सभी ब्योरा उपलब्ध होगा जो विभिन्न तरह की संकटकालीन कार्रवाई में जरुरी है। इससे जरुरत के समय अपेक्षित मदों की खरीदारी में बहुत मदद मिलेगी और यह कार्पोरेट सेक्टर के उत्पादों के प्रदर्शन में मददगार होगा। इससे कार्पोरेट जगत को यह जानने में मदद भी मिलेगी कि कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के भाग के रूप में कब और कहां ऐसे उत्पादों को दान दिया जाए। 07 नवंबर, 2008 को एडमेट्रिक्स और सी.एस.ओ. भागीदारी के सहयोग से सी.डी.आर.एन. को दिल्ली में प्रारंभ किया गया। टाटा ब्लू स्कोप, एन.टी.पी.सी., आई.बी.एम., एस.ए.पी., एसेन्चर, के.पी.एम.जी., आर्सेलर मित्तल आदि जैसे कार्पोरेट क्षेत्र के प्रतिनिधिक समूह ने भागीदारी की। यह भी तय किया गया है कि क्षेत्रीय तथा राज्य स्तर पर भी सी.डी.आर.एन. प्रारंभ किया जाए। प्रोफेसर एन. विनोद चंद्र मेनन, सदस्य, एन.डी.एम.ए. ने सी.डी.आर.एन. के प्रारंभ होने के अवसर पर प्रमुख भाषण दिया।

श्री जे.के. सिन्हा और प्रोफेसर एन. विनोद चंद्र मेनन, सदस्य, एन.डी.एम.ए., सी.डी.आर.एन. की शुरूआत के अवसर पर आयोजित कांफ्रेंस में।

नागरिक रक्षा

5.15 जमीनी स्तर पर सामुदायिक तैयारी तथा जन चेतना सृजन के लिए चालू प्रयासों में, नागरिक रक्षा का नवीनीकरण एन.डी.एम.ए. का एक प्रमुख कार्यक्रम है। नागरिक रक्षा के अधिदेश को आपदा प्रबंधन में एक प्रभावी तथा सार्थक भूमि का निभाने के लिए पुनः परिभाषित किया जा रहा है। देश में नागरिक रक्षा के नवीनीकरण के लिए श्री के.एम. सिंह, सदस्य, एन.डी.एम.ए. की अध्यक्षता वाली उच्च अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों को 02 अप्रैल, 2008 को माननीय केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता वाली नागरिक रक्षा परामर्शदात्री समिति को प्रस्तुत की गई। समिति की सभी सिफारिशें मंजूर कर ली गईं।

5.16 संगठनात्मक पुनर्गठन के अलावा, स्वयंसेवकों को सामुदायिक चेतना तथा आपदाओं के सकारात्मक प्रबंधन में उनकी भूमिका के लिए उन्हें तैयार करने हेतु प्रशिक्षण दिए जाने पर भी जोर दिया जा रहा है राष्ट्रीय नागरिक रक्षा महाविद्यालय, नागपुर और केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान के मौजूदा नागरिक रक्षा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का मुख्य फोकस संकटकालीन कार्रवाई तथा संकटकालीन कार्रवाईकर्ताओं की क्षमता निर्माण की ओर है। यह पाया गया है कि राज्य स्तर पर प्रशिक्षण अपर्याप्त संसाधनों तथा आपदा प्रबंधन पर उचित प्रशिक्षण सामग्री, प्रशिक्षकों तथा शिक्षकों को रिफ्रेशर्स प्रशिक्षण तथा मानकीकृत प्रशिक्षण मॉडयूलों के अभाव की वजह से कारगर नहीं है।

5.17 उपर्युक्त तथ्यों पर विचार करते हुए, एन.डी.एम.ए. ने चार क्षेत्रीय परामर्शी कार्यशालाओं का संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण (यू.एस.ए.आई.डी.) के सहयोग से देश के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजन किया ताकि आपदा के समग्र प्रबंधन में नागरिक रक्षा स्वयंसेवकों के लिए प्रशिक्षण आवश्यकता संबंधी आकलन कार्य तथा नागरिक रक्षा प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/मॉडयूलों की समीक्षा की जा सके। क्षेत्रीय परामर्शी कार्यशालाओं का ब्यौरा निम्नलिखित सारणी में दिया गया है।

5.18 इन कांफ्रेंसों के विवेचनों के आधार पर, एक विस्तृत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विकसित किया गया है जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है।

राज्यों के साथ बातचीत

5.19 आपदा प्रबंधन में आमूलचूल बदलाव लागू करने के लिए राज्यों के साथ बातचीत तथा उनके संवेदीकरण संबंधी कार्यकलाप एन.डी.एम.ए. के प्रारंभ–काल से उसका एक प्रमुख कार्यकलाप रहा है। एन.डी.एम.ए. के उपाध्यक्ष तथा सदस्यों ने अनेक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा किया और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में राज्यों की चिंताओं तथा प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों तथा सरकारी अधिकारियों से मुलाकात की। विभिन्न भागीदार

क्रमांक	स्थान	तारीख
1.	प्रथम क्षेत्रीय कांफ्रेंस, एन.सी.डी.सी., नागपुर	19 जुलाई, 2008 (पश्चिमी क्षेत्रीय कांफ्रेंस)
2.	द्वितीय क्षेत्रीय कांफ्रेंस, कोलकाता	25 जुलाई, 2008 (पूर्वी क्षेत्रीय कांफ्रेंस)
3.	तृतीय क्षेत्रीय कांफ्रेंस, दिल्ली	22 अगस्त, 2008 (उत्तरी क्षेत्रीय कांफ्रेंस)
4.	चतुर्थ क्षेत्रीय कांफ्रेंस, त्रिवेन्द्रम	05 नवंबर, 2008 (दक्षिणी क्षेत्रीय कांफ्रेंस)

अभिकरणों के साथ इन दौरों के दौरान आपदा के प्रति तैयारी, प्रशमन प्रयासों तथा संकटकालीन कार्रवाई को मजबूत करने के विषय पर उनके फीडबैक हासिल करने के लिए उनके साथ अनेक बैठकें आयोजित कीं।

5.20 इन दौरों के अलावा, महाराष्ट्र और प० बंगाल में क्रमशः मुंबई और कोलकाता में 07 नवंबर और 23 दिसंबर, 2008 को संवेदीकरण कार्यशालाओं का संचालन भी किया गया। इन कार्यशालाओं में केंद्रीय मंत्रालयों और संबंधित राज्य विभागों से भाग लेने वाले अधिकारियों के अलावा बड़ी संख्या में भागीदार अभिकरण भी शामिल थे। प्रमुख एन.जी.ओ., कार्पोरेट सेक्टर, सी.बी.ओ., पी.आर.आई. और शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि भी इन कार्यशालाओं में शामिल हुए।

श्री विलासराव देशमुख, माननीय मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र मुम्बई में आयोजित संवेदीकरण कार्यशाला में डॉ० मोहन कांडा, सदस्य, एन.डी.एम.ए. के साथ।

5.21 उत्तर–पूर्वी राज्यों की बहु–विपदा पूर्ण असुरक्षितता प्रवृत्ति पर विचार करते हुए, उत्तर पूर्वी परिषद के सहयोग से इन राज्यों में कार्यशालाएँ आयोजित करके एक प्रमुख पहल की गई। इन कार्यशालाओं के दौरान इनमें से प्रत्येक राज्य को जोखिम और असुरक्षितता के विश्लेषण को एन.डी.एम.ए. के विशेषज्ञों और सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इन कार्यशालाओं में गुवाहाटी और कोलकाता में स्थित एन.डी.आर.एफ. बटालियनों द्वारा किसी आपदा स्थिति में खोज और बचाव कौशलों पर मैदानी प्रदर्शन (फील्ड डिमोन्स्ट्रेशन) भी किए गए।

5.22 दिनांक 17–18 अप्रैल, 2008 के दौरान अरूणाचल प्रदेश में ईटानगर में 'आपदा जोखिम प्रबंधन' पर एक दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। श्री दोरजी खांडू, माननीय मुख्यमंत्री ने कार्यशाला को उद्घाटन किया।

श्री दोरजी खांडू, माननीय मुख्यमंत्री अरूणाचल प्रदेश दिनांक 17 अप्रैल, 2008 को ईटानगर में आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यशाला के दौरान, साथ में श्री के.एम. सिंह, सदस्य, एन.डी.एम.ए. है।

5.23 एन.डी.एम.ए. ने 10–11 जून, 2008 के दौरान शिलांग में आपदा संबंधी तैयारी पर मेघालय सरकार के सहयोग से एक कार्यशाला भी आयोजित की। कार्यशाला का उद्घाटन श्री दोनकुपर राय, माननीय मुख्यमंत्री, मेघालय ने किया।

श्री दोनकुपर राय, माननीय मुख्यमंत्री, मेघालय श्री के.एम. सिंह और ले. जन. जे.आर. भारद्वाज, सदस्य, एन.डी.एम.ए. के साथ दिनांक 10 जून, 2008 को शिलांग में आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यशाला के दौरान।

5.24 दिनांक 12–13 दिसंबर, 2008 के दौरान अगरतला में आपदा जोखिम में कमी पर दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्‌घाटन श्री माणिक सरकार, माननीय मुख्यमंत्री, त्रिपुरा सरकार द्वारा किया गया। क्षतिग्रस्त संरचना संबंधी खोज एवं बचाव और बाढ़ से बचाव पर एक प्रदर्शन एन.डी.आर.एफ. बटालियन द्वारा किया गया। महामहिम श्री डी.एन. सहाय, राज्यपाल, त्रिपुरा ने भी इस प्रदर्शन को देखा।

श्री माणिक सरकार, माननीय मुख्यमंत्री, त्रिपुरा जन. एन.सी. विज, उपाध्यक्ष श्री के.एम. सिंह, और प्रो. एन.वी.सी. मेनन, सदस्य के साथ 12 दिसंबर, 2008 को अगरतला में आपदा जोखिम में कमी पर कार्यशाला के दौरान।

कृत्रिम (मॉक) अभ्यास

5.25 यह उन महत्त्वपूर्ण प्रयासों में से एक है जो एन.डी.एम.ए. ने प्राकृतिक और मानव–जनित आपदाओं, दोनों की आपदा प्रबंधन योजनाओं की कारगरता की समीक्षा और जन चेतना उत्पन्न करने के लिए राज्य सरकारों और जिला प्रशासन को सुविधा उपलब्ध कराता है। इन अभ्यासों का संचालन राज्य सरकारों की सिफारिशों पर सर्वाधिक असुरक्षित जिलों और औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है।

आईजॉल, मिजोरम में 17 फरवरी, 2009 को भूकंप पर कृत्रिम अभ्यास।

5.26 इन अभ्यासों का संचालन एक चरणबद्ध तरीका अपनाकर एक सुनियोजित एवं व्यापक ढंग से किया जाता है। प्रारंभिक चरण में, एक ओरियंटेशन–कम–कोआर्डिनेशन कांफ्रेंस का आयोजन विभिन्न भागीदार अभिकरणों की भूमिकाओं और उत्तरदायित्व पर विशेष बल दिया जाता है। अगले चरण में, नकली परिदृश्यों में भागीदारों की अनुक्रिया के निष्कर्ष के लिए टेबलटॉप अभ्यासों को किया जाता है। इन परिदृश्यों को आपदा प्रबंधन चक्र के संपूर्ण सार को शामिल करने के लिए कल्पित किया जाता है। इस चरण के अंत में प्राप्त किए गए सबकों के अनुभव को सभी भागीदारों के साथ बाँटा जाता है और कृत्रिम अभ्यास के वास्तविक संचालन से पहले भागीदारों को अपनी अनुक्रियाओं का व्यक्त करने तथा अपने अधीनस्थों को प्रशिक्षित करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है। यह अभ्यास एक नकली परिदृश्य रच कर संचालित किया जाता है और विभिन्न

मुम्बई में 13 मई, 2008 को रासायनिक (औद्योगिक) आपदा पर कृत्रिम अभ्यास।

भागीदारों की अनुक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए अभ्यास को आगे बढ़ाया जाता है। अभ्यास को मॉनीटर करने के लिए कई प्रेक्षकों को भी रखा जाता है और भागीदारों के अलावा समुदाय से तमाशबीनों और भागीदार अभिकरणों को भी कृत्रिम अभ्यास में आमंत्रित किया जाता है। कृत्रिम अभ्यास के बाद एक बड़ा विवरण तैयार किया जाता है जिसमें प्रेक्षकों को अपना फीडबैक देने के लिए कहा जाता है। इन अभ्यासों के द्वारा ढूंढी गई कमियों के बारे में राज्य और जिला प्रशासन तथा विभिन्न उद्योगों के प्रबंधन को भी सूचित किया जाता है।

5.27 कृत्रिम अभ्यासों का संचालन जमीनी स्तर पर तैयारी की संस्कृति उत्पन्न करने में काफी मददगार रहा है। अधिकांश अभ्यासों में समुदाय और छात्रों की बड़ी भागीदारी–रही है। जिला प्रशासन कार्पोरेट क्षेत्र और अन्य प्रथम कार्रवाईकर्ताओं ने जबरदस्त उत्साह दिखाया। अधिकांश अभ्यासों में राज्य स्तर पर लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों और वरिष्ठ स्तर के पदाधिकारियों ने भाग लिया। इन अभ्यासों को स्थानीय प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा भी व्यापक कवरेज दिया गया जिससे लोगों में बड़ी संख्या में जागरुकता फैली।

5.28 रिपोर्ट के अधीन वर्ष के दौरान विभिन्न आपदाओं जैसे नगरीय आग, रासायनिक (औद्योगिक) आपदा, बाढ़, भूकंप और चक्रवात, पर पूरे देश में 29 कृत्रिम अभ्यासों का संचालन किया गया। इस वर्ष के दौरान कृत्रिम अभ्यास की विशेषता कोलकाता मेट्रो रेल में आतंकवादी हमले और गैस रिसाव पर कृत्रिम अभ्यास तथा हैदराबाद और बेंगलुरू में बड़ी दुर्घटना प्रबंधन पर कृत्रिम अभ्यास का संचालन था।

प्रकाशम, नेल्लूर जिला, आंध्र प्रदेश में दिनांक 04 जून, 2008 को चक्रवात पर कृत्रिम अभ्यास।

26 नवंबर, 2008 को हैदराबाद में अस्पताल संबंधी तैयारी पर कृत्रिम अभ्यास।

01 अप्रैल, 2008 से 31 मार्च, 2009 तक एन.डी.एम.ए. द्वारा संचालित कृत्रिम (मॉक) अभ्यास

क्रम सं०	तारीख	खतरा/आपदा	स्थान
01.	10 अप्रैल, 08	नगरीय आग	कोलकाता, पश्चिम बंगाल
02.	13 मई, 08	रासायनिक (औद्योगिक) आपदा	मुम्बई, महाराष्ट्र
03.	24 मई, 08	आतंकवादी हमला तथा गैस का रिसाव।	कोलकाता मेट्रो रेल के दो मेट्रो स्टेशन
04.	29 मई, 08	बाढ़	सिद्धार्थ नगर जिला, उत्तर प्रदेश
05.	29 मई, 08	बाढ़	गोरखपुर जिला, उत्तर प्रदेश
06.	30 मई, 08	बाढ़	देवरिया जिला, उत्तर प्रदेश
07.	04 जून, 08	चक्रवात	नेल्लोर, आंध्र प्रदेश
08.	04 जून, 08	चक्रवात	प्रकाशम, आंध्र प्रदेश
09.	20 जून, 08	बाढ़	बेरावल, जूनागढ़, गुजरात
10.	23 जुलाई, 08	रासायनिक (औद्योगिक) आपदा	कोयम्बटूर, तमिलनाडु
11.	26 अगस्त, 08	बड़ी दुर्घटना प्रबंधन	एम.एस. रमैया मैमोरियल अस्पताल, बेंगलुरू, कर्नाटक
12.	29 अगस्त, 08	रासायनिक (औद्योगिक) आपदा	हल्दिया, प० बंगाल
13.	03 सितम्बर, 08	नगरीय आग	कानपुर, उत्तर प्रदेश
14.	27 सितम्बर, 08	नगरीय बाढ़	चेन्नई, तमिलनाडु
15.	01 अक्तूबर, 08	रासायनिक (औद्योगिक) आपदा	भिलाई, छत्तीसगढ़
16.	13 अक्तूबर, 08	नगरीय आग	अमृतसर, पंजाब
17.	18 अक्तूबर, 08	भूकंप	पूर्वी दिल्ली
18.	18 अक्तूबर, 08	भूकंप	उत्तर–पूर्वी दिल्ली
19.	18 अक्तूबर, 08	भूकंप	दक्षिण–पश्चिमी दिल्ली
20.	08 नवंबर, 08	भूकंप	शिमला जिला, हिमाचल प्रदेश
21.	11 नवंबर, 08	भूकंप	कांगड़ा जिला, हिमाचल प्रदेश
22.	26 नवंबर, 08	अस्पताल संबंधी तैयारी और बड़ी दुर्घटना का प्रबंधन	हैदराबाद
23.	23 दिसंबर, 2008	चक्रवात	कडमत द्वीप, लक्षद्वीप
24.	24 दिसंबर, 2008	चक्रवात	कावारत्ती द्वीप, लक्षद्वीप
25.	17 फरवरी, 09	भूकंप	आईजॉल, मिजोरम
26.	19 फरवरी, 09	रासायनिक (औद्योगिक) आपदा	बेंगलुरू (ग्रामीण), कर्नाटक
27.	24 फरवरी, 09	रासायनिक (औद्योगिक) आपदा	नुमालीगढ़, असम
28.	27 फरवरी, 09	भूकंप	कोहिमा, नागालैण्ड
29.	09 मार्च, 09	रासायनिक (औद्योगिक) आपदा	गुड़गांव, हरियाणा

जागरुकता अभियान

5.29 जनता के बीच जागरुकता लाने के अपने प्रयास में, एन.डी.एम.ए. ने इलैक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से कई जन जागरुकता अभियान शुरू किए। इनका फोकस आपदा प्रबंधन हेतु उचित वातावरण तैयार करने और लक्षित श्रोता गण पर उच्च स्तरीय प्रभाव छोड़ने पर था।

भूकंप जागरुकता अभियान

5.30 पूरे साल के दौरान देश भर में भूकंप जागरुकता अभियान को इलैक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से व्यापक रूप में चलाया गया। ज्यादा लोगों का ध्यान खींचने के लिए दूरदर्शन पर मुख्य समय के सीरियल, समाचार प्रसारण और क्रिकेट मैचों के दौरान अभियान पर निर्मित स्पॉटों का प्रसारण किया गया। आकाशवाणी से भी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कार्यक्रमों के दौरान जागरुकता अभियान का प्रसारण किया गया। शीर्ष राष्ट्रीय और क्षेत्रीय अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित किए गए। भूकंप जागरुकता पर इंडिया टुडे पत्रिका में मार्च–अप्रैल, 2008 के अंक में प्रो. एन. विनोद चंद्र मेनन, सदस्य, एन.डी.एम.ए. के एक विशेष परिशिष्ट को भी प्रकाशित किया गया। इस विशेष परिशिष्ट को हिन्दी, अंग्रेजी और कुछ क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित किया गया।

चक्रवात जागरूकता अभियान

5.31 वर्ष 2007–08 में प्रारंभ किए गए चक्रवात जागरुकता अभियान के अनुक्रम में अक्तूबर से दिसंबर, 2008 के दौरान इलैक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक विशेष अभियान चलाया गया। यह अभियान निजी दूरदर्शन चैनलों, दूरदर्शन तथा आकाशवाणी पर भी चलाया गया। इस बात का ध्यान रखा गया कि सभी चक्रवात प्रवण राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी क्षेत्रीय भाषाओं में व्यापक कवरेज दी जाए।

बाढ़ जागरूकता अभियान

5.32 बाढ़ जागरुकता अभियान को इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बाढ़–प्रवण राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रारंभ किया गया। आकाशवाणी में जून, जुलाई और अगस्त, 2008 में इस अभियान का प्रसारण किया। इन कार्यक्रमों की व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए, स्पॉटों का विविध भारती, एफ.एम. चैनलों पर और एशिया कप 2008 क्रिकेट मैचों के दौरान प्रसारण किया गया। दूरदर्शन ने भी इन कार्यक्रमों को जून, 2008 में त्रिकोणीय शृंखला मैचों के दौरान दिखाया। इन कार्यक्रमों का दूरदर्शन और आकाशवाणी के क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा भी व्यापक प्रसारण किया गया था।

गणतंत्र दिवस की झाँकी

5.33 एन.डी.एम.ए. गणतंत्र दिवस परेड, 2009 के दौरान सामुदायिक भागीदारी, खोज तथा बचाव, आपदा संचार तथा चिकित्सा संबंधी तैयारी की अपनी बहु–आयामी गतिविधियों को दर्शाने के लिए अपनी प्रथम झाँकी का

26 जनवरी, 2009 को गणतंत्र दिवस के दौरान एन.डी.एम.ए. की झाँकी।

प्रदर्शन किया। इस झाँकी की इसकी रचनात्मकता और डिजाइन के लिए काफी तारीफ हुई।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचना, शिक्षा और संचार कार्यकलाप

5.34 गाँवों और स्थानीय स्तरीय समुदायों तक पहुँच बनाने के लिए, एन.डी.एम.ए. ने जागरुकता/सृजन कार्यकलापों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल करने का निश्चय किया है। राज्य सरकारों ने विगत में ऐसे ही अभियान चलाए हैं और इससे अभियान में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और एन.डी.एम.ए. के बीच आवश्यक सहक्रिया उत्पन्न हुई। कार्यकलापों की जानकारी के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राहत आयुक्तों/प्रधान सचिवों के साथ दिनांक 18–19 जून, 2008 को एक वीडियो कांफ्रेंस आयोजित की गई जिसके बाद जागरुकता अभियानों हेतु प्रस्तावों को भेजने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तावित कार्यकलापों में पोस्टर, सिनेमा हॉलों में वृत्त चित्र (रेडियो जिंगल टी.वी. स्पॉट सहित) स्थानीय भाषाओं में बुकलेट/लीफलेट्स, होर्डिंग, वाल पेंटिंग, विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम, मॉक ड्रिल, तैयारी संकटकालीन कार्रवाई, रिट्रोफिटिंग, भूकंप रोधी निर्माण, जन जागरुकता पर प्रशिक्षण मॉड्यूलों को तैयार करना शामिल हैं। इन कार्यक्रमों को एन.डी.एम.ए. के उचित वित्तीय सहयोग से सक्रियता से चलाया जा रहा है।

6 आपदा जोखिम प्रशमन परियोजनाएँ

6.1 एन.डी.एम.ए. कई प्रशमन परियोजनाओं की अवधारणा तैयार करने और कार्यान्वयन में संलिप्त है। एन.डी.एम.ए. ने नोडल मंत्रालयों, राज्य सरकारों और संबंधित सरकारी एजेन्सी के परामर्श से परियोजनाओं की आवश्यक बातों और संक्षिप्त रूपरेखा के निर्धारण के साथ, सूत्रीकरण सम्बन्धी प्रक्रिया आरम्भ कर दी है। परियोजना की बहु–विषयक दलों द्वारा अपेक्षित समर्थनकारी व्यवस्थाओं जैसे वित्तीय, तकनीकी एवं प्रबन्धकीय संसाधनों तथा तकनीकी–वैधानिक व्यवस्था सम्बन्धी विवरण सहित विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डी.पी.आर.) तैयार की जाएंगी। विशिष्ट आपदाओं और/या विषय मूलक हस्तक्षेपों के लिए उत्तरदायी विभिन्न नोडल एजेन्सियों को परियोजना कार्य सौंपा जाएगा। मंत्रालयों, राज्य सरकारों तथा एन.डी.एम.ए. के तकनीकी विशेषज्ञों से गठित एक बहुक्षेत्रीय समूह के प्रतिनिधियों द्वारा आवधिक मॉनीटरिंग का कार्य किया जाएगा।

प्रशमन परियोजनाएँ

6.2 एन.डी.एम.ए. द्वारा निम्नलिखित प्रशमन परियोजनाओं की योजनाएं बनाई गई हैं :

- राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना (एन.सी.आर.एम.पी.)।
- राष्ट्रीय भूकंप जोखिम प्रशमन परियोजना (एन.ई.आर.एम.पी.)।
- राष्ट्रीय आपदा संचार नेटवर्क परियोजना (एन.डी.सी.एन.पी.)।
- राष्ट्रीय बाढ़ जोखिम प्रशमन परियोजना (एन.एफ.आर.एम.पी.)।
- राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रशमन परियोजना (एन.एल.आर.एम.पी.)।

6.3 अन्य आपदा प्रशमन परियोजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं :

- राष्ट्रीय प्रशमन भंडार (रिजर्व)।
- विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम (प्रायोगिक परियोजना)
- ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी के मृदा कटाव का अध्ययन।
- भारत में कॉर्टोग्राफी आधार का विकास।
- हैदराबाद नगरीय बाढ़ का अध्ययन।

6.4 एन.डी.एम.ए. ने नोडल एजेन्सियों और राज्य सरकारों के निकट सहयोग से राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना, राष्ट्रीय भूकम्प जोखिम प्रशमन परियोजना, राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा परियोजना, राष्ट्रीय बाढ़ जोखिम प्रशमन परियोजना, राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रशमन परियोजना और राष्ट्रीय आपदा संचार नेटवर्क परियोजना शुरू करने हेतु उनकी तैयारी के लिए कार्य आरम्भ किया है।

राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना

6.5 गृह मंत्रालय ने चक्रवात संभावित 13 तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना को तैयार किया जिसे सितम्बर, 2006 में एन.डी.एम.ए. को इसके प्रबंधन हेतु हस्तान्तरित कर दिया। यह परियोजना नौ राज्यों नामतः आंध्र प्रदेश,

गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, और पश्चिम बंगाल तथा चार संघ राज्य क्षेत्रों नामतः अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव, पॉन्डिचेरी और लक्षद्वीप द्वारा क्रियान्वयन के लिए प्रस्तावित है। इस परियोजना को निधिपोषण के लिए विश्व बैंक के पास प्रस्ताव भेजा जाना है।

6.6 राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना को विश्व बैंक की सहायता से देश में चक्रवात जोखिमों का निवारण करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य चक्रवात प्रवण तटवर्ती जिलों में चक्रवात के जोखिम और विध्वंस को कम करने के लिए संरचनात्मक और गैर–संरचनात्मक प्रशमन के प्रयासों को मजबूत बनाना है। परियोजना में चार प्रमुख घटकों का अनुमान लगाया गया है :

- घटक क – चक्रवात चेतावनियों और सलाहों की सर्वत्र संपर्कता को मजबूत करने के लिए पूर्व चेतावनी प्रसार प्रणाली को उन्नत करना।
- घटक ख – चक्रवात जोखिम प्रशमन निवेश।
- घटक ग – विपदा जोखिम प्रबंधन और क्षमता निर्माण हेतु तकनीकी सहायता।
- घटक घ – परियोजना प्रबंधन और सांस्थानिक सहायता।

6.7 ये घटक अत्यधिक अंतर–निर्भर हैं और इन्हें एक संगत तरीके से लागू किया जाना है। इस परियोजना के अधीन कार्यकलापों की योजना रूपरेखा में सभी 13 तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कारगर चक्रवात आपदा प्रबंधन हेतु संपूर्ण हल उपलब्ध कराए गए हैं।

6.8 एन.डी.एम.ए. ने मैसर्स अर्नस्ट एंड यंग नामक परामर्शी अभिकरण को परियोजना में सहायता देने का काम सौंपा है। अभिकरण ने 19 मई, 2008 से अपना काम शुरू कर दिया है। यह अभिकरण विश्व बैंक से सहायता दिलाने के लिए परियोजना के मूल्यांकन में मदद करेगा और इसने विभिन्न उपकरण किटें और नियम–पुस्तिकाओं जैसे विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर), अधिप्राप्ति एवं वित्तीय प्रबंधन नियम–पुस्तिकाएं, पर्यावरण और सामाजिक रूपरेखा और प्रचालन नियम–पुस्तिकाओं को तैयार करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। ये दस्तावेज के अपेक्षित मूल्यांकन दस्तावेज हैं जो विश्व बैंक द्वारा परियोजना के वित्तीय मूल्यांकन के लिए जरूरी हैं। परियोजना को गति देने के लिए, आई.एस.डी.आर. से तकनीकी सहायता के अधीन एक पूर्णकालिक परियोजना निदेशक उपलब्ध है।

6.9 गृह मंत्रालय के अनुमोदन से, राज्यों द्वारा परियोजना से जुड़ी विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को तैयार करने के लिए सहायता अनुदान के रूप में फंड जारी किए जा चुके हैं। राज्यों को जारी की गई राशियां निम्नानुसार हैं :

क्रम सं.	राज्य का नाम	आवंटन (करोड़ रुपए)
1	आंध्र प्रदेश	1.80
2	उड़ीसा	2.5
3	महाराष्ट्र	0.5
4	गुजरात	0.12
5	पश्चिम बंगाल	0.96

विश्व बैंक मिशन का राज्यों का दौरा

6.10 विश्व बैंक के मिशनों ने 3–6 फरवरी, 2009 तक उड़ीसा तथा 9–12 फरवरी, 2009 तक गुजरात का दौरा किया। मिशनों का उद्देश्य तैयारी की प्रगति और राज्यों की सांस्थानिक तत्परता, न्यासीय और सुरक्षा प्रबंधन व्यवस्थाओं

पर चर्चा तथा सहमति के बाद परियोजना को तैयार करने की गति बढ़ाने में एन.डी.एम.ए. और राज्यों की सहायता करना था। मिशन पूरी तरह सुसंगठित मिशन थे क्योंकि इनमें आपदा प्रबंधन, सेक्टर विशेषज्ञता (सड़क, पुल, चक्रवात से बचने हेतु आश्रय, नहरों और बांध, बागान), अधिप्राप्ति और वित्तीय प्रबंधन, पर्यावरणिक और सामाजिक क्षेत्रों से आए विशिष्ट सदस्य शामिल थे। एन.डी.एम.ए. के प्रतिनिधि और मैसर्स अर्नस्ट एंड यंग इन दौरों पर विश्व बैंक मिशनों के साथ रहे।

राष्ट्रीय भूकम्प जोखिम प्रशमन परियोजना (एन.ई.आर.एम.पी.)

6.11 राष्ट्रीय भूकम्प जोखिम प्रशमन परियोजना का उद्देश्य भूकम्प सम्बन्धी जोखिम के प्रबंधन सम्बन्धी कमियों को दूर करना है। इस परियोजना के अन्तर्गत निम्नांकित उद्देश्यों को पूरा करने का लक्ष्य हैं:

- विभिन्न भागीदार समूहों जैसे इंजीनियरों, वास्तुविदों, इंजीनियरिंग कॉलेजों वाले संकाय सदस्य, कार्य–स्थल पर्यवेक्षकों, ठेकेदारों, मुख्य मिस्त्रियों और कारीगरों आदि की कार्य कुशलता का विकास करना;
- भूकम्प के जोखिम और उससे नुकसान, प्रौद्योगिक–वैधानिक व्यवस्था, भवन सुरक्षा आदि के बारे में जन–जागरूकता पैदा करना;
- समर्थ प्रौद्योगिक–वैधानिक व्यवस्था बनाना और उसे भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों द्वारा उसका प्रवर्तन और अनुपालन करना;
- सांस्थानिक सुदृढ़ीकरण, अनुसंधान और विकास;
- भूकम्प जोन IV और V के उच्च्य जोखिम वाले 229 जिलों में प्रदर्शनात्मक प्रभाव के लिए जिला अस्पतालों के साथ शुरुआत करने हुए महत्त्वपूर्ण भवनों की रिट्रोफिटिंग; और
- परियोजना प्रबंधन सम्बन्धी सहायता।

6.12 मैसर्स प्राइसवाटर हाउस कूपर को एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए परामर्शदात्री अभिकरण के रूप में नियुक्त किया गया है।

राष्ट्रीय आपदा संचार नेटवर्क (एन.डी.सी.एन.पी.)

6.13 सकारात्मक आपदा–मदद कार्यों के लिए देश को कुशल संचार और सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता, की आवश्यकता है जो पूर्व चेतावनी और बाद में पूर्वानुमान करने के लिए आवश्यक है। सहायता के माध्यम (आवाज, वीडियो और डाटा) पर्याप्त और उत्तरदायी होने चाहिए। यह कमान और कन्ट्रोल दोनों के लिए बहुस्तरीय हो जो कार्यान्वयन और चेतावनी पूर्वानुमान में भी सहायक हो।

6.14 एन.डी.एम.ए. ने पांच वर्षों की परियोजना अवधि के साथ 450 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली एक राष्ट्रीय आपदा संचार नेटवर्क परियोजना तैयार की है। वर्तमान में, एन.डी.एम.ए. इस परियोजना के लिए डी.पी.आर. तैयार करने के लिए एक परामर्शदाता के चयन की प्रक्रिया में है। इस परियोजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

- सकारात्मक आपदा प्रबंधन कार्यकलापों हेतु एक विश्वसनीय, अनुक्रिया–पूर्ण और समर्पित संचार और सूचना प्रौद्योगिकी सहायता उपलब्ध कराना।
- राष्ट्रीय, राज्यीय और जिला स्तर पर संकटकालीन प्रचालन केंद्रों की स्थापना/सुदृढ़ीकरण।
- ग्राम स्तर तक ध्वनि संपर्कता का विस्तार।

- कॉमन उभयनिष्ठ सेवा केंद्र (सी.एस.सी.) स्तर तक डेटा कनेक्टिविटी।
- आपदा स्थल पर संचार की तीव्र बहाली।

6.15 आर.एफ.पी. के प्रत्युत्तर में चार फर्मों ने अपनी तकनीकी और वित्तीय बोलियां प्रस्तुत कीं। अपर सचिव, दूरसंचार की अध्यक्षता में तकनीकी और वित्तीय बोली के मूल्यांकन हेतु एक टी.ई.सी. गठित की गई। टी.ई.सी. ने 27 फरवरी, 2009 को बैठक की और फर्मों की प्रस्तुति और आर.एफ.पी. में निर्धारित मानदंडों के आधार पर फर्मों का मूल्यांकन किया। टी.ई.सी. की सिफारिशों और आर.एफ.पी. में निहित उपबंधों के आधार पर वित्तीय बोली खोली गई। वर्तमान में, अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए न्यूनतम बोलीदाता के साथ बातचीत के लिए एक अनुबंध वार्ता समिति का गठन किया गया है।

राष्ट्रीय बाढ़ जोखिम प्रशमन परियोजना

6.16 एन.डी.एम.ए. ने देश में बाढ़ से निपटने की तैयारी, प्रशमन तथा प्रबंधन की मजबूती हेतु एक समग्र परियोजना के रूप में एक राष्ट्रीय बाढ़ जोखिम प्रशमन परियोजना तैयार की है। राष्ट्रीय बाढ़ जोखिम प्रशमन परियोजना का लक्ष्य बाढ़ के विध्वंस और जानों, आजीविका तंत्रों, संपत्ति तथा आधार ढांचे और नागरिक सुविधाओं को हो रही परिणामी हानि को कम करने, बाढ़ के प्रति तैयारी और प्रशमन के मुद्दों को हल करने के लिए केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों की सहायता करना है। इस परियोजना को 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 500 करोड़ रुपए की एक अनुमानित राशि से कार्यान्वित किया जाएगा। फिलहाल, एन.डी.एम.ए., एन.एफ.आर.एम.पी. के डी.पी.आर. की तैयारी हेतु एक शीर्ष परामर्शदाता के चयन की प्रक्रिया में लगा हुआ है। इस बारे में, 14 फर्मों से रूचि अभिव्यक्ति प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 9 को आर.एफ.पी. जारी करने के लिए छांटा गया है। फिलहाल आर.एफ.पी. और काम का कार्यक्षेत्र तय किया जा रहा है और इसके लिए एक टी.ई.सी गठित की गई है। इस संबंध में, नोडल मंत्रालय को एक हवाला दिया गया है कि जल संसाधन मंत्रालय अपने बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रमों के विभिन्न घटकों की एक अपडेट रखेगा ताकि प्रयासों का दोहराव न हो सके।

6.17 परियोजना के उद्देश्य और लक्ष्य निम्नलिखित हैं:

(i) बाढ़ की तीव्रता, जोखिम अथवा बाढ़ के परिणाम में कमी या उनका प्रशमन।

(ii) बाढ़ से निपटने की क्षमता; बाढ़ के लिए प्रभावी संबंधी तैयारी; बाढ़ के खतरे अथवा बाढ़ से निपटने में कार्रवाई में तत्परता अथवा विभिन्न बाढ़ आपदा से संबंधित असुरक्षा और जोखिम का अनुमान करना।

(iii) यह सुनिश्चित करना कि आपदा राहत, पुनर्निर्माण, पुनर्वास और पुनर्बहाली तथा जागरूकता और तत्परता उत्पन्न करने तथा सलाह देने आदि के लिए संसाधनों और क्षमता को जुटाने के लिए सभी प्रबंध हैं।

6.18 एन.डी.एम.ए. ने एन.एफ.आर.एम.पी. के कार्यकलापों पर डी.पी.आर. की तैयारी के लिए कन्सल्टैन्सी एजेन्सी की चयन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है।

राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रशमन परियोजना

6.19 "भूस्खलन विपदा जोखिम प्रशमन हेतु एक समग्र रणनीति बनाने के लिए, एन.डी.एम.ए. का इरादा राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रशमन परियोजना पर एक डी.पी.आर.

तैयार करने का है। राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रशमन परियोजना के अधीन महत्त्वपूर्ण कार्यकलापों में, भूस्खलन प्रक्रिया और प्रक्रम की संपूर्ण समझ का प्रारूप और विकास, भूस्खलन संबंधी मानचित्रण और आकलन हेतु योजना सहित रणनीति प्रस्तावित करना, सक्रिय भूस्खलनों हेतु एक मॉनीटरिंग तंत्र का प्रस्ताव करना, हानि के आकलन जिनमें भूस्खलन विपदा के आर्थिक प्रभावों पर जानकारी का संकलन एवं मूल्यांकन आदि शामिल हैं, के लिए तौर–तरीकों का प्रस्ताव करना आदि शामिल हैं। अन्य घटकों में भागीदार अभिकरणों/प्रभावित समुदायों में क्षमता विकास तथा चेतना सृजन होंगे। इस प्रस्ताव को योजना आयोग की 11वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है।

6.20 एन.डी.एम.ए. ने राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रशमन परियोजना में कार्यकलापों पर डी.पी.आर तैयार करने के लिए एक परामर्शी अभिकरण के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नौ रूचि अभिव्यक्ति प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और फिलहाल उन्हें छंटाई के लिए जांचा जा रहा है। एन.डी.एम.ए. वर्तमान में, छांटी गई फर्मों को जारी किए जाने वाले प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आर.एफ.पी..) को अंतिम रूप देने के लिए एक टी.ई.सी. गठन की प्रक्रिया में लगा है।

राष्ट्रीय प्रशमन प्रारक्षित भंडार (रिजर्व)

6.21 राष्ट्रीय स्तर पर एक उचित रिजर्व रखने का विचार है जो दोनों ही पर्वतीय और गैर–पर्वतीय क्षेत्रों में गम्भीर आपदाओं का मुकाबला करने के लिए आवश्यक है। पिछले दशक में प्रमुख आपदाओं का अनुभव दिखाता है कि कुछ बहुत ऊँचे पर्वतीय इलाकों सहित महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में आवश्यक रिजर्वों को पहले से तैयार रखने की राष्ट्रीय पहल की स्पष्ट आवश्यकता है। ये रिजर्व राज्य स्तर पर प्रमुख आपदा के घटित होने के तुरंत बाद संसाधनों में वृद्धि हेतु बनाए जाते हैं। 4 लाख लोगों के लिए राष्ट्रीय रिजर्व के निर्माण के लिए तैयारी–कार्य प्राथमिकता के आधार पर आरम्भ हो गया है।

विद्यालय सुरक्षा परियोजना (प्रायोगिक परियोजना)

6.22 विद्यालयों में सुरक्षा की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए 2009–10 में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम परिकल्पित है जो प्रायोगिक परियोजना के रूप में आरम्भ किया जाएगा। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों के पढ़ने के लिए एक सुरक्षित शिक्षा वातावरण तैयार करना है। प्रायोगिक परियोजना को उन सभी जिलों में लागू किया जाएगा जो भूकम्प क्षेत्र IV और V में तथा भारत के असुरक्षित तटीय क्षेत्र में आते हैं। इसके पश्चात् प्रायोगिक परियोजना के दौरान जो सबक सीखा गया, उसके आधार पर एक पूर्णकालिक सुरक्षा कार्यक्रम आरम्भ किया जाएगा और इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अन्तर्गत सभी जिलों में लागू किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्यालय स्तर पर क्षमता निर्माण के साथ–2 विद्यालय सुरक्षा परियोजना के प्रारूप के निर्माण प्रारंभ हेतु उपाय प्रारंभ किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में 44 जिलों के अन्तर्गत दो विद्यालयों की रिट्रोफिटिंग सम्मिलित है और अध्यापकों के लिए एक संवेदीकरण कार्यक्रम तथा छात्रों के लिए कृत्रिम अभ्यास का करना सम्मिलित है।

ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा मृदा कटाव का अध्ययन

6.23 असम में ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा मृदा कटाव की समस्या पर एक अध्ययन का कार्य आई.आई.टी रूड़की के प्रो. नयन शर्मा को सौंपा गया है। अध्ययन तीन चरणों में संचालित किया जाना है। अध्ययन अप्रैल, 2008 में प्रारंभ हुआ है और इसकी अवधि इसके शुरू होने की तारीख से 24 महीनों की है। सांस्थानिक खर्च और सेवा कर सहित अध्ययन की कुल लागत 32,49,451 रुपए की है।

6.24 चरण I चरण II एवं चरण III के निष्कर्ष (डेलिवरेबल्स) निम्नानुसार हैं :

- चरण I : ब्रह्मपुत्र नदी के स्थानिक–कटाव से उत्पन्न उसके तटों में बदलाव के आकलन पर मात्रात्मक सूचना वाली अंतरिम रिपोर्ट।
- चरण II : असम में ब्रह्मपुत्र नदी की धारा के तटीय कटाव के पूर्वानुमान के लिए उचित ए.एन.एन. मॉडलों को विकसित किया जाएगा।
- चरण III : संश्लेषित अध्ययन रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें संबंधित एजेंसियों द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी के साथ के दो कटाव–पूर्ण स्थलों पर कटाव (मृदा–क्षरण) नियंत्रण के लिए अनुशंसित उपाय शामिल हैं।

6.25 प्रो. नयन शर्मा ने चरण–I के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। रिपोर्ट में निहित अनुशंसा पर उचित कार्रवाई हेतु जल संसाधन मंत्रालय और असम सरकार के पास रिपोर्ट की एक प्रति भेज दी गई है।

गंगा नदी के मृदा कटाव का अध्ययन

6.26 यह मामला जल संसाधन मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत इस तथ्य के आधार पर किए गए अध्ययन की समीक्षा हेतु विचाराधीन है कि इस अध्ययन में यथाप्रस्तावित तटीय हिस्सों अर्थात 100 करोड़ रु. के निवेश से फरक्का बैराज प्राधिकरण द्वारा प० बंगाल में राज महल से धुलियान तक मृदा कटाव संबंधी अध्ययन हो चुका है और कटाव को कारगर ढंग से नियंत्रित कर लिया गया है। अंतिम विचार करने के लिए नोडल मंत्रालय अर्थात जल संसाधन मंत्रालय का परामर्श लिया जा रहा है।

भारत का मानचित्रकारिता (कार्टोग्राफिक) आधार

6.27 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से देश के विभिन्न भागों में आपदा प्रबंधन और प्रशमन अपेक्षित हैं। ऐसे प्रयासों के लिए मानचित्रों/स्थानिक आंकड़ों की जरूरत है जिसका फिलहाल अभाव है। एन.डी.एम.ए. की प्रमुख समिति की बैठकों में, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के अनेक प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया और उन्होंने भी आपदा प्रशमन और प्रबंधन कार्यकलापों के लिए ऐसे मानचित्रों की जरूरत को महसूस किया। इस संदर्भ में एन.डी.एम.ए. की अधिकार–प्राप्त समिति ने भारत में कार्टोग्राफिक आधार के विकास पर डी.पी.आर. तैयार करने के लिए एक अध्ययन करने का कार्य राष्ट्रीय एटलस और विषयक मानचित्रण संगठन (एन.ए.टी.एम.ओ.) कोलकाता को सौंपने के प्रस्ताव की अनुशंसा की। इस अध्ययन के उद्देश्य निम्नानुसार हैं :

- एक डी.पी.आर. तैयार करने के लिए :
  - देश में 241 बहु–विपदा प्रवण जिलों के क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए, एक चरणबद्ध तरीके से 1 मी० कॉनटूर अवधि सहित 1:10,000 के पैमानों पर एक कार्टोग्राफिक आधार का विकास।
  - शहरों/कस्बों और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जो आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से चिंता का विषय हैं, हेतु 0.5 मी. कॉनटूर अवधि सहित 1:2,000 के पैमाने पर विस्तृत मानचित्रों को तैयार करना।
- एक न्यूनतम समयावधि में सौंपे गए उपर्युक्त कार्यों की पूर्णता के लिए प्रौद्योगिकीय विकल्पों और प्रक्रम का मूल्यांकन और प्रस्ताव करना।

6.28 अध्ययन की अनुमानित लागत 10 लाख रु है। एन.ए.टी.एम.ओ. द्वारा हाल ही में निर्दिष्ट किया गया है कि भारत में कार्टोग्राफिक आधार के विकास हेतु डी.पी.आर. तैयार करने के लिए निविदा पूछताछ के बारे में केवल दो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और इस प्रकार इस प्रक्रिया में कोई प्रगति नहीं हुई। इन परिस्थितियों में, एन.ए.टी.एम.ओ. को एन.डी.एम.ए. द्वारा अपने पत्र दिनांक 09/01/2009 के अंतर्गत "सीमित निविदा" माँगने की सलाह दी है जिसके साथ प्रतिष्ठित फर्मों के नाम संलग्न किए गए थे। निदेशक,

एन.ए.टी.एम.ओ. ने दिनांक 13/03/2009 को "सीमित निविदा" के न्यूनतम बोलीदाता के लिए एन.डी.एम.ए. का अनुमोदन माँगा है।

संभावित भूकंपीय खतरा विश्लेषण (पी.एस.एच.ए.)

6.29 एन.डी.एम.ए. का इरादा भारत का संभावित भूकंपीय खतरा मानचित्र तैयार करना है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

- भूतकालिक प्रयासों की समीक्षा सहित भारत की पी.एस.एच.ए. के लिए एक मानक प्रणालीविज्ञान का वर्णन करने वाले एक मसौदा प्रौद्योगिकी–दस्तावेज (टेक–डॉक) की तैयारी।
- भूकंपीय खतरा विश्लेषण का एक राष्ट्रीय डेटाबेस तालिका को तैयार करना।
- देश के छह या सात पृथक भूकंपीय रिकार्ड वाले क्षेत्रों के लिए चुनिंदा प्रबल कंपन क्षीणता संबंध का विकास।
- विभिन्न आवृत्ति अवधियों (रिटर्न पीरियडों) के लिए 0.2ग0.2 की ग्रिड पर तल शिला (बेडरॉक) स्तर पर पी.जी.ए. और एस.ए. पर राष्ट्रीय पी.एस.एच.ए. मानचित्र को तैयार करना।

6.30 परियोजना का कार्य इस कार्यालय के पत्र दिनांक 07/08/2008 के अंतर्गत 56.14 लाख रु. की कुल लागत पर संरचनात्मक इंजीनियरी अनुसंधान केंद्र (एस.ई.आर.सी.) को सौंपा गया है। 28.07 लाख रु. का एक अग्रिम भुगतान दिनांक 24 सितंबर, 2008 को एस.ई.आर.सी. को किया गया था। इस मामले में 05 दिसंबर, 2008 को एक समीक्षा बैठक की गई।

हैदराबाद नगरीय बाढ़

6.31 आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद का नगरीय बाढ़ का एक इतिहास रहा है। प्रारंभिक काल से मूसी नदी, जो हैदराबाद के एक बड़े हिस्से में बहने वाली कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है और इस ऐतिहासिक पुराने शहर को नए शहर से अलग करती है, हैदराबाद में बाढ़ का कारण है। शहर के मध्य में एक बड़ी हुसैन सागर झील है जिसका पानी उसमें उफान आने के बाद एक नहर के माध्यम से पास की मूसी नदी में चला जाता है। हैदराबाद शहर में 22–23 अगस्त, 2008 को रिकार्ड बारिश हुई। बारिश से हैदराबाद शहर में बड़े पैमाने पर आकस्मिक बाढ़ आई। इस पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में, एन.डी.एम.ए. ने अधिकार–प्राप्त समिति की सिफारिशों के आधार पर अपने पत्र सं० 5–43/2007–प्रशा. दिनांक 27 अगस्त, 2008 के अंतर्गत हैदराबाद नगरीय बाढ़ के संबंध में मानचित्रण, प्रभाव आकलन और प्रबंधन का अध्ययन करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य दूर–संवेदी अनुप्रयोग केंद्र (ए.पी.एस.आर.एस.ए.सी.) को कार्य सौंपने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

6.32 इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य हैदराबाद शहर में नदी में आई आकस्मिक बाढ़ों और बाढ़ की खतरे का असुरक्षितता मानचित्रण हेतु एक बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल तैयार करना है। इस अध्ययन की सिफारिशों को मौजूदा मास्टर प्लानों के साथ जोड़ा जा सकता है जो बाढ़ की स्थितियों से निपटने में नगर प्रबंधकों/योजनाकारों के लिए मददगार होंगी।

6.33 अध्ययन की कुल लागत 27 लाख रुपए है। इसमें से 22 लाख रु. का ए.पी.एस.आर.एस.ए.सी./ए.पी.एस.डी.एम.एस. द्वारा और शेष 5 लाख रु. का एन.डी.एम.ए. द्वारा वहन किया जाएगा। अध्ययन की कुल लागत में इंस्ट्रूमेंटेशन और ए.एल.टी.एम. आंकड़ों की लागत शामिल नहीं हैं। यह परियोजना ए.पी.एस.आर.एस.ए.सी./ए.पी.एस.डी.एम.एस. द्वारा स्वीकृति की तिथि से 12 महीनों के अंदर पूरी की जाएगी। फंडों को यथानुपात आधार पर इस परियोजना के फंड संबंधी पैटर्न के आधार पर 5:22 के अनुपात में (एन.डी.एम.ए. : ए.पी.एस.आर.एस.ए.सी.) जारी किया जाएगा।

7 सूचना, संचार एवं पूर्व–चेतावनी प्रणालियाँ

आपदा प्रबंधन हेतु संचार सहायता

7.1 अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी सहित सूचना और प्रौद्योगिकी सहायता प्रणाली और अपनाई गई प्रत्येक प्रौद्योगिकी हेतु पर्याप्त व्यवस्था होना किसी भी आपदा प्रबंधन रूपरेखा का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भाग है। यह आपदा घटना चक्र के सभी चरणों नामतः आपदा–पूर्व, आपदा–दौरान और आपदा पश्चात परिदृश्य के दौरान अपेक्षित है। ध्वनि, आंकड़ा और वीडियो कॉफ्रेंसिंग के साथ ज्ञान आधारित जानकारी को सभी भागीदार अभिकरणों के पास त्वरित और उचित आपदा प्रबंधन कार्रवाई के लिए भेजा जाना अपेक्षित है।

7.2 एन.डी.एम.ए. ने देश में एक प्रतिबद्ध राष्ट्रीय आपदा संचार नेटवर्क (एन.डी.सी.एन) स्थापना का कार्य पहले ही शुरू कर दिया है जो अनिवार्यतः, जहां लागू हो, आपदा परिदृश्य के दौरान जिला स्तरीय प्रशासन और दूर–दराज के स्थानों वाले प्रभावित क्षेत्रों के बीच सर्वत्र संपर्कता पर विशेष ध्यान सहित मौजूदा संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी सहायता प्रणाली में गुणवत्तापूर्ण रूप से सहायक होगा।

अग्रिम पूर्वानुमान केंद्र का विकास

7.3 इस परियोजना का मूल उद्देश्य भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आई.एम.डी) की अग्रिम पूर्वानुमान क्षमताओं को (चक्रवात की क्षमता पहचानने सहित उन्नत शीर्ष समयावधि और स्थलावतरण गलत अनुमानों की घटी हुई त्रुटिपूर्ण संख्याओं के साथ) बढ़ाना है। एन.डी.एम.ए. भारत में जल–मौसम विज्ञानी (हाइड्रो– मीटिरियोलोजिकल) आपदाओं के अग्रिम पूर्वानुमान के लिए मॉडलों के प्रथाकरण और अंशांकन पर कार्यरत है। इसमें उचित विषयक ज्ञान रखने वाले एक विशेषज्ञ दल द्वारा देश में विभिन्न संस्थाओं के क्षेत्रीय मॉडलों सहित एक से अधिक वैश्विक मॉडल को कार्यान्वित करना है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी), भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, सी–एम.एम.ए.सी.एस. और अन्य संस्थानों से लिए गए विशेषज्ञों का एक दल इस परियोजना पर सक्रियता से कार्यरत हैं।

जी.आई.एस. केंद्र

7.4 आपदा प्रबंधन और प्रशमन के लिए जरूरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी जी.आई.एस. डेटा पर आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली (डी.एस.एस.) की उपलब्धता है ताकि आपदा के दौरान निर्णय लेने के उत्तरदायी प्राधिकारियों को मदद मिले। दूर संवेदीकरण के क्षेत्र में नवीनतम प्रौद्योगिकीय विकास का लाभ लेने के लिए, भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस) का एन.आर.एस.सी. हैदराबाद के माध्यम से विकास किया जाना प्रस्तावित है। ऐसा देश के सभी अधिकतम खतरे वाले जिलों के लिए डिजिटल बेस मानचित्रों पर महत्त्वपूर्ण आंकड़ों (जनांकिक, स्थलाकृतिक आधारढांचा और सामाजिक–आर्थिक) और खतरों संबंधी आंकड़ों (जल मौसमी–विज्ञानी और भौगोलिक) को अध्यारोपित (सुपरइंपोज) करके किया जाएगा।

अपेक्षित पैमानों और समोच्च अवधियों (कॉनटूर इंटरवलों) पर भारत के डिजिटल मानचित्र

7.5 वर्तमान में देश में उपलब्ध मानचित्रण संबंधी आधार 1:50,000 के पैमाने के अधीन है जबकि आपदा प्रबंधन और

प्रशमन हेतु जानकारी के लिए मानचित्रों का एक छोटे पैमाने अर्थात :–

i) 1:10,000 पैमाना (1.0 मीटर कॉनटूर इंटरवल सहित)।

ii) 1:2,000 पैमाना (0.5 मीटर कॉनटूर इंटरवल सहित) पर होना जरूरी है।

7.6 इन मानचित्रों की जरूरत देश के खतरों वाले 312 जिलों में है। राष्ट्रीय एटलस एवं विषयक मानचित्रण संगठन (एन.ए.टी.एम.ओ.), कोलकाता को एन.डी.एम.ए. ने इस परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार करने के लिए कहा है। डी.पी.आर. की शीघ्र ही पूरा किए जाने की संभावना है।

खतरा संबंधी मानचित्रण, संवेदनशीलता विश्लेषण और जोखिम आकलन

7.7 भूकंप, भूस्खलन, चक्रवात आदि के बारे में सभी खतरे वाले जिलों के लिए संवेदनशीलता विश्लेषण और जोखिम आकलन कार्य किया जाना है। तथापि, प्रभावी तटीय क्षेत्र प्रबंधन और योजना के लिए, जल मौसम–विज्ञानी खतरों के लिए भी साथ–साथ यह विश्लेषण किया जाना अनिवार्य है। किसी सफल प्रशमन रणनीति या योजनाओं को सोचने से पहले भौतिक परिसंपत्तियों के जोखिम का आकलन और मानचित्रण आधारभूत आवश्यकता है।

7.8 आई.आई.टी. रूड़की, आई.आई.टी, मुंबई, आई.एम.डी., एन.आर.एस.सी., सी.बी.आर.आई. और आर.एम.एस.आई. से विशेषज्ञों का एक कार्य दल इस पर सक्रियता से कार्यरत है और यह परियोजना पूर्णता के निकट है।

भूकंपीय खारा विश्लेषण पर आधारित भूकंपीय सूक्ष्म क्षेत्र वर्गीकरण (माइक्रो–जोनेशन)

7.9 भूकंपीय माइक्रो–जोनेशन (i) नगरीय योजनाकारों को भविष्यगत भूमि उपयोग और भवन, फ्लाईओवरों, पुलों और अन्य ढांचा निर्माण हेतु, (ii) किए जाने वाले विस्तृत भू–तकनीकी जांच कार्य हेतु व्यावसायिकों को, और (iii) भवन निर्माण संहिताओं के प्रवर्तन हेतु अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भूकंपों की अवलोकित क्षति के नमूने पर आधारित निर्धारक भूकंपीय विश्लेषण का पूर्व दृष्टिकोण धन की बर्बादी और विकास हेतु अनुचित योजना का कारण बनता है। अतः, संभावनापूर्ण भूकंपीय माइक्रो–जोनेशन के दृष्टिकोण को अपनाने की जरूरत महसूस की गई। इस कार्य को एस.ई.आर.सी., चेन्नई और आई.आई.एस.सी., बेंगलुरू के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है। यह कार्य पहले ही शुरू कर दिया गया है।

8

राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल : संकटकालीन कार्रवाई सुदृढ़ीकरण

8.1 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 44 और 45 के उपबंधों के अन्तर्गत गठित राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल (एन.डी.आर.एफ.) ने चुनौतियों से लड़ने के लिए 'सदैव तत्पर और जीवन्त बल' के रूप में अपने को स्थापित किया व अपने कार्यकलापों के लिए एक सुनियोजित रूपरेखा निर्धारित की। एन.डी.आर.एफ. की सभी बटालियनें वर्तमान में गुवाहाटी, कोलकाता, मुंडली (भुवनेश्वर), अराकोणम (चेन्नई के निकट), पुणे, गांधीनगर, भटिंडा और गाज़ियाबाद में स्थापित हैं। पटना और विजयवाड़ा में एन.डी.आर.एफ. की दो अतिरिक्त बटालियनों की स्थापना का भी प्रस्ताव है। (चित्र 8.1)।

एन.डी.आर.एफ. बटालियनों की अवस्थिति

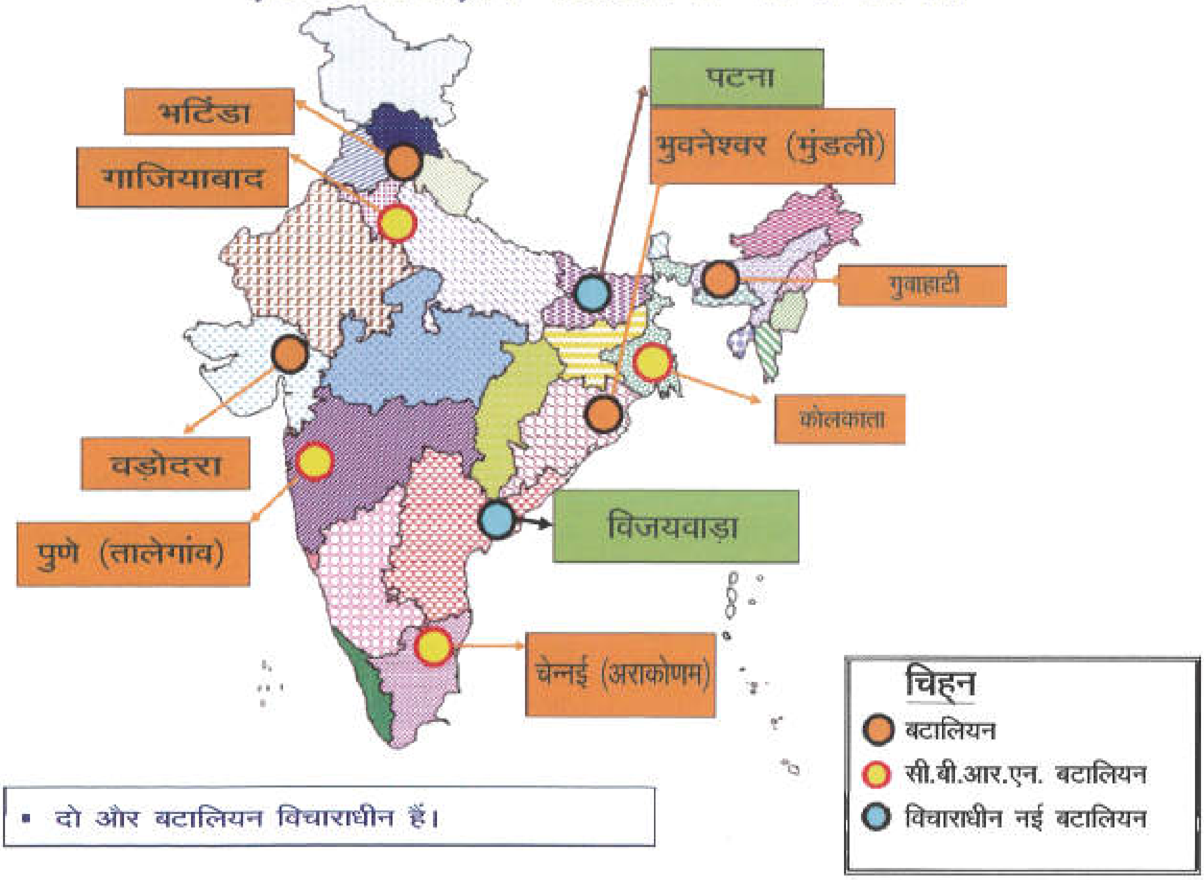

चित्र–8.1

8.2 एन.डी.आर.एफ. ने अपने उच्च कोटि के बचाव अभियानों के माध्यम से अपनी क्षमता को सिद्ध कर दिया है जो उसने बिहार, उड़ीसा तथा असम में बाढ़ के समय किया था। इसके अतिरिक्त एन.डी.आर.एफ. द्वारा समुदाय क्षमता निर्माण कार्यक्रम भिन्न–2 राज्यों में किए गए जो जनता के सामने आये और आपदा कार्रवाई टीम के रूप में इसकी पहचान उभर कर सामने आई।

आधारढांचा

भूमि

8.3 एन.डी.आर.एफ. के पास वर्ष 2007–08 तक वड़ोदरा, मुंडली एवं अराकोणम में पहले से ही भूमि थी, उसे एन.डी. आर.एफ. बटालियनों की स्थापना के लिए पुणे और पटना में भूमि आवंटित की गई। इसके अलावा, गाजियाबाद, नूरपुर और कोलकाता में एन.डी.आर.एफ. बटालियनों तथा खोज और बचाव के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान हेतु नागपुर में भूमि के आवंटन की प्रक्रिया जारी रही।

8.4 बिहार, उड़ीसा तथा असम की बाढ़ के दौरान एन. डी.आर.एफ. बटालियनों की तुरंत एवं प्रभावी कार्रवाई से प्रभावित होकर, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने माननीय प्रधानमंत्री से बिहार में एन.डी.आर.एफ. की एक बटालियन को स्वीकृत करने के लिए औपचारिक अनुरोध किया। माननीय मुख्यमंत्री, बिहार ने पटना के पास बिहता में उपर्युक्त प्रयोजन के लिए 74.47 एकड़ भूमि की भी पेशकश की। उसी समय आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने माननीय प्रधानमंत्री से आंध्र प्रदेश में एन.डी.आर.एफ. की एक बटालियन की स्वीकृति देने का ऐसा ही एक अनुरोध किया तथा इसके लिए भूमि देने की पेशकश की। भारत सरकार ने बिहार (पटना के पास) और आंध्र प्रदेश (विजयवाड़ा के पास) दो और एन.डी.आर.एफ. बटालियन के ढांचागत निर्माण और उनकी स्थापना की प्रक्रिया शुरू हो गई है और बिहार में आगामी मानसून के मौसम के लिए पूर्व–अधिकृत कार्रवाई के रूप में बिहता (पटना के पास) में तैनाती के लिए एन.डी.आर.एफ. की दो कंपनियाँ प्रस्तावित हैं।

प्रशिक्षण आधारढांचा

8.5 एन.डी.एम.ए ने नागपुर जैसे केंद्रीय स्थान पर संबंधित एन.डी.आर.एफ. स्थानों के दस आउटरीच सेंटरों के एक नेटवर्क के साथ, खोज और बचाव के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता संस्थान की स्थापना परिकल्पित की। नागपुर में अत्याधुनिक राष्ट्रीय खोज एवं बचाव प्रशिक्षण संस्थान (क) खोज एवं बचाव पर अग्रिम प्रशिक्षण; (ख) मास्टर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण तथा (ग) प्रशिक्षण योजना, मॉडयूल्स, विषय–वस्तु, प्रबंधन प्रणाली आदि के विकास के लिए उत्तरदायी होगा। यह एन.आई.डीएम. में आपदा प्रबंधन हेतु सार्क केंद्र की अपने क्षेत्रीय कार्रवाई क्षमता निर्माण प्रयासों में सहायता देने के लिए भी उपलब्ध होगा। नागपुर में इस प्रयोजन के लिए एक सौ एकड़ भूमि की पहचान कर ली गई है। संबंधित एन.डी.आर.एफ. बटालियन स्थानें पर आउटरीच प्रशिक्षण केंद्र अपने कार्मिकों को और संबंधित राज्यों के एस.डी.आर. एफ. कार्मिकों को भी एस.ए.आर. पर बुनियादी प्रशिक्षण देने के लिए उत्तरदायी होंगे।

जनशक्ति

8.6 एन.डी.आर.एफ. बटालियनों में कुल 1158 कार्मिक प्राधिकृत हैं जिनमें 145 तकनीकी और चिकित्सा कार्मिक शामिल हैं। वर्ष 2007–08 के आरम्भ में एन.डी.आर.एफ. में लगभग 78 प्रतिशत कार्मिक उपलब्ध थे जिनकी संख्या 2006–07 के वर्ष में ही 46 प्रतिशत से बढ़कर 78 प्रतिशत हुई थी। फिर भी एन.डी.आर.एफ बटालियन में 2007–08 में जनशक्ति की स्थिति बरकरार रखने के लिए एन.डी.एम.ए. को लगातार प्रयास करने की आवश्यकता पड़ी।

8.7 वर्ष के दौरान तकनीकी और चिकित्सीय जनशक्ति के मुद्दे पर एक बड़ी शुरूआत हुई जब एन.डी.एम.ए. के अतिरिक्त

सचिव की अध्यक्षता में एक समिति ने एन.डी.आर.एफ. बटालियन में तकनीकी और चिकित्सीय जनशक्ति की भर्ती के लिए एक समग्र अनुशंसा की। गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है और इन पदों के लिए भर्ती नियमों के बनाने की प्रक्रिया आरम्भ हो गई है।

प्रशिक्षण

8.8 रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2008–09 के दौरान, 1,440 एन.डी.आर.एफ. कार्मिकों की हेलिसिथरिंग प्रशिक्षण के लिए हवाई सहायता हेतु अपना अनुमोदन दिया। एन.डी.एम.ए. ने चंडीगढ़, गुवाहाटी और बेंगलुरू में पैरा बटालियनों के लिए हेलिसिथरिंग प्रशिक्षण आयोजित किया। पिछले वर्ष एन.डी. एम.ए. ने हेलिसिथरिंग में 1,260 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया।

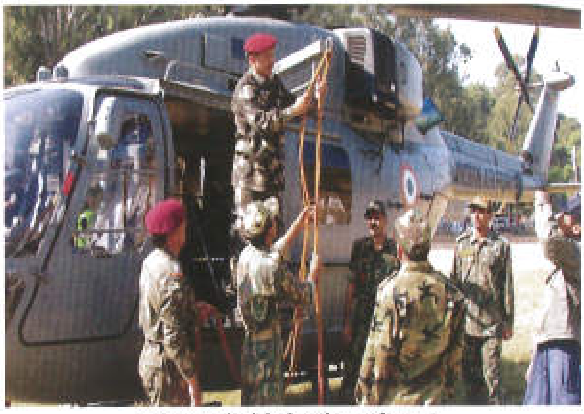

चंडीगढ़ में हेलिसिथरिंग प्रशिक्षण।

8.9 दिनांक 16 जुलाई से 15 अगस्त, 2008 के दौरान एन.डी.आर.एफ. बटालियन, कोलकाता और पुणे, प्रत्येक ने राष्ट्रीय जीवन रक्षक सोसायटी, कोलकाता में बाढ़ बचाव प्रशिक्षण के लिए 100 कार्मिक भेजे। एन.डी. आर.एफ. बटालियन, सी.आई.एस.एफ., मुंडली के अन्य 100 कार्मिकों को सितम्बर–अक्तूबर, 2008 के दौरान राष्ट्रीय जीवन रक्षक सोसायटी, कोलकाता में बाढ़ बचाव प्रशिक्षण के लिए भेजा गया।

कोलकाता में बाढ़ बचाव प्रशिक्षण।

राज्य आपदा कार्रवाई बल की स्थापना

8.10 अरूणाचल प्रदेश के निदेशक, राहत पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन के अनुरोध पर दिनांक 11 अक्तूबर से 11 नवम्बर, 2008 तक पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बंदररेवा, अरूणाचल प्रदेश में 42 सशस्त्र पुलिस कार्मिकों (08 फायर ब्रिगेड कार्मिक शामिल थे) के लिए एन.डी.आर.एफ. बटालियन, गुवाहाटी द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण मॉड्यूल में प्रथम चिकित्सा कार्रवाईकर्ता, क्षतिग्रस्त इमारत खोज और बचाव, फायर फाइटिंग, एन.बी.सी., रस्सी के सहारे बचाव कार्य और तैराकी कौशल पर विभिन्न व्याख्यान, प्रदर्शन और कड़े अभ्यास सत्र (प्रैक्टिकल सेशन) शामिल थे।

8.11 एन.डी.एम.ए. दिनांक 12 जनवरी से 27 फरवरी, 2009 तक राजस्थान, महाराष्ट्र और जम्मू व कश्मीर पुलिस के 34 राज्य पुलिस कार्मिकों हेतु सी.टी.सी.–2 कोयम्बटूर में "प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण" का एक विशेष कोर्स संचालित किया। प्रशिक्षण का उद्देश्य राज्यों को एन.डी.आर.एफ. स्थापना में प्रयुक्त होने के लिए प्रशिक्षकों का एक पूल तैयार करना था।

8.12 आपदा परिदृश्य में दुर्घटना प्रबंधन पर दिनांक 17–19 मार्च, 2009 के दौरान बी.आई.डी.आर., बी.एस.एफ.

अकादमी, तेकनपुर द्वारा एक कोर्स संचालित किया गया। अलग–अलग एन.डी.आर.एफ. बटालियन और प्रशिक्षण संस्थानों से कुल 43 कार्मिकों ने इस कोर्स में भाग लिया। कोर्स में मृत जीवों/मृत जीव अंगों की पुनर्बहाली से जुड़े नियम, विनियम और प्रक्रियाएं, प्रलेखन, मृत जीवों के पोस्टमार्टम तथ्य और सम्मानजनक निपटान सहित एंटीमार्टम की मैचिंग पर पाठ शामिल थे।

8.13 पुणे विश्वविद्यालय के 300 अध्यापकों के प्रशिक्षण का एक कार्यक्रम एन.डी.एम.ए. ने पुणे विश्वविद्यालय के सहयोग से प्रारंभ किया। प्रशिक्षण 6 बैचों में संचालित होगा और प्रत्येक बैच में 50 अध्यापक होंगे। कोर्स का उद्देश्य अध्यापकों को प्रशिक्षकों के रूप में प्रशिक्षण देना है ताकि विशेषतः पुणे विश्वविद्यालय के अंडर–ग्रेजुएट छात्रों को और सामान्यतः समुदाय को प्रशिक्षण देने में अध्यापकों की सेवाओं का उपयोग किया जा सके। दिनांक 9–14 मार्च, 2009 के दौरान एन.डी.आर.एफ. बटालियन पुणे में पुणे विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों के अध्यापकों हेतु "प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण" का प्रायोगिक बैच को प्रारंभ किया गया जिसमें 13 महिला अध्यापक सहित कुल 21 अध्यापक शामिल थे। प्रशिक्षण मॉड्यूल में प्रथम चिकित्सा कार्रवाई, बाढ़ के पानी से बचाव, ऊंची बिल्डिंग में बचाव और सी.बी.आर.एन. संकटों पर विभिन्न व्याख्यान, प्रदर्शन और कड़े अभ्यास सत्र (प्रैक्टिकल सेशन) शामिल थे।

विदेशी पाठ्यक्रम/अभ्यास

8.14 एन.डी.एम.ए. ने वर्ष 2008–09 के दौरान एन.डी. आर.एफ. कार्मिक के लिए निम्नलिखित विदेशी पाठ्यक्रमों/अभ्यासों का आयोजन किया।

- राष्ट्रीय भूकंप प्रौद्योगिकी सोसायटी (एन.एस.ई.टी.) की मदद से दिनांक 21–25 अप्रैल, 2008 तक एन. आई.एस.ए., हैदराबाद में एक राष्ट्रीय स्तर की मास्टर इंस्ट्रक्टर वर्कशॉप का यू.एस.ए. आई.डी.पी. ई.ई.आर (आपदा कार्रवाई की बेहतरी हेतु कार्यक्रम) ने संचालन किया। अलग–अलग एन.डी.आर.एफ बटालियन से कुल 24 शीर्ष इंस्ट्रक्टरों ने पाठ्यक्रम में भाग लिया।

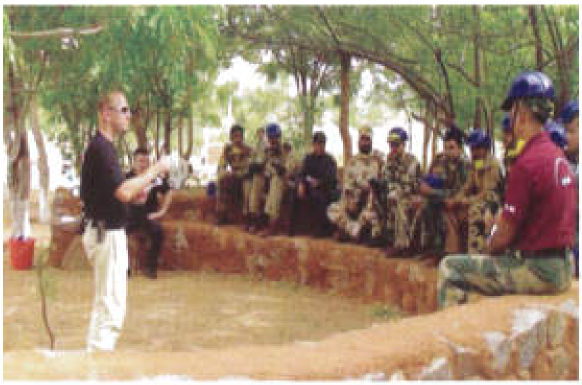

एस.डी.सी. द्वारा शहरी खोज और बचाव प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।

- आपदा जोखिम कमी पर भारत–स्विटजरलैंड सहयोग के अंतर्गत स्विस विकास निगम ने एन.आई.एस.ए., हैदराबाद में 18–26 जून, 2008 तक शहरी खोज और बचाव पर एक पाठ्यक्रम का आयोजन किया। पाठ्यक्रम की योजना स्विस विशेषज्ञों पर 24 एन. डी.आर.एफ. प्रशिक्षकों को शहरी खोज और बचाव में समेकन स्तर का प्रशिक्षण उपलब्ध कराना था। दिनांक 01–11 दिसम्बर, 2008 के दौरान एन.आई. एस.ए., हैदराबाद में शहरी खोज और बचाव कोर्स में 36 एन.डी.आर.एफ. कार्मिकों के एक और बैच को प्रशिक्षण दिया गया।
- आई.टी.बी.पी., बी.टी.सी., भानु में 20–27 अगस्त, 2008 तक, 12 एन.डी.आर.एफ. कुत्ता प्रशिक्षकों (डॉग हैंडलर्स) ने अपने कुत्तों के साथ खोज पर एक कोर्स में भाग लिया। इस कोर्स का आयोजन भारत–स्विस सहयोग के अंतर्गत विकास और सहयोग हेतु स्विस एजेंसी द्वारा एन.डी.आर.एफ. कार्मिकों की आपदा कार्रवाई की कुशलताओं में वृद्धि और अद्यतन बनाने के लिए किया गया था। 12 प्रशिक्षकों के एक और बैच ने अपने कुत्तों सहित, इस कार्यक्रम के अंतर्गत 01–11 दिसम्बर, 2008 तक आई.टी.बी.पी., बी.टी. सी., भानु में खोज प्रशिक्षण पर कोर्स में भाग लिया।
- यू.एस.ए.आई.डी., पी.ई.ई.आर. इंस्ट्रक्टर विकास कार्यक्रम का संचालन 03 नवम्बर–27 दिसम्बर,

कुत्ता प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देते स्विस विशेषज्ञ।

फ्लोरिडा, संयुक्त राज्य अमरीका में ए.एस.ए.आर प्रशिक्षण।

2008 के दौरान, एन.एस.ई.टी., नेपाल की सहायता से सी.टी.सी.–2, सी.आर.पी.एफ. कोयम्बटूर में किया गया। अलग–अलग बटालियनों से 24 एन.डी.आर.एफ. कार्मिक प्रथम चिकित्सा सहायता, क्षतिग्रस्त संरचना संबंधी खोज एवं बचाव, इंस्ट्रक्टरों का प्रशिक्षण, एम.एफ.आर. इंस्ट्रक्टर कार्यशाला और सी.एस.एस.आर. इंस्ट्रक्टर कार्यशाला के कोर्सों में भाग लिया।

- जर्मनी, आस्ट्रिया और स्विटजरलैंड की बचाव टीमों के बीच अंतर्राष्ट्रीय समन्वयन मजबूत करने और यू.एन. आई.एन.एस.ए. आर.ए.जी. दिशानिर्देशों के अनुसार आपदा कार्रवाई के प्रति अंतर्राष्ट्रीय समन्वयन की जांच करने के लिए दिनांक 17–20 नवम्बर, 2008 तक स्विस सरकार ने चार दिवसीय यू.एन. आई.एन.एस.ए. आर.ए.जी. अभ्यास का आयोजन किया। कमांडेंट, एन.डी.आर.एफ. बटालियन, गुवाहाटी ने भारत की ओर से इस अभ्यास में भाग लिया।

- एनडी.एम.ए. द्वारा आयोजित यू.एस.ए.आई.डी. कार्यक्रम के अंतर्गत एक अग्रिम खोज एवं बचाव (ए.एस.ए.आर.) कोर्स में दिनांक 01–05 सितम्बर, 2008 तक फ्लोरिडा, संयुक्त राज्य अमरीका में 24 एन.डी.आर.एफ. कार्मिकों ने भाग लिया।

8.15 31 मार्च, 2009 तक एन.डी.आर.एफ. बटालियनों के महत्त्वपूर्ण प्रशिक्षणों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

क्रमांक	प्रशिक्षण का ब्योरा	31 मार्च, 2008 तक प्रशिक्षित	2008–09 में प्रशिक्षण पा रहे	योग
1	क्षतिग्रस्त संरचना संबंधी खोज एवं बचाव / प्रथम चिकित्सा कार्रवाईकर्ता	1,800	2,400	4,200
2	बाढ़ से बचाव	1,500	1,500	3,000
3	गोताखोरी (रिफ्रेशर कोर्स)	-	80	80
4	हेलिसिथरिंग	1,260	1,440	2,700
5	एन.बी.सी. प्रथम कार्रवाईकर्ता	1,200	900	2,100
6	एन.बी.सी मास्टर प्रशिक्षक	54	32	86
7	आपदा प्रबंधन हेतु डाक्टरों का प्रशिक्षण	7	20	27
8	विदेशी पाठ्यक्रम	36	44	80
9	कुत्ता प्रशिक्षक	12	12	24
	योग	**5,869**	**6,428**	**12,297**

आपदा कार्रवाई, सामुदायिक तैयारी और जन चेतना कार्यक्रम

आपदा कार्रवाई

8.16 मानसून के मौसम के दौरान एन.डी.आर.एफ. बटालियनों ने स्वयं को बिहार, असम और उड़ीसा में बाढ़ बचाव और राहत अभियानों में सक्रियता से संलिप्त रखा। इस वर्ष के जुलाई से सितंबर माह के दौरान, एन.डी.आर.एफ के मुस्तैद और उच्च कुशलता वाले बाढ़ बचाव अभियानों ने इन तीन राज्यों में लगभग 1,05,000 बाढ़ पीड़ितों की जानें बचाईं।

बिहार में बाढ़

8.17 कोसी बांध में बड़ी दरार के कारण बिहार में आई भयावह बाढ़ (18 अगस्त, 2008) ने राज्य के पूर्वोत्तर भागों में तबाही मचा दी और इसे 28 अगस्त, 2008 को माननीय प्रधानमंत्री ने "राष्ट्रीय आपदा" घोषित कर दिया। एन.डी. आर.एफ. बटालियन, मुंडली और कोलकाता के बाढ़ बचाव प्रशिक्षित कार्मिकों ने अत्यधिक फुर्ती से कार्रवाई प्रारंभ की और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सबसे पहले पहुंच। बाद में, अतिरिक्त प्रशिक्षित कार्मिकों और ओ.बी.एम. सहित इनफ्लेटेबल नावों को सात दिनों तक दैनिक आधार पर हवाई जहाज से, एयर फोर्स से आई.एल.–76 को बड़ी मात्रा में जुटाकर, बिहार में पूर्णिया एयर बेस पर भेजा गया। इन लोगों और उपस्करों को पीड़ितों की सेवा के लिए पूर्णिया एयर बेस ही भिजवाया गया। 20 अगस्त, 2008 के बाद से, एन.डी.आर. एफ. कार्मिक सक्रियता के खुद को सुपौल, मधेपुरा, अररिया और पूर्णिया जिलों में युद्ध स्तर पर बचाव अभियानों और राहत कार्यों में झोंक दिया। 153 उच्च क्षमता वाली नावों सहित बाढ़ बचाव एवं राहत अभियानों में प्रशिक्षित अलग–अलग एन.डी.आर.एफ. बटालियन से बनाई गई कुल 19 टीमों (780 कार्मिक) को क्षेत्र में तैनात किया गया। एन.डी.आर.एफ. कार्मिकों के मुस्तैद और उच्च कुशलता वाले बचाव अभियानों ने कोसी नदी के उफनते हुए पानी के बीच फंसे हुए 1,00,000 लोगों को जान बचाई और उन्हें वहां से सुरक्षित रूप से निकाला।

"एन.डी.आर.एफ." बाढ़ के सताए ग्रामीणों का आशा केंद्र।

8.18 एन.डी.आर.एफ. कार्मिकों ने राहत सामग्री का वितरण किया जिसमें असहाय बाढ़ पीड़ितों को पेय जल देना शामिल था। एन.डी.आर.एफ. ने सुपौल में एक चिकित्सा शिविर स्थापित किया। एन.डी.आर.एफ. चिकित्सा अधिकारियों के नेतृत्व में तीन अन्य चिकित्सा टीमों ने पीड़ितों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने में स्थानीय प्रशासन की मदद की।

8.19 माननीय उपाध्यक्ष, एन.डी.एम.ए. के साथ श्री के. एम.सिंह, सदस्य और ले.जन. (डॉ.) जे.आर. भारद्वाज, सदस्य, एन.डी.एम.ए. ने बिहार का दौरा किया और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री और बिहार सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की और सभी संभव मदद की पेशकश की। एन.डी.आर.एफ. द्वारा बचाव अभियान का एन.डी.एम.ए. द्वारा उच्चतम स्तर पर निर्देशन और समन्वयन किया गया। श्री के.एम. सिंह, सदस्य, एन.डी.एम.ए. ने एन. डी.आर.एफ. को इस असाधारण अभियान के लिए आवश्यक मार्गदर्शन/प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए बाढ़ के दौरान बिहार का दूसरी बार दौरा किया।

असम में बाढ़

8.20 जुलाई–सितम्बर, 2008 की अवधि के दौरान, गुवाहाटी स्थित एन.डी.आर.एफ. बटालियन को बाढ़ से बचाव और राहत अभियानों के लिए हाइलाकांडी, धेमाजी,

बच्चों और महिलाओं का बचाव करते हुए एन.डी.आर.एफ.।

असम बाढ़ पीड़ितों को राहत आपूर्ति।

धुबरी, मिर्जा, केंदुकोना, गोकुलगंड में तैनात किया गया। एन.डी.आर.एफ. टीमों ने क्षेत्र में लगभग 2,500 बाढ़ पीड़ितों की जान बचाई और उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया तथा बाढ़ पीड़ितों में राहत सामग्री बांटी गई।

असम बाढ़ पीड़ितों का बचाव कार्य।

उड़ीसा में बाढ़

8.21 सितम्बर, 2008 में, मुंडली और कोलकाता में स्थित बटालियनों में बनाई गई एन.डी.आर.एफ. टीमों जो इनलैटेबल नावों और अन्य जीवन रक्षक उपकरणों से लैस थीं, को उड़ीसा में पुरी, कटक, केंद्रपाड़ा और जगतसिंहपुरा के बाढ़ग्रस्त जिलों में बचाव और राहत अभियानों के लिए तैनात किया गया। इन टीमों ने 2,500 से अधिक लोगों की जानें बचाईं और उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया।

तमिलनाडु में बाढ़

8.22 एन.डी.आर.एफ. बटालियन, सी.आई.एस.एफ., अराकोणम को नवम्बर, 2008 में बाढ़ बचाव और राहत अभियानों के लिए तिरूवरूर जिले के नेम्मालिकुडी, थेवामंगलम और थेंकूवलावेली गांवों में तैनात किया गया और पानी में फंसे हुए 750 से अधिक लोगों की जानें बचाईं और उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया।

सबरीमाला मंदिर, केरल में भगदड़ से बचाने के लिए पूर्व–अधिकृत सुरक्षात्मक तैनाती

8.23 17 अक्तूबर, 2008 से 22 जनवरी, 2009 की अवधि के दौरान केरल में सबरीमाला मंदिर के पाम्बा और शनिधनम स्थानों पर तीर्थ यात्रा अवधि के दौरान किसी

उड़ीसा बाढ़ के दौरान बचाए गए ग्रामीण।

उड़ीसा बाढ़ पीड़ितों को दवाएं बांटते हुए।

आपदा की स्थिति में तीर्थयात्रियों की सुरक्षा एवं मदद हेतु एन.डी.आर.एफ. बटालियन, अराकोणम की तीन खोज एवं बचाव टीमों की तैनाती की गई। तीर्थयात्रियों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए एन.डी.आर.एफ. द्वारा दो चिकित्सा शिविर भी स्थापित किए गए।

अमरनाथ और कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर पूर्व–अधिकृत सुरक्षात्मक तैनाती

8.24 उच्च पहाड़ी स्थानों पर होने वाली किसी आपदा की स्थिति में तीर्थ यात्रियों की मदद हेतु ग्रेटर नौएडा से एन.डी.आर.एफ. बटालियन की एक टीम को जुलाई–अगस्त, 2009 के महीनों के दौरान अमरनाथ यात्रा मार्ग पर तैनात किया गया और वही से एक दूसरी टीम को कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर तैनात किया गया।

ए.ई.आर.ओ. इंडिया शो हेतु एन.डी.आर.एफ. टीमों की तैनाती

8.25 दिनांक 05 से 16 जनवरी, 2009 तक एयरफोर्स स्टेशन, येलाहांका में दो साल में एक बार होने वाले अंतर्राष्ट्रीय एयर शो के दौरान किसी आपातस्थिति से निपटने के लिए एन.डी.आर.एफ. बटालियन, अराकोणम की तीन टीमों को तैनात किया गया।

सामुदायिक तैयारी और जन चेतना कार्यक्रम

8.26 किसी आपदा के होने की स्थिति में कार्रवाई और प्रशमन उपायों के साथ समुदाय (प्रथम कार्रवाईकर्ता) को तैयार करने के लिए एन.डी.आर.एफ. के सामुदायिक क्षमता निर्माण और जन चेतना कार्यक्रमों को समुदाय पर केंद्रित किया गया। एन.डी.आर.एफ. बटालियन देश के विभिन्न भागों (बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड और केरल) मुख्यतः भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों और मानसून संबंधी आपदा वाले क्षेत्रों में बचाव अभियानों जैसे बाढ़ स्थिति में इस्तेमाल की जाने वाली जीवन रक्षक तकनीकों पर प्रशिक्षण देने के लिए अपने सामुदायिक क्षमता निर्माण और जन चेतना कार्यक्रमों को जारी रखा। इन टीमों ने विभिन्न आपदाओं, तुरंत कार्रवाई और प्रशमन उपायों पर प्रदर्शनी का आयोजन किया। एन.डी.आर.एफ. बटालियनों द्वारा आयोजित सामुदायिक क्षमता निर्माण/जन चेतना कार्यक्रमों में स्थानीय लोगों, छात्रों, राज्य पुलिस, और केंद्र और राज्य सरकार के कार्मिकों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। देश के विभिन्न भागों में एन.डी.आर.एफ. बटालियनों द्वारा आयोजित विभिन्न क्षमता निर्माण और जन चेतना कार्यक्रमों में लगभग 1,25,000 लोगों ने भाग लिया।

8.27 इस अवधि के दौरान, एन.डी.आर.एफ. ने तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश औ उत्तर प्रदेश के राज्यों में अपने सामुदायिक क्षमता निर्माण और जन चेतना कार्यक्रम चलाए। लगभग 23,000 लोगों जिनमें विभिन्न भागीदार अभिकरण शामिल थे, ने विभिन्न राज्यों में इन क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में भाग लिया।

8.28 एन.डी.आर.एफ. ने बिहार में जोर–शोर से सामुदायिक क्षमता निर्माण और जन चेतना कार्यक्रमों को चलाया जिनमें विभिन्न जिलों में असुरक्षित लोगों और अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना शामिल है। जून–जुलाई, 2008 के दौरान 30 एन.डी.आर.एफ. टीमों (प्रति जिला 02) ने मानसून के मौसम से पहले जिला/ब्लॉक

एन.डी.आर.एफ. द्वारा संचालित सामुदायिक चेतना कार्यक्रम।

स्तर पर बिहार के 15 असुरक्षित जिलों (भागलपुर, पूर्वी चम्पारन, वैशाली, मुंगेर, मुजफरपुर, सहरसा, मधेपुरा, खगरिया, बेगुसराय, दरभंगा, मधुबनी, पटना, सीतामढ़ी, समस्तीपुर और सियोहार) में एक माह के लिए बाढ़ से निपटने के लिए तैयारी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को चलाया। 15,000 से अधिक ग्रामीण वॉलंटियर, स्थानीय लोगों, छात्र, राज्य पुलिस और केंद्र और राज्य सरकार के कार्मिकों ने कार्यक्रम में भाग लिया। फरवरी–मार्च, 2009 में और 12,000 लोगों को ऐसे ही कार्यक्रम में प्रशिक्षण दिया गया।

जून–जुलाई 2008 और फरवरी–मार्च, 2009 के दौरान बिहार के असुरक्षित जिलों में एन.डी.आर.एफ. द्वारा किए गए सामुदायिक क्षमता निर्माण और जन चेतना कार्यक्रम।

एन.डी.आर.एफ. कार्यशाला/प्रदर्शनियां

8.29 एन.डी.आर.एफ. प्रशिक्षण कांफ्रेंस/कार्यशाला का एन.डी.एम.ए., नई दिल्ली में दिनांक 10–11 अप्रैल, 2008 को आयोजन किया गया। उपाध्यक्ष, एन.डी.एम.ए. ने किसी आपदा के प्रति तीव्र कार्रवाई के लिए एन.डी.आर.एफ. कार्मिकों को उच्च स्तर के प्रशिक्षण देने की जरूरत पर जोर दिया। यह तय किया गया कि सभी एन.डी.आर.एफ. नोडल प्रशिक्षण केंद्रों में अनुमोदित एन.डी.आर.एफ. कोर्स प्रारंभ किए जाएंगे ताकि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में एकरूपता बनी रहे।

8.30 भुवनेश्वर, उड़ीसा में सेना प्रशिक्षण कमान द्वारा आपदा प्रबंधन पर दो–दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन श्री

13–14 दिसम्बर, 2008 को सेना प्रशिक्षण कमान द्वारा आपदा प्रबंधन पर दो–दिवसीय प्रदर्शनी के दौरान श्री नवीन पटनायक, माननीय मुख्यमंत्री, उड़ीसा के साथ श्री एन.सी. विज, पीवी.एसएम, यूवाईएसएम, एवीएस.एम (सेवानिवृत्त), उपाध्यक्ष, एन.डी.एम.ए.।

नवीन पटनायक, माननीय मुख्यमंत्री, उड़ीसा द्वारा दिनांक 13–14 दिसम्बर, 2008 को किया गया जिसमें उपाध्यक्ष, एन.डी.एम.ए. सम्मानित अतिथि थे। एन.डी.आर.एफ. की मुंडली स्थित बटालियन ने प्रदर्शनी के दौरान विभिन्न बचाव उपकरणों का प्रभावशाली प्रदर्शन किया।

8.31 दिनांक 12–13 जनवरी, 2009 के दौरान पुणे, विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र द्वारा आपदा प्रबंधन पर एक कार्यशाला–सह–प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। एन.डी.आर.एफ., पुणे बटालियन द्वारा इस अवसर पर आपदा कार्रवाई पर लगाए गए स्टॉल को 1.25 लाख दर्शकों द्वारा सराहा गया जिनमें केंद्र और राज्य सरकारों के उच्चाधिकारी, गैर–सरकारी संगठन, छात्र और आम जनता शामिल थी।

8.32 बी.एस.एफ. आपदा कार्रवाई संस्थान ने 07 जनवरी से 13 फरवरी, 2009 की अवधि के दौरान ग्वालियर व्यापार मेला में आम जनता जागरूकता अभियान चलाया। उपर्युक्त संस्थान के कार्मिकों ने खोज एवं बचाव और सी.बी.आर.एन. संकट संबंधी उपस्करों के साथ आम जनता/दर्शकों को विभिन्न प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं और उनके रोकथाम उपायों के बारे में जानकारी दी।

घटना कमान प्रणाली

8.33 आपदा के दौरान कार्रवाई प्रबंधन हेतु मौजूदा प्रशासनिक सेटअप, सिविल सोसायटी और इसकी विभिन्न संस्थाओं द्वारा कई कार्य किए जाने अपेक्षित हैं। कार्रवाई प्रबंधन में शामिल कार्यकलाप आपदा की प्रकृति और प्रकार पर निर्भर करेंगे। आपदा के घटने के दौरान यह देखा गया है कि संसाधनों की कमी इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी कि विभिन्न अभिकरणों के बीच समन्वयन का अभाव और विभिन्न भागीदार अभिकरणों की भूमिका का स्पष्ट न होना। यदि कार्रवाई योजनाबद्ध हो और भागीदार अभिकरणों को प्रशिक्षण मिला हो तो तदर्थ उपायों के लिए कोई गुंजाइश नहीं होगी तथा कार्रवाई अधिक सुचारू और कारगर होगी। इस प्रणाली हेतु विचार यह है कि अधिकारियों को विभिन्न कार्य के लिए पूर्व–पदनामित किया जाए और उन्हें उनकी संबंधित भूमिकाओं के लिए प्रशिक्षित किया जाए।

8.34 इस पहलू के महत्त्व को महसूस करते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2003 में यू.एस.ए.आई.डी. के सहयोग से घटना कमान प्रणाली (आई.सी.एस.) अपनाने का निर्णय लिया। इस प्रणाली को लागू करने के पिछले सालों के अनुभव ने इस प्रणाली को स्वदेशी रूप देने की जरूरत को जन्म दिया जिसका आशय इसको हमारे प्रशासनिक सेटअप और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के उपबंधों के अनुरूप बनाना है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, दिशानिर्देश तैयार करने के लिए क्षेत्रीय कार्यशालाओं के अलावा, कई कार्यशालाओं और सिमुलेशन एक्सरसाइजों को आई.सी.एस. के सिद्धांतों के प्रसार के लिए आयोजित किया गया।

उड़ीसा में आई.सी.एस. के कार्यान्वयन का मूल्यांकन

8.35 उड़ीसा सरकार ने दिनांक 14–15 जून, 2008 को बालेश्वर बाढ़ स्थिति के प्रबंधन में आई.सी.एस. के कार्यान्वयन पर एक कार्यशाला आयोजित की। हकीकत में आई.सी.एस. की कारगरता जांचने के लिए, एनडी.एम.ए. ने भुवनेश्वर में 09 सितम्बर, 2008 को कार्यान्वयन की प्रक्रिया का मूल्यांकन किया। उड़ीसा सरकार के तीस अधिकारी जिनमें राज्य टीम और जिला टीम शामिल हैं, साक्षात्कार के लिए गए। यह पाया गया कि i) कार्रवाई तंत्र बहुत अधिक कारगर था, ii) संचार तंत्र सक्रिय था, iii) आई.सी.एस. संरचना के अनुसार अधिकारियों की भूमिकाएं स्पष्ट थीं, iv) राहत संहिता कायम थीं, v) आई.सी.एस. की अपेक्षित धाराएं सक्रिय थी, तथा vi) घटना का प्रबंधन उद्देश्यों के अनुसार था, आदि।

असम में आई.सी.एस. पर सिमुलेशन एक्सरसाइज

8.36 सिल्चर, असम मं 05 से 09 जनवरी, 2009 तक एक आई.सी.एस. सिमुलेशन एक्सरसाइज संचालित की गई। असम के अलावा, वरिष्ठ अधिकारी, गुजरात, जिस राज्य मं आई.सी.एस. पर एक प्रायोगिक परियोजना चालू है, में भी एक्सरसाइज संचालित की गई। इस एक्सरसाइज के दौरान एक मुख्य पाठ जो सामने आया। वह यह था कि आई.सी. एस. को स्थानीय प्रशासनिक सेटअप और जिला में प्रवृत्त स्थितियों के अनुकूल बनाया जाए।

भारत में आई.सी.एस. के संस्थानीकरण और स्केलअप रणनीति पर परामर्शी कार्यशाला

8.37 भारत में आई.सी.एस. के संस्थानीकरण और स्केलअप रणनीति पर दो दिवसीय परामर्शी कार्यशाला का आयोजन इंडिया हैबीटेट सेंटर, नई दिल्ली में दिनांक 17–18 फरवरी, 2009 को यू.एस.ए.आई.डी. आपदा प्रबंधन सहायता के सहयोग से किया गया। कार्यशाला के उद्देश्य निम्नानुसार थे :

i) भारत में आई.सी.एस. प्रायोगिक प्रक्रिया की प्रगति तथा आई.सी.एस. प्रक्रिया अपनाने के अनुभवों पर जानकारी बांटना।

आई.सी.एस. के संस्थानीकरण और स्केलअप रणनीति पर लक्षित श्रोताओं के साथ परिचर्चा करते माननीय सदस्य श्री जे.के. सिन्हा।

ii) भारत में आई.सी.एस. प्रायोगिक तौर पर चलाने की प्रक्रिया चलाने में सीखे गए सबकों पर चर्चा।

iii) भारत की संकटकालीन कार्रवाई प्रणाली में आई. सी.एस. को जोड़ने के लिए भविष्य की योजना बनाने पर जानकारी बांटना।

iv) संस्थानीकरण प्रक्रिया और स्केल अप रणनीति के विभिन्न संघटकों पर गहन विचार–विमर्श और इस विषय पर विचारों और सिफारिशों को मांगना।

v) संस्थानीकरण प्रक्रिया और स्केलअप रणनीति के विशेष संघटकों की पहचान करना जो परामर्शी समूह को अच्छा परिणाम देने में मददगार होंगे।

नागालैंड मं आई.सी.एस. चेतना कार्यक्रम और कृत्रिम अभ्यास

8.38 दिनांक 24 से 28 फरवरी, 2009 तक ए.टी.आई. और सिविल प्रशासन, कोहिमा, नागालैंड सरकार के सहयोग से एक चार दिवसीय आई.सी.एस. चेतना प्रशिक्षण कार्यक्रम और उसके बाद कृत्रिम अभ्यास आयोजित किया गया। 43 राज्य प्रशासनिक अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। विभिन्न संबंधित विभागों जिनमें जिला प्रशासन, पुलिस होम गार्डस, चिकित्सा सेवाएं, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, कोहिमा नगर परिषद, रेडक्रॉस, एन.डी.आर.एफ. , पी.डब्ल्यू.डी., पी.एच.ई.डी., विद्युत, आपूर्ति, अग्निशमन सेवा और आपातकालीन सेवा आदि से भागीदार अभिकरणों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम को प्रचालनात्मक स्तर पर आई.सी.एस. के सिद्धांतों के प्रसार और भागीदारों को एक कृत्रिम अभ्यास के माध्यम से इन सिद्धांतों के बारे में ठोस जानकारी देना था जिसका संचालन कार्यक्रम के अंत में किया गया था।

जानकारी (एक्सपोजर) यात्रा

8.39 आई.सी.एस. के अनुकूलन और कार्यान्वयन को देखने के लिए भारत सरकार ने आस्ट्रेलिया में दिनांक 11

से 23 जनवरी, 2009 तक एक टीम को यात्रा पर भेजा। टीम की अगुवाई श्री जे.के. सिन्हा, सदस्य, एन.डी.एम.ए. ने की और इसमें देश के विभिन्न राज्यों से आए। अन्य अधिकारी और फील्ड प्रैक्टिशनर शामिल थे। इन विचार–विमर्शों का परिणाम देश में मौजूदा प्रशासनिक सेटअप के लिए आई.सी.एस. के अनुकूलन में बड़ा मददगार होगा ताकि संबंधित कार्रवाई क्षमताओं में और वृद्धि की जा सके।

9 विविध संबंधित विषय

कोसी में आई बाढ़ के दौरान एन.डी.एम.ए. की भूमिका

9.1 18 अगस्त, 2008 को बिहार राज्य में सुपौल जिला में कुशाहा के निकट बांध में दरार पड़ने से अप्रत्याशित बाढ़ आई थी। यह विपदा इतने बड़े पैमाने पर आई कि इसने कोसी नदी का रास्ता बदलते हुए बिहार के छह उत्तरी–पूर्वी जिलों को पूरी तरह जलमग्न कर दिया। एन.डी.एम.ए. दिनांक 20 अगस्त, 2008 से ही एन.डी.आर.एफ. टीमों को तैनात करके इस आपदा से निपटने की कार्रवाई में सबसे आगे रहा था।

9.2 एन.डी.एम.ए. ने इस पूरी अवधि के दौरान अपने कार्यकलापों को एन.सी.एम.सी. और एन.ई.सी. के साथ समन्वित किया जिससे उच्च स्तर पर समन्वयन प्रक्रिया की कारगरता साबित हुई। जनरल एन.सी. विज, पी.वी.एस.एम, यू.वाई.एस.एम., ए.वी.एस.एम. (सेवानिवृत्त), उपाध्यक्ष, एन.डी.एम.ए., ले. जन. (डॉ.) जे.आर. भारद्वाज, ए.वी.एस.एम., वी.एस.एम., पी.एच.एस. (सेवानिवृत्त) और श्री के.एम. सिंह, सदस्य, एन.डी.एम.ए. ने दिनांक 1 सितम्बर, 2008 को बिहार राज्य का दौरा किया और श्री नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री और अन्य राज्य अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार–विमर्श किया और उन्हें सभी सहायता देने का आश्वासन दिया।

9.3 बचाव के प्रयासों के अलावा, एन.डी.एम.ए. ने कार्पोरेट क्षेत्र, गैर–सरकारी संगठनों और अन्य स्वैच्छिक संगठनों के साथ तुरंत राहत की जरूरत के लिए समन्वयन किया। राहत शिविरों की स्थापना के लिए कुल 1589 टैंट और 1125 तिरपालों की आपूर्ति की गई। राज्य सरकार को 4.2 लाख पानी की बोतलें और पानी शुद्ध करने वाली दवाईयों की बड़ी मात्राओं के साथ पांच जल शोधक संयंत्र, एंटीबॉयटिक और ओ.आर.एस. पैकेटों की भी आपूर्ति की गई। इस अवधि के दौरान, एन.डी.एम.ए. ने युद्ध स्तर पर भंडारों और कार्मिकों को घटना स्थल पर भेजने के लिए रेलवे प्राधिकारियों और भारतीय वायु सेना के साथ निकट संपर्क कायम रखा।

9.4 12 सितम्बर, 2008 को माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री कार्यालय में एन.डी.एम.ए. की पूर्ण बैठक संयोजित की गई। इस बैठक में एन.डी.एम.ए. और विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा राज्य को प्रदत्त सहायता पर एक विस्तृत सारांश प्रस्तुत किया गया। इस बैठक के दौरान यह नोट किया गया कि आपदा प्रबंधन हेतु स्थापित सांस्थानिक और समन्वयन तंत्र द्वारा आपदा के प्रति प्रभावी ढंग से एक कार्रवाई की गई। राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल, सशस्त्र सेना और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कार्य की भी प्रशंसा की गई। यह भी नोट किया गया कि तुरंत कार्रवाई और सुरक्षित निकासी का पहला चरण लगभग पूर्ण हो गया और अब प्रयासों की दिशा राहत और पुनर्वास पर केंद्रित की जानी चाहिए। यह निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष, एन.डी.एम.ए., मंत्रिमंडल सचिव और गृह सचिव राज्य सरकार के समन्वय से इस बारे में शीघ्र अति–शीघ्र कार्रवाई प्रारंभ की जाए।

आपदा प्रबंधन का विकास योजनाओं में कुशलता से उपयोग करना

9.5 आपदा प्रबंधन का विकास योजनाओं में कुशलता से उपयोग करने के लिए, योजना आयोग द्वारा डॉ. मोहन कांडा, सदस्य, एन.डी.एम.ए. की अध्यक्षता में एक कार्य

समूह (डब्ल्यू.जी.) गठित किया गया। कार्य समूह की सिफारिशों को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में समाविष्ट किया गया है।

9.6 एन.डी.एम.ए. ने एक ऐसा तंत्र तैयार करने का भी प्रस्ताव किया है जो निम्नलिखित व्यवस्थाओं के प्रचालनीकरण का अनुवीक्षण करेगा :

(i) सभी चालू और नवीन कार्यक्रमों को देश में विभिन्न क्षेत्रों में विपदा/खतरों की विभिन्न किस्मों के बारे में एन.डी.एम.ए. दिशानिर्देशों की जरूरतों के मुताबिक, उनमें शामिल उपकरणों के डिजाइन को अनुकूल बनाने के लिए पुनः समीक्षा की जानी चाहिए।

(ii) आपदा–समुत्थानशीलता के लिए मरम्मत/जीर्णोद्धार (रिट्रोफिटिंग) के उद्देश्य से मौजूदा निर्मित परिवेश का चयनात्मक आधार पर अंकेक्षण कार्य किया जाए।

(iii) आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति/लोक निवेश बोर्ड/व्यय वित्त समिति (ई.एफ.सी.) के ज्ञापनों (मेमोज) की जांच सूची, एन.डी.एम.ए. के दिशानिर्देशों के अनुसार जरूरत को शामिल करने के लिए, जहां भी लागू हो, तैयार रहे।

(iv) सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 द्वारा यथापेक्षित, और एन.डी.एम.ए. के दिशानिर्देशों के जारी होने के बाद जरूरी – आपदा समुत्थानशील लक्षणों की पूर्ति हेतु अपनी योजनाओं में आवश्यक उपायों को करने के लिए – उचित फंड प्रावधान करने हैं।

(v) योजना आयोग से अनुरोध किया गया कि वे एन.डी.एम.ए. के दिशानिर्देश की जरूरी बातों संबंधी पहल को केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्यों की वार्षिक/पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदित करते समय ध्यान में रखना सुनिश्चित करें और एन.डी.एम.ए. को इस प्रक्रिया से अच्छी तरह संबद्ध करे।

9.7 योजना आयोग और वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ कई बैठकें आयोजित की गईं और एन.डी.एम.ए. द्वारा की गई सिफारिशों का निष्कर्ष प्रतीक्षित है।

फंड व्यवस्था

9.8 इस रिपोर्ट की अवधि के दौरान एन.डी.एम.ए. ने 13वें वित्त आयोग के साथ विस्तृत विचार–विमर्श किया और दिनांक 19 मई, 2008 को अपने सदस्यों को इसका विवरण प्रस्तुत किया। ऐसा वित्तीय आवंटनों हेतु आपदा प्रबंधन संबंधी मामलों पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से किया गया। निम्नलिखित सिफारिशें भी की गई थीं :

(i) राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रशमन परियोजनाएं।

(ii) राष्ट्रीय, राज्यीय और जिला स्तरों पर आपदा कार्रवाई कोष का निर्माण।

(iii) राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर आपदा प्रशमन कोष का निर्माण।

(iv) देश के विभिन्न भागों को प्रभावित करने वाली कुछ और प्राकृतिक विपदाओं जैसे पाला, शीत लहर, लू, बिजली गिरना, नदी और समुद्र क्षरण को शामिल करने के लिए आपदाओं के परिक्षेत्र में वृद्धि। इसके अलावा, ये भी सिफारिश की गई कि रासायनिक, जैविक, वैकिरणकी और नाभिकीय मूल के कारण हुई मानव जनित आपदाओं पर भी विचार किया जाना चाहिए।

महाविपत्ति जोखिम बीमा

9.9 श्री एम. शशिधर रेड्डी, सदस्य, एन.डी.एम.ए. को टोक्यो में 4–5 नवम्बर, 2008 तक एशियाई विकास बैंक

(ए.डी.बी) और वित्त मंत्रालय, जापान सरकार द्वारा आयोजित "एशिया और प्रशांत क्षेत्र हेतु राष्ट्रीय महाविपत्ति जोखिम बीमा" पर कांफ्रेंस के लिए "राष्ट्रीय महाविपत्ति के खिलाफ बीमा और पूंजी बाजार को बढ़ावा" के विषय पर सत्र में एक पैनलिस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया। भारत और कई अन्य देशों में बीमा में लोगों की कम रुचि के संबंध में की गई एक बड़ी सिफारिश यह थी कि यहां उन आंकड़ों का अभाव है जिनके आधार पर प्रतिरूपण (मॉडलिंग) किया जा सकता है। भारत में भी इस तथ्य को अच्छी तरह मान्यता दी गई और मंत्रियों के समूह जिसने द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ए.आर.सी.) की सिफारिशों पर विचार किया, ने निर्णय लिया कि एन.डी.एम.ए. बीमा कंपनियों के लिए आवश्यक आंकड़े इकट्ठा करने का कार्य कर सकता है।

9.10 इसके परिप्रेक्ष्य में, एन.डी.एम.ए. ने एन.डी.एम.ए. भवन में दिनांक 12 मार्च, 2009 को "आपदा जोखिम अंतरण तंत्र हेतु आंकड़ों को तैयार करना" विषय पर एक सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन का आयोजन अपेक्षित आंकड़ों को अभिज्ञात करने तथा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, राज्यों, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा), राष्ट्रीय बीमा अकादमी (एन.आई.ए.), शैक्षणिक और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थाओं और बीमा कंपनियों के इस कार्य हेतु सहयोग हेतु एक कार्य–योजना तैयार करने में सहायता देने के लिए किया गया। बीमा कंपनियों द्वारा आवश्यक आंकड़ों पर एक आम सहमति तैयार की गई जिसके आधार पर प्रतिरूपण किया जा सकता हो और उचित उत्पाद तैयार किए जा सके जो प्रभारी जोखिम अंतरण तंत्र को सुकर बना सके।

जन. एन.सी.विज, उपाध्यक्ष, एन.डी.एम.ए. 'आपदा जोखिम अंतरण तंत्र हेतु आंकड़ों को तैयार करना' विषय पर कांफ्रेंस के दौरान उद्घाटन भाषण देते हुए।

अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भागीदारी

9.11 प्रो. एन. विनोद चंद्र मेनन, सदस्य, एन.डी.एम.ए. को पनामा शहर, पनामा में दिनांक 08–09 अप्रैल, 2008 के दौरान प्रोवेंशन वार्षिक वैश्विक मंच और सलाहकार समिति की बैठक को संबोधित करने के लिए प्रोवेंशन संकाय अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस संघ और रेड क्रीसेंट सोसायटी (आई.एफ.आर.सी) द्वारा आमंत्रित किया गया है।

9.12 राज्य परिषद गरीबी उन्मूलन कार्यालय, आई.पी. आर.सी.सी., चीन सरकार और अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डी.एफ.आई.डी.), चीन ने दिनांक 14–15 जुलाई, 2008 को "वेन्चुआन भूकंप प्रतिक्रिया, दूर–दराज के गांवों में समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम" पर एक अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ कार्यशाला आयोजित की। प्रो. एन. विनोद चंद्र मेनन, सदस्य, एन.डी.एम.ए. ने बीजिंग, चीन में "भूकंप–पश्चात पुनर्वास में अंतर मंत्रालयीन और अंतर–अभिकरण समन्वयन" पर एक नीति तैयार करने के लिए सम्मेलन में भाग लिया और प्रतिनिधियों को संबोधित किया।

9.13 26 जनवरी से 29 जनवरी, 2009 के दौरान, प्रो. एन. विनोद चंद्र मेनन, सदस्य, एन.डी.एम.ए. को "बाढ़ संबंधी प्रतिक्रिया – तैयारी और कार्रवाई में सुधार" विषय पर विस्टन हाउस, साउथ ससेक्स, यू.के. में विल्टन पार्क सम्मेलन के प्रतिनिधियों को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया।

10 प्रशासन एवं वित्त

सामान्य प्रशासन

एन.डी.एम.ए. का कार्यालय स्थल

10.1 ए–1, सफदरजंग एनक्लेव में "एन.डी.एम.ए." भवन का कार्य सितम्बर, 2008 में पूरा हुआ और सेंटूर होटल में तब कार्यरत संपूर्ण कार्यालय सफदरजंग एनक्लेव में स्थानांतरित हो गया। यह कार्यालय की जरूरतों के मुताबिक सर्वोत्तम तकनीक से बनाया गया एक भवन है, जहां एक कार्यालय हेतु सभी आवश्यक सुविधाएं यथा वीडियो–कान्फ्रेंसिंग, वीडियो–वाल, ऑपरेशंस रूम, सभागार और पुस्तकालय आदि मौजूद हैं। कार्यालय में उपलब्ध स्थान का इष्टतम उपयोग किया गया है और इसे आधुनिक ढंग से बनाया गया। भवन भूकंप–रोधी है और इसमें बारिश का पानी इकट्ठा करने तथा अग्नि बचाव संबंधी सभी इंतजाम किए गए हैं।

एन.डी.एम.ए. –सचिवालय

10.2 एन.डी.एम.ए. सचिवालय में पांच प्रभाग हैं जिनके नाम (i) नीति, योजना पुनर्वास और पुनर्बहाली प्रभाग, (ii) प्रशमन और क्षमता निर्माण प्रभाग, (iii) आपरेशंस और संचार प्रभाग, (iv) प्रशासन और समन्वय प्रभाग, तथा (v) वित्त और लेखा प्रभाग हैं।

अधिकारियों तथा स्टाफ के साथ एन.डी.एम.ए. के उपाध्यक्ष और सदस्य गण 'एन.डी.एम. भवन', ए–1, सफदरजंग एनक्लेव में।

नीति, योजना, पुनर्वास और पुनर्बहाली प्रभाग

10.3 यह प्रभाग सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की नीतियों, दिशानिर्देशों और योजना के अनुमोदन और सभी राज्यों में पुनर्वास और पुनर्बहाली उपायों से जुड़े सभी मामलों का कार्य देखता है। आपदा प्रबंधन का विकास योजनाओं में उपयोग भी इस प्रभाग का एक महत्वपूर्ण कार्य है। यह प्रभाग पुनर्वास और पुनर्बहाली से संबद्ध कार्यों से निकटता से अंतर्ग्रस्त है और सुनिश्चित करता है कि सभी नया निर्मित परिवेश आपदा समुत्थानशील हो। इस प्रभाग का कुल स्वीकृत स्टाफ 10 व्यक्तियों का है जिनमें एक सलाहकार (संयुक्त सचिव स्तर), दो संयुक्त सलाहकार (निदेशक स्तर), दो सहायक सलाहकार (अवर सचिव स्तर) और 5 सहायक स्टाफ हैं।

प्रशमन और क्षमता निर्माण प्रभाग

10.4 इस प्रभाग का उत्तरदायित्व आपदा विषयों यथा चक्रवात, भूकंप, बाढ़, भूस्खलन और सुदृढ़ संचार और सूचना प्रौद्योगिकी योजना आदि से संबंधित राज्यों और मंत्रालयों के सामंजस्य से जोखिम प्रशमन परियोजनाओं का कार्य राष्ट्रीय स्तर पर देखना है। यह माइक्रो–जोनेशन, संवेदनशीलता विश्लेषण आदि जैसी परियोजनाओं को मार्गदर्शन तथा उनसे जुड़े विशेष अध्ययनों की व्यवस्था भी कराता है। यह मंत्रालयों द्वारा स्वयं चलाई जा रही प्रशमन परियोजनाओं के डिजाइन और कार्यान्वियन का पर्यवेक्षण तथा अनुवीक्षण भी करता है।

10.5 क्षमता निर्माण जो एन.डी.एम.ए. द्वारा देखा जाने वाला एक बड़ा विषय है, इस प्रभाग का एक और कार्य है। प्रशमन और क्षमता निर्माण प्रभाग ने इस प्रयास को पूरा करने का जिम्मा लिया है और सुनिश्चित करता है कि तैयारी की संस्कृति सभी स्तर पर विद्यमान रहे। यह जमीनी स्तर पर समुदाय और अन्य भागीदार अभिकरणों की संलिप्तता के अलावा, इलेक्ट्रोनिक और प्रिंट मीडिया, दोनों को शामिल करके जागरूकता सृजन अभियान की अवधारणा बनाता है और उसे निष्पादित करता है। इस प्रभाग के स्वीकृत स्टाफ की संख्या 20 है जिसमें एक सलाहकार (संयुक्त सचिव स्तर), चार संयुक्त सलाहकार (निदेशक स्तर), चार सहायक सलाहकार (अवर सचिव स्तर) और 11 सहायक स्टाफ हैं।

आपरेशंस और संचार प्रभाग

10.6 शीर्ष निकाय के रूप में एन.डी.एम.ए. को किसी भी समय आपदा स्थितियों पर सरकार को सलाह देने के लिए सदैव तैयार रहने की स्थिति में होना जरूरी है जिसके लिए इसे नवीनतम सूचना से पूर्ण परिचित रहना आवश्यक है। महत्वपूर्ण कार्यकलाप के लिए एन.डी.एम.ए. के पास दिन–रात आपदा–विशिष्ट सूचना देने और आंकड़ा जानकारी सुविधा के लिए एक आपरेशंस सेंटर है तथा यह कार्रवाई के आगामी चरणों में भी स्थिति से निपटने के प्रयास में मार्गदर्शन देता है।

10.7 यह एक प्रतिबद्ध और लगातार प्रचालनात्मक अत्याधुनिक संचार व्यवस्था कायम रखने का भी कार्य देखता है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी विंग के मुख्य संघटक संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क तथा जी.आई.एस. आधारित अनुप्रयोगों पर जोर सहित आंकड़ों का सम्मिलन (डेटा फ्यूजन) और ज्ञान प्रबंधन के विशेष संदर्भ वाली आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली हैं। इस प्रभाग की कुल स्वीकृत स्टाफ संख्या 15 है जिसमें एक सलाहकार (संयुक्त सचिव स्तर), दो संयुक्त सलाहकार (निदेशक स्तर), तीन सहायक सलाहकार (अवर सचिव स्तर), दो ड्यूटी अधिकारी (अवर सचिव स्तर) और 7 सहायक स्टाफ हैं।

प्रशासन एवं समन्वय प्रभाग

10.8 यह प्रभाग प्रशासन और समन्वय के सभी पहलुओं के लिए उत्तरदायी है। इसके कार्यकलापों में मंत्रालयों/विभागों और राज्य के साथ व्यापक पत्राचार शामिल है। यह प्रभाग एन.डी.एम.ए. के सदस्यों और स्टाफ को सभी स्तरों पर प्रशासनिक एवं संभार–तंत्र

सहायता भी प्रदान करता है। इस प्रभाग की कुल स्वीकृत स्टाफ संख्या 22 है जिसमें एक संयुक्त सचिव, एक निदेशक, दो अवर सचिव और 18 सहायक स्टाफ हैं।

वित्त और लेखा प्रभाग

10.9 वित्त एवं लेखा प्रभाग लेखा का रखरखाव, बजट बनाना, प्रस्तावों की वित्तीय जांच आदि से जुड़े मामले देखता है। यह प्रभाग व्यय की प्रगति का अनुवीक्षण और अपनी प्रत्यायोजित शक्तियों के भीतर आने वाले सभी मामलों पर एन.डी.एम.ए. को सलाह देता है। इस प्रभाग की कुल स्वीकृत स्टाफ संख्या 8 हैं जिसमें एक वित्तीय सलाहकार (संयुक्त सचिव स्तर), एक निदेशक, एक सहायक वित्तीय सलाहकार (अवर सचिव स्तर) और 5 सहायक स्टाफ हैं। इसके कार्यकलाप और उत्तरदायित्व का ब्योरा निम्नानुसार है :

- एन.डी.एम.ए. के बजट का आहरण।
- सामान्य वित्तीय नियमावली (जी.एफ.आर) के अधीन अपेक्षाओं के अनुसार विभागीय लेखा का रखरखाव।
- कंट्रोल रजिस्टरों के अनुरक्षण द्वारा स्वीकृत अनुदानों की तुलना में किए गए व्यय की प्रगति की निगरानी और समीक्षा करना।
- प्रत्यायोजित शक्तियों के क्षेत्र के भीतर आने वाले सभी मामलों पर एन.डी.एम.ए. को सलाह।
- स्कीमों के बनने और महत्वपूर्ण व्यय प्रस्तावों से इनकी प्रारंभिक अवस्थाओं से ही निकटता से संबद्ध रहना।
- लेखापरीक्षा आपत्तियों, निरीक्षण रिपोर्टों, मसौदा लेखापरीक्षा पैराग्राफों आदि का निपटान कार्य देखना।
- लेखापरीक्षा रिपोर्टों, लोक लेखा समिति (पी.ए.सी) और अनुमान कार्य समिति (एस्टिमेट्स कमेटी) की रिपोर्टों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना।
- आवधिक रिपोर्टों और रिटर्नों की सामयिक प्रस्तुति सुनिश्चित करना।

वित्त एवं बजट

10.10 गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों में, एन.डी. एम.ए. को अनुदान संख्या 54 – गृह मंत्रालय का अन्य व्यय के अधीन वर्गीकृत किया गया है।

अनुदान संख्या – 54 – गृह मंत्रालय का अन्य व्यय

(क) राजस्व

(आयोजना–भिन्न)

मुख्य शीर्ष (2245)	– प्राकृतिक आपदाओं पर राहत
उप–मुख्य शीर्ष (80)	– सामान्य
लघु शीर्ष (102)	– प्राकृतिक आपदाओं का प्रबंधन, आपदा प्रवण क्षेत्रों में आकस्मिकता योजनाएं
उप–शीर्ष (04)	– राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(ख) पूंजी भाग (आयोजना–भिन्न)

मुख्य शीर्ष (4250)	– अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय
लघु शीर्ष (101)	– प्राकृतिक आपदा
उप–मुख्य शीर्ष (03)	– राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(ग) राजस्व (योजना)

एन.डी.एम.ए. की प्रत्येक परियोजना के लिए एक पृथक उप–शीर्ष निम्नानुसार आवंटित किया गया है :

02 - राष्ट्रीय भूकंप जोखिम प्रशमन परियोजना (एन. ई.आर.एम.पी.)

03 - राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रशमन परियोजना (एन.एल.आर.एम.पी.)

04 - राष्ट्रीय आपदा संचार नेटवर्क (एन.डी.सी.एन.)

05 - अन्य आपदा प्रबंधन परियोजनाएं

06 - विश्व बैंक सहायता से राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना (एन.सी.आर.एम.पी.)

फंड आवंटन और उपयोग

10.11 रिपोर्ट (2008–09) अधीन अवधि के दौरान एन.डी.एम.ए. का बजट आवंटन (ब.अ.) कुल 71.59 करोड़ रुपए था जिसमें से 25 करोड़ रुपए संगठन की आयोजना स्कीमों/परियोजनाओं के लिए आशयित था और 46.59 करोड़ रुपए को आयोजना–भिन्न बजट के लिए आवंटित किया गया था।

10.12 46.185 करोड़ रुपए (आयोजना–भिन्न) तथा 13 करोड़ रुपए (योजना) के संशोधित अनुमानों (सं.अ.) की तुलना में वास्तविक व्यय आयोजना–भिन्न बजट हेतु 35.26 करोड़ रुपए और योजना बजट हेतु 6.70 करोड़ रुपए था।

10.13 आयोजना–भिन्न के अधीन व्यय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा निम्नलिखित वस्तु शीर्षों के अंतर्गत खर्च किया गया है :–

- वेतन।
- घरेलू यात्रा व्यय (डी.टी.ई)।
- कार्यालय व्यय (ओ.ई.)।
- किराया, दर एवं कर (आर.आर. एंड टी.) (वर्ष 2007–08 के दौरान, एन.डी.एम.ए. का कार्यालय किराए की जगह पर स्थित था)।
- अन्य प्रशासनिक व्यय (ओ.ए.ई.)।
- विज्ञापन एवं प्रचार (ए एंड पी.)।
- लघु निर्माण कार्य (एम.डब्ल्यू.) (एन.डी.एम.ए. के नये कार्यालय भवन हेतु किए गए कार्य)।
- व्यावसायिक सेवाएं (पी.एस.)।

10.14 उपर्युक्त आयोजना–भिन्न शीर्षों के अधीन वर्ष 2008–09 के दौरान फंड आवंटन और व्यय को नीचे ग्राफिकल रूप में दिखाया गया है :–

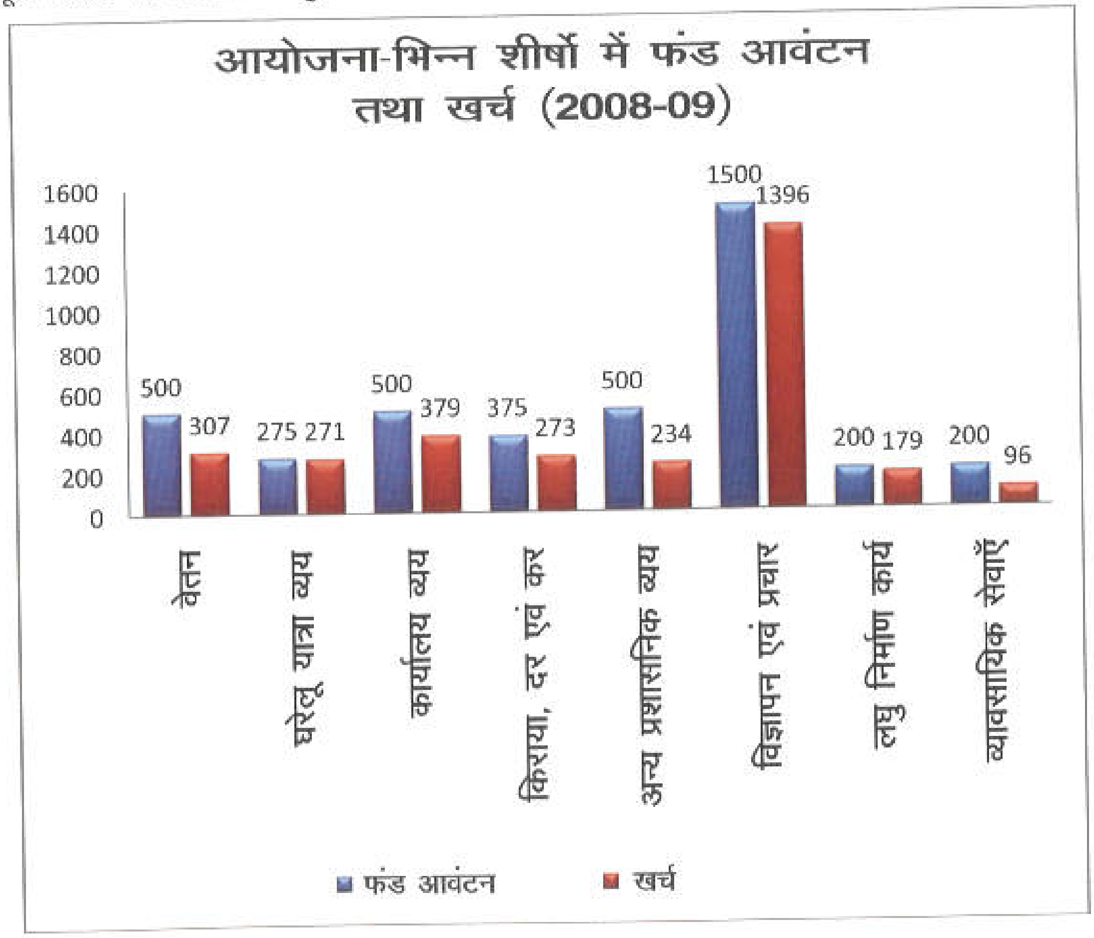

10.15 विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डी.पी.आर) की तैयारी हेतु बजट अनुमान 2008 में आवंटित 25 करोड़ रुपए की कुल राशि को एन.डी.एम.ए. की विभिन्न आयोजना परियोजनाओं के लिए निम्नानुसार वितरित किया गया :–

		आवंटन
(i)	राष्ट्रीय भूकंप जोखिम प्रशमन परियोजना (एन.ई.आर.एम.पी.)	– 2 करोड़ रुपए
(ii)	राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रशमन परियोजना (एन.एल.आर.एम.पी.)	– 1.5 करोड़ रुपए
(iii)	राष्ट्रीय आपदा संचार नेटवर्क (एन.डी.सी.एम.)	– 1.5 करोड़ रुपए
(iv)	विश्व बैंक सहायता से राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना (एन.सी.आर.एम.पी)	– 15 करोड़ रुपए
(v)	अन्य आपदा प्रबंधन परियोजनाएं	– 3 करोड़ रुपए
(vi)	राष्ट्रीय बाढ़ आपदा प्रबंधन	– 2 करोड़ रुपए
	योग	**– 25 करोड़ रुपए**

10.16 वर्ष 2008–09 के दौरान 6.70 करोड़ रुपए का वास्तविक व्यय केवल राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना पर ही हुआ था।

अनुबंध–I

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का संघटन

1.	डॉ. मनमोहन सिंह, भारत के प्रधानमंत्री	अध्यक्ष
2.	जन. एन.सी. विज, पी.वी.एस.एम., यू.वाई.एस.एम., ए.वी.एस.एम. (सेवानिवृत्त)	उपाध्यक्ष
3.	लेफ्टि. जन. (डॉ.) जे.आर. भारद्वाज, पी.वी.एस.एम., ए.वी.एस.एम., वी.एस.एम., पी.एच.एस. (सेवानिवृत्त)	सदस्य
4.	श्री बी. भट्टाचार्यजी	सदस्य
5.	डॉ. मोहन कांडा	सदस्य
6.	प्रो. एन. विनोद चन्द्र मेनन	सदस्य
7.	श्रीमती पी. ज्योति राव	सदस्य
8.	श्री एम. शशिधर रेड्डी	सदस्य
9.	श्री के. एम. सिंह	सदस्य
10.	श्री जे. के. सिन्हा	सदस्य

अनुबंध–II

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों की सूची

1. श्री एच.एस. ब्रह्मा, विशेष सचिव (01.12.2006 से)
2. श्रीमती दीपाली खन्ना, वित्तीय सलाहकार (31.07.2008 तक)
3. श्री सुनील के. कोहली, वित्तीय सलाहकार (01.08.2008 से)
4. श्री जे. बी. सिन्हा, संयुक्त सचिव (28.02.2009 तक)
5. श्री जी. एस. जी. आयंगार, सलाहकार (18.08.2008 से)
6. श्री सुरेश कुमार सेपुरी, सलाहकार (21.08.2008 से)
7. श्री अमित झा, संयुक्त सचिव (27.02.2009 से)
8. श्री ए. आर. सुले, निदेशक (मार्च, 2006 से)
9. श्री आर. के. सिंह, उप–सचिव (20.02.2009 से)
10. श्री प्रेम कुमार, उप–सचिव (23.02.2009 से)
11. डॉ. सी. वी. धर्म राव, उप–सचिव (20.03.2009 से)
12. श्री आर. के. चोपड़ा, अवर सचिव (14.11.2006 से)
13. श्री पी. ठाकुर, सहायक सलाहकार (01.05.2008 से)
14. श्री आर. एच. एच. हमर, सहायक सलाहकार (07.01.2009 तक)
15. श्री महेन्द्र प्रताप, सहायक सलाहकार (03.10.2008 से)
16. श्री जे. सी. बाबू, सहायक सलाहकार (25.09.2008 से)
17. श्री एस. के. प्रसाद, सहायक सलाहकार (01.10.2008 से)
18. श्री ए. के. जैन, सहायक सलाहकार (03.11.2008 से)
19. श्री बुद्ध राम, सहायक वित्तीय सलाहकार (31.12.2008 से)
20. श्रीमती विजयलक्ष्मी भारद्वाज, सहायक सलाहकार (19.01.2009 से)
21. श्री चंद्र शेखर, अवर सचिव (09.03.2009 से)